राजस्थान विधान सभा

तेरहवीं बैठक, गुरुवार, दिनांक १५ मार्च, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बज कर
१५ मिनट पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

आय-व्ययक भाषण पर सामान्य वाद-विवाद (पूर्व क्रम से)

श्री मोहम्मद इब्राहीम—सदर साहब, बजट पर बहस दो-तीन दिन से हो रही है । हमारे सामने बजट की तरब्क्यात रखी गई है । इस बजट में शहरों के लिए बहुत कुछ चीजें रखी गई हैं । गांवों की जनता के लिए, किसानों के लिए यानी देहात में जो लोग रहते हैं उन के लिए अभी तक कोई भी चीज़ दिखलाई नहीं देती है । यह जरूर है कि गांव के नाम पर रुपया मिला है मगर गावों में किस तरीके से रुपया खर्च किया जाता है वह शहर वालों के हाथ में रहता है, और वे सब ऐसे आदमियों की तलाश करते हैं कि जिन आदमियों का गावों से कोई वास्ता नहीं, क्यों कि जितने आफिसर्स हैं वो सब कस्बों में और शहरों में रहते हैं और जो देहात की तरक्की होनी चाहिए वह वहां नहीं की जाती है। यह मैं सदर साहब आपके जरिये सदन को बताना चाहता हूँ कि एक आदमी जो गांव का रहने वाला है अगर वह शहर में रहने लगता है तो जैसा कि एक अमरीका में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थी ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर गांव का आदमी शहर में रहने लग जाता है तो गांव की तकलीफ को भूल जाता है और उसके सामने जो गावों की तकलीफ आती है उनकी तरफ गौर नहीं करता ।

साल में हिन्दुस्तान में तीन मौसम आते हैं । गांव के रहने वालों के लिए तीनों ही मौसम में कयामत आती है । सरदी के मौसम को लीजिये तो गांव में सरदी इतनी शिद्दत की पड़ती है कि रेत बर्फ की तरह ठिरने लगता है । और उस वक्त भी जब कि आप गरम पतलून पहन कर चलते हैं, आपके पास ओढने को कम्बल होता है लेकिन गांव का रहने वाला अपनी पतली सी चद्दर में गुजारा करता है । सरदी में जब चेचक फैलता है और उनके बच्चे मरते हैं तो वहां हकीम और डाक्टर नहीं है मैं ऐसी मिसाल दे सकता हूँ कि ७०, ८० बच्चे एक गांव में मर गये लेकिन कोई मेडिकल इमदाद उन्हें मुहैया न हुई ।

गांव के लोगों के लिए सरदी का मौसम ऐसा रहा । अब आई गरमी । सरदी की शिद्दत गांव के लिए मुसीबत एक बायस बन गई तो गरमी में लू के थपेड़ों से वे मर जाते हैं । इसके बाद जब बरसात का मौसम आता है तो वही सर्दी में बर्फ जैसा रेत—कीचड़ बन कर खड़ा हो जाता है । गांव की गलियों में, मकानों में बरसात की वजह से कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, जिसकी वजह से

[श्री मोहम्मद इब्राहीम]

सांप, बिच्छु, मच्छर और सैंकड़ों कीड़े मकोड़े इस कदर पैदा हो जाते हैं कि जो गांवकी जनता की जान लेने वाले साबित होते हैं, शिद्दत की सरदी और गर्मी में गांव का रहने वाला अपने खेत में होता है। आप जाकर देखिये कि देहात में अपने मवेशियों और जंगली जानवरों से खेत की हिफाजत के लिए वे लोग खेत में सोते हैं तो सिर्फ आसमान की चादर ही उसके सर पर होती है और कोई झोंपड़ा भी नहीं होता है। शिद्दत की सरदी में वह अपने खेत की रखवाली करता है। मगर बजट में गावों में ऐसी हालत होते हुए भी, गावों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। गावों के लिए, जो अस्पताल खुलते हैं वे शहरों में खुलते हैं। होना तो यह चाहिए जैसा कि पंजाब के सर छोटूराम मरहूम का एलान था कि जितने भी अस्पताल खोले जायं गावों के लिए खोले जायं। शहरी डाक्टर गावों के लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और उनके लिबास को देखकर हिकारत की नजर से देखते हैं। तो मै आपसे गुजारिश करूं कि गांव के लिए रुपया खर्च करने के लिए शहर के आदमी को भेजा जाता है जो अपनी मरजी से रुपया खर्च करते हैं और वह रुपया गांव के काम नही आता। यह मेरी समझ में नहीं आता, तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो देहात के रहने वाले हैं उन्हीं की सलाह से गांवों का रुपया गांवों के लिए खर्च किया जाय।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सदरे मोहतरीम, मैं आपसे पांच मिनिट की इजाजत और चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आपने ५ मिनट का टाइम लिया था।

श्री इब्राहीम—५ मिनट में क्या कहा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—बोलने वाले बहुत हैं इसलिए अच्छा हो कि आप संक्षेप में कह दें।

श्री इब्राहीम-मेरे एक भाई नगर से आने वाले मेम्बर ने कल एक ऐतराज किया था और खास तौर पर मेवों पर इलजाम लगाया था कि मेव पाकिस्तान से आते हैं और उन्होंने यह कहा था कि उस वक्त यहां पर सिर्फ ३८००० मेव मौजूद थे। मैं यह बतलाऊंगा कि यह बिल्कुल गलत बात है। जिस समय फसाद हुआ उस समय ५०००० या ६०००० मेव यहां रह गये थे और उस वक्त जान बचाकर ७५,००० मेव गुड़गांव की ओर भागे और १० हजार यू. पी. में थे। जैसा श्री जयनारायण व्यास ने भी ऐसेम्बली में बताया कि पाकिस्तान से कोई मेव राजस्थान में नहीं आया। पाकिस्तान से कोई मेव ४०० मील का सफ़र करके कैसे आ सकता है। हां पासपोर्टस से जरूर आ सकता है लेकिन उसके बिना कैसे आदमी आ सकता है और यदि किसी तरह से आवे तो यह पुलिस का काम है कि गिरफ्तार करें और उसे सजा दे, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं।

लोकल हिन्दुओं के मुत्तलिक आपने बताया कि लोकल हिन्दुओं पर ज्यादती हो रही है। ओनरेबल मेम्बर जो नगर से आये हैं उन्होंने दो जमीनें मेवों की दबाई थी। जब वह

[श्री इब्राहीम]

रेवेन्यूमिनिस्टर थे। ऑनरेबल मेम्बर साहब ने जमीन हरिजनों और बलाहियों से छिनवाकर रामजीलाल अहीर, वेयर्ड को दिलाई। और अब उसके पास ६०० बीघा जमीन है। एक अहीर ६०० बीघा जमीन रख सकता है तो क्या एक मेव ४०–५० बीघा जमीन रखने का भी हकदार नहीं है? जब वे रेवेन्यू मिनिस्टर थे तब सात मेव, अगरावली त० कामा की जमीन को मिल्कियत बजरिये टेलीफोन एक कामा के ब्राह्मण के नाम खिलाफ कानून तब्दील कराई। मेरे पास एक फहरिस्त मौजूद है जिस पर १५० आदमियों के दस्तखत हैं और सैकड़ों मेवों के अंगूठे हैं। उससे पता चलेगा कि मेवों के साथ क्या क्या ज्यादतियां हुई हैं। मेवों के मकान और जमीन जिन लोकल हिन्दुओं ने दबा रक्खी हैं उनके नाम इस फहरिस्त में हैं। मैं उसे चीफ मिनिस्टर साहब को पेश कर सकता हूं। यदि एक अहीर को हक है कि वह ६०० बीघा जमीन अपने कब्जे में रख सकता है तो क्या हिन्दुस्तान में एक मेव ५० बीघा जमीन नहीं रख सकता? सन् ५१ से आज तक कितने ही मेव इनकी कांस्टिटुएंसी में कतल कर दिये गये हैं। पिछले साल एक मेव के जवान लड़के को अलधानी गांव में कत्ल कर दिया था। लेकिन आज तक किसी मेव की तरफ से हाथ नहीं उठाया गया है। उनको ख्वामख्वाह बदनाम करना चाहते हैं। जब आप मत्स्य में मिनिस्टर थे तब डीग की जुम्मा मसजिद को तुड़वाकर वहां पर आपने आदित्येन्द्र नामकी मंडी बनवादी जो अब भी मौजूद है। इनको न मालूम मेवों से क्यों दुश्मनी है? इन बातों के लिये सदरे मोहतरिम, मैं दर्ख्वास्त करूंगा कि एक तहकीकात के लिये हाउस की एक कमेटी बनावें और मेवों के साथ जो बुरा सलूक हो रहा है, उसकी जांच करावें।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्ष, बजट पर आज ३-४ दिन से बहस हो रही है उसके मुतल्लिक मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बहस के अन्दर काफी लोगों ने भाग लिया और काफी गरमा-गरम बहस भी हुई। इस बजट के अंदर यदि शुरू से आखिर तक देखा जाय तो उसके अंदर समाजवादी समाज की पद्धति पर, कांग्रेस अपने सिद्धान्त के मुताबिक काम चलाने की बात आती है, वह बात कहीं इसमें नजर नहीं आती। सबसे पहले तो इसके अंदर जो ग्रेड्स के मुतल्लिक चपरासियों और अन्य फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों व क्लर्कों के ग्रेड्स रखे गये हैं वे ग्रेड्स रोजमर्रा के खर्च को देख कर बनाये होते तो भी सरकार उनके लिए कुछ फायदा कर सकती थी। कम से कम सरकार को चाहिये था कि ग्रेड बनाने से पहले एक घर में कम से कम आज कल के जमाने में कितने रुपये खर्च होते हैं। एक गृहस्थी में यदि ५ आदमियों की तादाद है तो, उनके खाने, पहनने और बच्चों की पढ़ाई और बीमारी में कितना खर्चा होता है। यह सब औसत लगाते और विचार करते कि एक गृहस्थ का ३५-४० रुपयों में काम चलता है या नहीं। यह देखकर काम करते तो गरीबों को फायदा होता लेकिन जो बड़े बड़े ओफिसर ऊंचे ग्रेड के हैं उनके ४०० से ६०० रुपये कर दिये हैं। इसको हम अंधेर खाते के सिवाय और कुछ नहीं कह सकते। इस बारे में मुझे एक दृष्टांत याद आ गया है जो कह देता हूं। दृष्टांत इस प्रकार है कि........

श्री अध्यक्ष—दृष्टांत में ही टाइम खतम हो जायगा।

श्री संतोषसिंह—एक आदमी और एक शेर शहर में आये। वहां पर आदमी ने शेर को एक तस्वीर दिखाई जिसमें आदमी शेर को हंटर से मार रहा था और शेर नीचे पड़ा था। उस आदमी ने शेर से कहा कि देख शेर, शहर के आदमी कितने बलवान होते हैं। उस शेर ने कहा कि ठीक है, लेकिन यह बता कि यह तस्वीर खींची किसने है तब उसने कहा कि आदमी ने। तो शेर ने कहा कि यदि तस्वीर खींचने वाला कोई शेर होता तो इस तस्वीर में आदमी नीचे और शेर ऊपर होता। इसी तरह से जो ग्रेड रखे गये हैं उनको बनाया किसने है? जिन लोगों ने ये ग्रेड बनाये हैं, उन लोगों ने अपने ग्रेड जितने चाहे उतने बना लिए और गरीब लोगों का विचार ठीक से नहीं किया। उनके २५ से ३० या ४० कर दिये और बाकी बातों का कुछ विचार नही रखा तो क्या मैं सरकार से प्रार्थना करूं कि यह एसेम्बली का सेशन चल रहा है और यह करीब करीब आखिरी सेशन है और शायद वह मन्त्री मन्डल भी आखिरी ही होगा। दूसरे सदस्य आयेंगे तो सरकार ऐसा कलंक अपने सर पर क्यों लेती है? कम से कम इसको अभी भी सुधार सकती है। इस बजट में से ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि सुधारी नहीं जा सके। ऐसा विचार करके, इस बजट को रिवाइज करके अब भी ला सकती है। नहीं तो दूसरी एसेम्बली आयेगी तो वह भी बढ़ायेगी, इसलिये आप क्यों कलंक का टीका लेते हैं। यह मौका है गरीबों को राहत देने का और सहायता पहुँचाने का।

इसके बाद जोधपुर में जो आज से कर लग रहा है उसके मुतल्लिक कुछ कहना चाहूँगा। वहां पर म्युनिसिपेलिटी की तरफ से टैक्स लगाया जा रहा है। वहां पर कल लोगों ने हड़ताल की है जो कामयाब रही है। यदि आप म्युनिसिपल टैक्स लगाते हैं तो इससे पहले आपको चाहिये कि आप म्युनिसिपेलिटी के चुनाव करावें और जो बोर्ड के नये सदस्य आवें उनकी राय से टैक्स लगावें। आप चुनाव नहीं कराकर टैक्स लगाना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मुझे ५ मिनिट का समय और देने की कृपा करें। जोधपुर की हालत इस समय ऐसी बिगडी है कि कोई व्यापार-धंधा वहां पर नहीं है। जोधपुर आज एक गांव जैसा हो गया है। किसी तरह की वहां जान नहीं रही है। इस पर भी आप वहां पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जब तक वहां पर चुनाव नहीं हो जावें, तब तक टैक्स नहीं लगाया जावे।

दूसरी बात मैं कानून की व्यवस्था के बारे में कहूंगा। डाकुओं की मुठभेड़ में जो सिपाही मारे जाते हैं, उनके घरवालों को पेन्शन दी है यह बहुत ठीक बात है। बाकी यह भानुमति के कुनबा जैसा बजट है और रद्दी की टोकरी में डालने के लायक है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मुझे ५ मिनिट और दीजिये।

श्री अध्यक्ष—आप जो बातें कहते हैं उस पर टाइम बढ़ाना निर्भर करता है।

श्री संतोषसिंह—अब मैं लॉ एंड ऑर्डर पर कह रहा हूँ। इस पर मैं एक किस्सा कहूंगा जिससे आपको मालूम होगा कि पुलिस वाले क्या क्या काम करते हैं? राणी में गांडल से एक दम्पत्ति रात को उतरे। उनसे पुलिस वालों ने कहा कि तुम थाने में चलो क्योंकि तुम्हारे साथ जो स्त्री है वह तुम्हारी नहीं है बल्कि भगाई हुई है इसलिये तुमको थाने में चलना होगा। उस आदमी को उस औरत से अलग कर दिया जाता है और थाने में जाकर उसको पीटा जाता है और कहा जाता है कि तुम यह बयान दो कि यह स्त्री तुम्हारी नहीं है और भगाई हुई है, लेकिन उसने कहा कि यह बयान कैसे दूं, वह मेरी स्त्री है। तब उसे कहा गया कि गांडल जाकर पुलिस से और मजिस्ट्रेट से यह सर्टिफिकेट लाओ कि यह स्त्री तुम्हारी ही है। उधर वह सर्टिफिकेट लेने जाता है उधर उस स्त्री के साथ बुरा बर्ताव करते हैं उसकी बेइज्जती करते हैं। जब चार दिन बाद वह आदमी वापिस आया, सर्टिफिकेट लेकर तब पुलिस वालों ने उससे कहा कि तुम्हारी स्त्री को तो हमने टिकट दिलवा कर मेहसाना भेज दिया है। लेकिन उस स्त्री का अब तक पता नहीं है। यह खबर अखबारों में छपी है, मेरे पास अखबार की कॉपी भी मौजूद है।

श्री अध्यक्ष—कट मोशन के समय अखबार वगैरह पेश करिये। किस्से कहने के लिए समय नहीं है। जिसके पास जैसा मेटर होगा उसी के आधार पर समय दिया जायगा। साढ़े नौ बजे गवर्नमेंट का जवाब प्रारम्भ होगा।

श्री लालबहादुर—अध्यक्ष महोदय, बजट में पब्लिक वर्क्स और विकास के लिये जो रुपये रखे गये हैं वह खुशी की बात है। लेकिन यहां पर-आज तीन रोज से जो बहस चल रही है और जो एक दूसरे पर छींटा कसी चल रही है वह ठीक नहीं है। भारत के आजाद होने के साथ साथ राजस्थान को भी आजादी मिली। लेकिन अभी तक भी कोटा में ३६ गांव ऐसे हैं जिसमें अभी तक बेगार आदि उसी प्रकार है जिस प्रकार आजादी न मिलने के समय थी। इस तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं गया है। मैं गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि काश्तकारों को राहत देने के लिए इस सम्बंध में संदेश देने की कृपा करें।

मालन में २५० घर शरणार्थियों के हैं मगर उनको अभी तक कोई जमीन एलोट नहीं हुई है और इस कारण से जो सरकारी मुलाजिम-वहां पर जाते हैं, उनको रहने के लिए मकानों की बड़ी दिक्कत रहती है। इसलिये मैं सरकार का इस तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि शरणार्थियों को जल्दी जमीन एलोट की जाय।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बारां में इन्टरमीडियेट कॉलेज बनाने की बात थी मगर वहां पर इंटरमीडियेट कॉलेज नहीं बना कर वहां मल्टीपरपज हाई स्कूल बना दिया गया है। वहां पर साइन्स का पूरा सामान मौजूद है। मगर मल्टीपरपज हाई स्कूल बन जाने से यह हुआ कि जिन लड़कों को पहले १० वीं क्लास पास करके कोटा जाना पड़ता था अब ८वीं क्लास पास करने

[श्री लालबहादुर]

के बाद कोटा जाना पड़ेगा। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वहां पर साइंस का कोर्स चालू किया जावे और इसके लिये मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी अर्ज किया था।

इसके अलावा कोटा डिवीजन में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां में होस्पिटल हैं और यहां पर चारों में रोगियों की संख्या करीब करीब बराबर की है, मगर पहले तीन होस्पिटलों में तो डॉक्टर और डॉक्टरनी आदि का पूरा प्रबन्ध है मगर बारां में दो डॉक्टर और डॉक्टरनी का ही प्रबन्ध है जो रोगियों की संख्या को देखते हुए काफी नहीं है। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि डॉक्टरों की संख्या और बढ़ाई जानी चाहिये।

वर्षा के दिनों में कोटा से शाहबाज जाने वाला रास्ता पारवती नदी के कारण बन्द हो जाता है। वर्षा के दिनों में १५ : २० रोज तक सड़क बन्द रहती है और जाने का रास्ता नहीं रहता। बीमारी भी फैलने का डर रहता है और इसके अलावा डाकुओं को पनाह मिलती है। इससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं नुकशान ही होता है। गवर्नमेंट पुलिया बनादे इसके लिए लोग लागत तक देने के लिये तैयार हैं लेकिन आज तक पुलिये को ऊंचा उठाने की कार्यवाही नहीं की गई जो जरूर की जानी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष, मैंने गये अधिवेशन में पुलिस की चौकी कायम करने के लिये अर्ज किया था। तहसील मांगरोल में (अश्रव्य) में व्यापारिक मंडी कायम हुई है और वहां पर ६० हजार के करीब आबादी है। मगर वहां पर कोई पुलिस की चौकी नहीं है। वहां पर ४ घंटे तक डाकुओं ने आराम से डाका डाला था, इसलिये वे लोग अपना कारोबार उठाना चाहते हैं। इसलिये आपसे प्रार्थना है कि इसके लिये इन्तजाम कराया जावे। इसके अलावा संगराणिया में धर्मशाला को अपने हाथ में सरकार ने ले रखा है। पिछले अधिवेशन में माननीय गृह मंत्रीजी ने इसके संबंध में आश्वासन भी दिया था।

इसके अलावा नाथूसिंह सब-इन्सपेक्टर के साथ जो सरकार ने वर्ताव किया है और किसी तरह से........

(घंटी)

दो साल हो गये हैं उसके बच्चे परेशान हो रहे हैं मगर आज तक उसका कोई फैसला होम मिनिस्टर से नहीं हो पाया है।

चौथी बात यह है कि जो केनाल पारवती बनी है उसकी कोई सफाई नहीं होती है। इसलिए पूरे दरिया की सफाई होनी चाहिये जिससे पानी काश्त के लिये ज्यादा मिल सके और फसल अच्छी पैदा हो। फतहपुर में भी नालों की सफाई होनी चाहिये जो नहीं हुई है। सफाई का होना बहुत जरूरी है।

श्री भैरूसिंह (सरकाना)—अध्यक्ष महोदय, बजट पर पिछले दो दिनों से बहस हो रही है। मैं भी इस पर अपने कुछ सुझाव आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। हमारी जो सरकार है उसका कर्तव्य यह होता है कि वह जनता के रोटी और कपड़े के प्रश्न को हल करे। चाहे किसी की भी सरकार क्यों न हो? इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य का भार भी हमारी सरकार पर ही होता है। जब से राजस्थान बना है हमारे सामने यह पांचवा बजट पेश हुआ है। मैं आपको यह अर्ज करूं कि कई बार मैंने आपके सामने ऐसे सुझाव रखे जो बहुत ही महत्व के थे लेकिन उनको यों ही टाल दिया गया और कह दिया गया, कि अर्थ का अभाव है। यह मैं मान कर चलता हूं कि अर्थ के अभाव में कोई भी सरकार व मिनिस्टर सोने के अन्डे नहीं देते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि उन्हें यों ही टाल दिया जाता। जब से राजस्थान बना है तभी से योजनाएं बनती जाती हैं। भुखमरी और बेकारी को मद्देनजर रखते हुए यह योजना अगर बनाई जावे तो वे सफल होती हैं। अब मैं आपका ध्यान थोड़ा शिक्षा की ओर आकर्षित करता हूँ। हमारे राजस्थान में ८५ प्रतिशत अशिक्षित लोग हैं और ऐसी हालत में सरकार को बधाई देता हूँ कि सरकार ने बहुत सी प्राइमरी स्कूलें खोली हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ यह भी कहूँगा कि सरकार ने शिक्षा की प्रणाली में कोई रद्दोबदल नहीं किया है। राजस्थानी लोगों को राजस्थानी भाषा सिखाई जानी चाहिये जिससे राज्य का विकास हो सके। मैं यह निवेदन करूंगा कि शिक्षा की प्रणाली में आप रद्दोबदल करें ताकि भावी नागरिकों के आचरण पर असर पड़े। आज हमारे यहां पर शिक्षा के कारण जब लोग शिक्षा पाकर नौकरी के लिये कोशिश करते हैं व डिग्री पास करके वकील बन जाते हैं और अगर वकील नहीं बनते तो राजनैतिक कार्य करने लग जाते हैं। हमारे देश में वेस्टर्न प्रणाली के अनुसार चुनाव होते हैं तो वे लोग कोई विधान सभा के सदस्य हो जाते हैं तो कोई तहसीलों के पंच बन जाते हैं और कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य बन जाते हैं और वे अशिक्षित पब्लिक का गला घोटने का प्रयास करते हैं।

चूंकि समय कम है इसलिये मैं ज्यादा न कह कर आपका ध्यान, अब चिकित्सा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस विषय में काफी रकम खर्च की जाती है वह इस तरह से की जाती है कि या तो डाक्टरों को बड़ी २ तनख्वाहों में खर्च की जाती है या क्वीनीन या पेन्सिलीन पर ज्यादा खर्च की जाती है। यदि हम लोगों को सफाई से रहना न सिखावें और सफाई का प्रोपेगन्डा न करें कि किस तरह से सफाई से रहना चाहिए, तो हजारों बच्चे स्माल-पोक्स से मर जाते हैं, सफाई न होने के कारण। टी० बी० का प्रकोप काफी हो रहा है लेकिन सफाई की ओर सरकार ध्यान नहीं देती। दवा, डाक्टर हमें कब तक जिन्दा रखें?

खेती के मुतल्लिक निवेदन करना चाहता हूं। जन्म से जागीरदार हूं और कर्म से काश्तकार हूँ, जागीरदारी का तो अब सवाल नहीं होता है। अब सब ही काश्तकार हैं। काश्तकारों के लिए गवर्नमेंन्ट अनाप शनाप कानून बना रही है, जिसका असर किसानों पर गहरा होता है और जो काश्तकारों को फायदे के लिए कहा जाता है, तकावी दी जाती है, अथवा बीज वगैरा दिया जाता है तो मैं कहूँगा कि उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं होता है। बीज वगैरह समय पर नहीं दिया

[श्री भैरूं सिंह (बरकाना)]

जाता है। सरकार सिलींग पर विचार करती है, कहती है कि सोशलिस्टिक पेटर्न पर विचार कर रहे हैं, सोशलिस्टक पेटर्न कायम करना चाहते हैं। आज किसानों की जिन्दगी सुरक्षित नहीं है और जब तक किसानों को जिन्दगी का आश्वासन नहीं मिलेगा, मैं कहूंगा कि आप खेती में, कभी उन्नति नहीं कर सकेंगे।

खेती के साथ साथ पशु पालन की ओर भी ध्यान देना चाहिए। राजस्थान में पशु पालन उतना ही आवश्यक है जितनी की खेती। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं और जहां जहां गवर्नमेंट के फार्म्स है वे आप देखिये कि वहां क्या हालात है। साथ ही साथ उनको खेती के साथ Side बिजनिस भी सिखाना चाहिए, जैसे पशु पालन है, बी कीपिंग है, मुर्गी पालन इत्यादि।

(घंटी)

अगर इनकी ओर किसानों का ध्यान दिलावेंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का नक्शा ही दूसरा हो सकता है। खाली भाषण देने से और सम्मेलन करने से कोई फायदा नहीं होता है।

समय कम है लेकिन यदि आप इजाजत दें तो मैं दो एक बातें और अर्ज कर देना चाहता हूं जो आज राजस्थान में खास कर के प्रोबलम हैं, उसके बारे में। जब जागीरदारियां खत्म हो गई हैं तो सब ही किसान है चाहे वे राजपूत हो या जाट हो। मैं सदन में एलान कर देना चाहता हूँ कि राजपूत और जाट एक हो कर रहेंगे और अगले चुनावों में कन्धे से कन्धा भिड़ा कर लड़ेंगे और उनके बीच में जो इस तरह की भावना पैदा कर दी गई है वह हमारे नेताओं की देन है कि यह जाट है और यह राजपूत है। किसानों को गुमराह किया गया है, इससे वे नेता अपना हल सिद्ध करना चाहते हैं। अब हम समझ गये हैं और इस पर विचारेंगे।

भूस्वामियों के मुतल्लिक मैं अर्ज करूंगा। भूस्वामियों का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। उनको आर्थिक संकट है। उनके घरों में आप यदि जाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनके यहां सुबह और शाम की रोटी का सवाल पैदा हो गया है। उनके घरों को देखने से पता चलेगा कि ८५ प्रतिशत ऐसे हैं जिनके यहां यह हालत है। आप केवल बड़े बड़े जागीरदारों की बातें सोचें तो यह ठीक नहीं है। छोटे २ जागीरदार हैं, उनके ऊपर हजारों रुपयों का कर्जा है, हजारों रुपया लडकियों की शादी में खर्च करने पडते हैं। कानून बनाने के पहले उनके प्रति प्रेम करते और वत्सल्यता दिखाते तो यह नमूना पेश नहीं होता। मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस चाहती तो उनकी यह हालत नहीं होती।

(घंटी)

दो मिनट और। आज मेरे खयाल से ऐसी कोई समस्या नहीं है। आन्दोलन होते हैं, बड़े बड़े आन्दोलन हुए हैं। आप उनकी उन्नति करिये। आप विचार करें तो मैं नहीं मानता कि उसका कोई निदान नहीं हो सकता। बडी बडी समस्या हल कर सकते हैं। यह तो एक छोटी सी समस्या

Page No.9

[श्री भैरूंसिंह (बरकाना

है क्या आप इसको हल नहीं कर सकते ? समझ में नहीं आता है कि सरकार का क्या रुख है। समय कम होने से मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं नहीं तो ज्यादा प्रकाश डालता।

श्री अध्यक्ष—श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर-माननीय अध्यक्ष, हमारे सदन में यह पांचवां बजट पेश हुआ है और यह बजट बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस वजह से है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का अन्तिम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कदम बढाये गये है यह दिखाया गया है। यदि इसको महत्वपूर्ण बजट माना जाय तो हमें यह देखना है कि प्रथम पंचवार्षीय योजना में जो टारगेट्स रखे थे उनमें कितनी प्रगति की है और आगे क्या प्रगति कर सकते हैं और हमारा रास्ता प्रगति का कैसा होगा, इस बारे में हमें अवश्य विचार करना है।

यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो टारगेट्स हैं,—इरीगेशन, रोडस, पाटशालायें, कुए वगैरा, हम देखें तो हमें बहुत संतोष होता है। जैसा कि बजट में बताया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व पांच लाख एकड़ की सिंचाई होती थी इस योजना काल में ३१ लाख २५ हजार एकड़ की वृद्धि हुई है, इस तरह १५०० कुओं की वृद्धि हुई हैं, इसी तरह ५८० पाटशालाओं की वृद्धि हुई है। और इसी प्रकार २५० मील सड़कों की वृद्धि हुई हैं। इतने कम समय में इतनी वृद्धि हुई जो कई माननीय सदस्य मामूली चीज मानते हैं लेकिन गांवों के रहने वाले किसान, और जागीर क्षेत्रों के रहने वाले किसान जिनकी प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो चुका था, उनको जब नया मार्ग प्रशस्त मिला और जब वे उनको देखते हैं कि गांव गांव के अन्दर विकास के कुछ न कुछ कार्य चल रहे हैं तो उनको संतोष होता है। जब यह टारगेट प्राप्त करने के बाद दूसरी योजना बनायी, वह हमारे राजस्थान के लिए ही नहीं उसको तो सारे हिन्दुस्तान के अन्तर्गत देखना पड़ेगा। दूसरी योजना जो हिन्दुस्तान के लिए बनायी गई है, वह उद्योगों के विकास के लिए खास तौर पर है और उसका पब्लिक सेक्टर के अन्दर आधा रुपया खर्च किया जायगा। जब हम राजस्थान की योजना को देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता हैं कि राजस्थान की जो परिस्थितिहै, हालत है यह योजना भी कृषि योजना के रूप में ही रहेगी और उद्योगों का विकास और बेकारी को दूर करने की जो समस्या है उस पर वह काबू नहीं कर सकेगी। उस चीज को देखकर जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमें निराशा होती हैं। पब्लिक सेक्टर के अन्दर कोई चीज नहीं मिलती, कि सरकार ने यह कदम उटाया। मैं मानता हूं कि खाद कारखाने के लिए कदम उठाया गया जो काफी प्रशंसनीय था लेकिन बदकिस्मती से नाकामयाब रहे। आगे भी कई कारखरने खोले जा सकते हैं और यह ध्येय चालू रख सकते हैं। कुछ तो खाद कारखाने में नाकामयाब रहे और मैं समझता हूं कि लेड जिन्क एन्ड सिलवर जो कि एक हैवी इन्डस्ट्री हो सकती है उस पर भी प्रकाश न डाला, जो कि दुःख का विषय है। एक समस्या जो कई माननीय सदस्यों ने उठायी बजट में वह यह थी कि कई कर लगाये हैं, वे बेक-डोर से, पीछे से लगा दिये गये हैं और सदन के सदस्यों को मौका नहीं

[श्री सोहनलाल भटनागर]

दिया गया कि वे उन पर बहस कर सकें। ६४ लाख के कर हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य कर इरीगेशन का है। लेकिन यदि माननीय सदस्य जिन्होंने उर्ज किया है वे गत माह के गजट को देखते तो उन्हें मालूम होता कि ५२ के बाद जो इरीगेशन वर्क्स हुए है उनकी रेट्स बढ़ा दी गई है और पानी की दरें भी बढ़ा दी गई हैं। एक्सप्लेनेटरी नोट में भी बता दिया गया है कि दरें बढ़ने से अब ८) रु० प्रति एकड़ औसत दरें हो जावेगी। उसी तरह दरों के बारे में वाटर रेट्स को डिस्कस करने का मौका दिया है। दूसरे टैक्स लगाये जा रहे हैं वे या तो लेजिस्लेचर ने जो अधिकार सरकार को सौंपे हैं उनके द्वारा कर लगा सकते हैं या मनी बिल लाकर कर सकते हैं। उसके के बाद भी सदन को हमेशा अधिकार दिया हुआ है कि जो कर लगे उसके सम्बन्ध में बहस करे, सरकार की आलोचना करें और सरकार उसको हमेशा देखने को तैयार रहेगी।

इसके बाद, इस योजना काल के अन्दर यह बात हुई कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्दर जो जो सडकें रखी गई थी उनमें दो-दो चार-चार मील बन्द कर वे अधूरी रह गई हैं और जो ग्रान्ट थी वह समाप्त होगई। हमें ऐसा लगता हैं कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में प्रथम वर्ष में वे अधूरे कार्य जो प्रथम पंच वर्षीय योजना के बाकी है पूरे किये जाने चाहिये थे। लेकिन जब हम बजट को देखते हैं तो इस सम्बन्ध में अवश्य निराशा होती है। अभी भी सड़कों के लिये प्रथम पंच वर्षीय योजना के दो ढाई लाख रुपया बाकी है। उसके लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उसके लिये प्रथम वर्ष के अन्दर ८० हजार रुपया रखा हुआ है। हमें देखना है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय क्या इस समय यह प्रकाश डालेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के शुरू में हम पहले वे अधूरे कार्य लेंगे जो प्रथम पंच वर्षीय योजना में बाकी रह गये थे। मैं आशा कर रहा था कि इस योजना काल के अन्दर, उसके विकास के अन्दर प्रथम पंच वर्षीय योजना के अधूरे कार्य हैं, इस वर्ष में पूरे कर दिये जायेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं यदि इस प्रथम वर्ष में यह कार्य नहीं होता है तो इस अधूरे कार्य को पूरा करने में तीन चार वर्ष लग जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह अर्ज करूंगा कि जो अधूरे कार्य बाकी रह गये हैं उनको पूरा करने के लिये सप्लीमेंन्ट्री डिमान्डस या किसी और तरीके से रुपया प्राप्त करके इन अधूरे कार्यो को समाप्त करेंगे इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान के अन्दर जो औषधालयों और डिस्पेन्सरियों की हालत हैं वह बहुत चिन्ता का विषय है इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े बड़े औषधालयों के लिये भवन का निर्माण तो हुआ है उदयपुर में ए क्लास होस्पीटल का निर्माण तो हुआ भवन निर्माण तो केवल कलेवर मात्र है, जब तक उसमें डाक्टर्स और अन्य उपकरणों का इन्तजाम नहीं किया जाता तो आत्मा का अभाव रह जाता है। इसलिये उसमें अच्छे डाक्टर्स और साधनों का होना निहायत आवश्यक है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं पहले से औषधालयों की हालत बहुत बदतर होती जा रही है अत: खास तौर से स्वास्थ्य मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस

[श्री सोहनलाल भटनागर]

और विशेष रूप से ध्यान दें। खाली अस्पतालों को बढ़ाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिये उसके साथ साथ अच्छे अच्छे डाक्टरों का भी इन्तजाम करना निहायत आवश्यक है।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, मैं यह मानता हूँ कि माननीय सदस्यों ने जो कुछ मुद्दे उठाये हैं शहरों के लिये तो बहुत किया जाता है परन्तु गांवों पर ध्यान नहीं दिया जाता। आप अगर मुलाहिजा फरमायेंगे तो आपको विदित होगा कि जितनी भी सड़के हैं, भवन हैं, पाठशालायें हैं, औषधालय हैं, सारे के सारे गांवों के अन्दर ही तो किये जा रहे है? एक बात की अवहेलना तो जरूर की जा रही है कि छोटे छोटे गांवों और कस्बों और शहरों की सड़कों के लिये इस बजट के अन्दर १३ लाख रुपया निर्माण के लिये रखा है। बड़े बड़े शहर जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर आदि में ही यह सब समाप्त हो जायेंगे छोटे छोटे म्युनिसिपल टाउन्स आदि के लिये यह रकम उपलब्ध नहीं हो सकेगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो सड़कों के निर्माण के लिये रुपया रखा गया है वह बराबर शहरों और कस्बों में बांटा जाय। जहां आप बड़े बड़े अस्पतालों के लिये लाखों रुपया रखते हैं वहां गावों के सबडिवीजनल हैडक्वार्टर और तहसील हैड क्वार्टर के उन्नति के लिये भारत सरकार द्वारा जो रकम दी गई है वह करीब डेढ़ करोड़ है उसके अन्तर्गत कई भवन बने हैं विशेषकर तहसीलों की बिल्डिंग डाक बगलों या पुलिस स्टेशनस को ज्यादा महत्व दिया गया है बनिस्पत डिस्पेन्सरीज के व स्कूल भवनों के। गांवों के अन्दर छोटे छोटे कस्बों में औषधालय बिल्डिंग और हाई स्कूल भवनों की हालत बहुत खराब है इसके लिये एक पैसा भी न खर्च किया जाकर पुलिस स्टेशन और तहसील बिल्डिंग के लिये खर्च किया जाता है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना भी रुपया मिला है सब मदों में सब विभागों में बराबर वितरण किया 'जाय और औषधालयों और स्कूल्स भवन पर ज्यादा, विशेष, ध्यान दिया जाय।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—अध्यक्ष महोदय, सन् १९५६,५७ के बजट पर बोलते हुए मैं गंगानगर के और अपने क्षेत्र के बारे में जो वहां की हालत है, सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष, आज जो सरकार चला रहे हैं वह एक गुट विशेष की सरकार है, इसमें जो कुछ हो रहा है वह एक गुट विशेष के इशारे से किया जाता है। मैं इसके चन्द उदाहरण सदन के सामने पेश करना चाहता हूँ, जो चीजें गंगानगर जिले में हो रही हैं।

मैं सब से पहले गवर्नमेन्ट के उन कामों की ओर आपकी ध्यान दिलाऊंगा जैसा हमारे मुख्य मंत्री कहते हैं कि सब जिलों के लिये डेवलपमेन्ट कमेटीज बनी हुई है। उन कमेटीज में जो उस इलाके के एम० एल० ए० होते हैं वे सब उसमें राय देते हैं। मैं चाहता हूँ कि पिछले तीन सालों में मेरे क्षेत्र के अन्दर डेवलपमेन्ट के लिये एक पैसा भी नहीं दिया गया। इस साल १२ हजार रुपया मेरी तहसील के लिये मन्जूर किया गया था। जब कि दूसरी तहसीलों में सितम्बर १९५५ के पहले डेवलपमेन्ट का जितना रुपया भी खर्च किया जा चुका था किन्तु मेरी तहसील में जब कि हमने बहुत दरखास्तें दीं, बहुत दफा मैं कलक्टर से मिला।

Page No.12

[श्री गुरुदयालसिंह संधु]

आजतक वो १२ हजार रुपया जो मुकर्रर हुआ और जिस कार्य के लिये मुकर्रर हुआ था, वह खर्च नहीं हो पाया और दिखता ऐसा है कि वह लेप्स हो जायगा। यह एक मिसाल है, इस ब्लाक में जिस तरह से पोलिटीकल सफरर्स के नाम से जमीन अलोट कर रहे हैं। वहां पोलिटीकल सफरर्स बनाये गये हैं उन लोगों को जिनका सन् ५० के पहले किसी ओरगेनाइजेशन से संबंध नहीं था फिर भी उनको पोलिटीकल सफरर्स करार देकर जमीन अलोट की गई है। मैंने ऐसे नाम सरकार के पास भेजे हैं मुझे ऐसा ख्याल है कि सरकार उन पर गौर भी कर रही है। मैं समझता हूं महज उन लोगों को वहां इसलिये जमीन दी गई क्योंकि वहां पर अपने गुट को बसाना था। किसी भी ऐसे एक आदमी को जमीन नहीं दी जो रेगुलर पोलिटीकल सफरर हो। मैं मिसाल आपके सामने रखूंगा। शिवकंवरसिंह करनपुर तहसील का जिसने प्लेटून नं० २१ ने सब से पहले बंबई में बगावत की थी उसको दो मुरब्बा जमीन एज पोलिटीकल सफरर को तौर दी गई। उसके लेने से पहले वह इरीगेटेड एरिया डिक्लेअर हो गया। सरकार के उस काम के लिये टेन्डर्स भी शाया हो चुके थे। पानी मिलने का हुक्म हो चुका था आउटलेट में तबादला होने का हुक्म हो चुका था मौके पर कार्यवाही करनी थी। जब सरकार को पता लगा कि यह तो विरोधी गुट का आदमी है तो इसको पानी नहीं मिलना चाहिये, आज यह मामला डेढ़ साल से चल रहा है। डीसमिसल के आर्डर्स दिये गये कि उस आदमी को पानी नहीं दिया जा सकता।

मैं ऐसी मिसालें भी पेश करूंगा, लोगों की गिरदावरियां तक नाजायज दर्ज की जाती है। मैं अपनी ही मिसाल पेश करूं, मेरे रकबे के अन्दर ऐसी जमीन पर जहा पर मैंने फसल कभी नहीं की थी। सब मिसालें पेश नहीं करता मैं बड़ी मिसाल पेश कर देता हूं, मेरे जमीन में बीस वर्ष पहले से रहने के मकान बने हुए हैं, कोठे बने हुये हैं, खरंजे लगे हुये हैं। मामला मैं अदा कर रहा हूं। कलेक्टर साहब को इस विषय में कई दफा कह चुका, यहां चिटठियां लिखी, रेवेन्यू मिनिस्टर को चिटठियां लिखीं कि इस पर भी ध्यान दे जो मेरे साथ बीत रही है। किन्तु आज तक इस विषय में कार्यवाही नहीं की गई। हर फसल पर सौ डेढ़ सौ रुपया वाटर रेट के और गिरदावरी के मेरे से हर साल वसूल किये जाते हैं।

मैं आपको एक पंचायत चुनाव के सिलसिले में बताऊं गंगानगर के इलाके में २४ अप्रेल १९५४ को एक सरपंच का चुनाव हुआ उस सरपंच के चुनाव में मेरी धर्मपत्नी भी एक केन्डीडेट थी। जिस के पक्ष में उस इलाके के ९० परसेन्ट वोट थे। विरोधी पक्ष को जब यह लगा कि वह वहां जीत जायगी तो क्या होता था कि जिन लोगों को वहां इकटठा किया जाता था उनका चालान कर दिया जाता था, और मैंने देखा कि २४ अप्रेल चुनाव की तारीख मुकर्रर हुई उस दिन धारा १०७ की तहत २२ आदमियों का चालान किया गया जिनका मुकद्दमा आज भी करणपुर की अदालत में चल रहा है। उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई क्यों कि मेरे पक्ष के जो आदमी थे उनको हैरान करना था। यहां तक ही नहीं जो कोई भी सरकारी अफसर होता है जिनका इसलिये तबादला कर दिया जाता है कि क्योंकि उनसे गुरुदयालसिंह

[श्री गुरुदयालसिंह संधु]

मिलने आजाया करते हैं । श्री शिवसिंह डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस गंगानगर थे उन्होंने एस० पी० को कहा कि गुरुदयालसिंह के खिलाफ झूठे मुकद्दमे नहीं बनाने चाहिये, तो होता क्या है, उनका तबादला आर० ए० सी० में कर दिया गया ।

एक पटवारी जो मेरे इलाके का नहीं है उसको यह कहा गया कि गुरुदयालसिंह के खिलाफ प्रचार करो कहीं यह चुनाव न जीत जाय । उनका नाम खड्गसिंह है, उसने यह करने से इन्कार कर दिया तो क्या हुआ उसका तबादला करने के लिये कलेक्टर को कहा गया उस समय वहां के कलेक्टर मि० तनखा थे उन्होंने यह मानने से इन्कार कर दिया मि० तनखा का तबादला हुआ, भादरा तहसील में उनका तबादला कर दिया । उसके सात दिन के अन्दर अन्दर महज इसलिये कि किसी तरह से भी हो सके उन लोगों को परेशान किया जावे ।

मैं देखता हूं कि सड़कों के बारे में, सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं, सड़कों के अन्दर भी वही पक्षपातता है । गांवों में सड़कों का नाम नहीं है। एक सड़क मन्जूर की गई गंगानगर से रेलवे लाइन के साथ साथ और सरुपसर से सूलगढ़ तक अनूपगढ़ तक और अगले पांच साल में क्या काम होगा यह भी अर्ज कर दूं । पहले साल में कोई काम नहीं होगा और अगले साल में ११६ मील लम्बी सड़क में कहीं तीन मील का टुकड़ा बनेगा, कहीं से चार मील का और फिर उसके बहुत आगे जाकर कहीं दो मील का और इस पर ८ लाख ४० हजार रुपया खर्च किया जावेगा । यह हालत है हमारे यहां सड़कों की ।

इसके अलावा मिसलों की हालत यह है कि तहसील पद्मपुर में फाइलों का ढेर पड़ा है । पर जब कलेक्टर मुआयना करता है आफिस का, तब एक भी फाइल वहां नहीं रहती । अब आप ताज्जुब करेंगे कि वे फाइलें गई कहां, क्या डिस्पोज आफ हो गई, नहीं ऐसी बात नहीं है । वे कहते हैं ये फाइलें ले कौन सकता है ? ये तो हमारी बापोती है । हम, जब कलेक्टर हमारे आफिस का मुआयना करने आता है, तो उन फाइलों को नायब तहसीलदारों के यहां भेज देते हैं और जब कोई नायब तहसीलदारों के दफतरों का मुआयना करने जावे तो नायब तहसीलदार उन फाइलों को हमारे यहां भेज देते हैं । तो इस तरह से ये फाइलें हमारे यहां से निकल कैसे सकती हैं ? तो पांच सात सालों की फाइलें वहां पदमपुर तहसील में पड़ी हैं यह मैं आपको सही बात कहता हूं । पर किसी ने पूछा नहीं कि ये फाइलें यहां ढेर बनकर क्यों पड़ी हैं । कोई पूछने वाला नहीं ।

मैं कुछ थोड़ी बातें और कह देना चाहता हूं कि जो हालत गंगानगर में है उसे सुधारा जाय । मैं देखता हूं कि एक वर्ग विशेष के लोगों को दबाने के लिये उन पर झूठे मुकद्दमे भी बनाये जाते हैं । अफसर उन की मरजी के लगाये जाते हैं । तो उन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री रामकरण जोशी—माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर गत तीन दिनों से लगातार बहस हो रही है। बजट उस साल का है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का पहला साल है। और हिन्दुस्तान का फैसला है जिसको भी हुए अभी दूसरा ही साल है कि यहां समाजवादी अर्थ व्यवस्था की तरफ हमें प्रगति करनी है।

मैं इस बात की बधाई वित्त मन्त्री को दिये बिना नहीं रह सकता कि जबसे सोशलिस्टिक पैटर्न लागू हुआ है तब से बजट प्रस्तुत करते वे ही आ रहे हैं और अपने भाषण में समाजवादी ढांचे की बात का जिक्र बराबर करते हैं।

लेकिन मूल में जब हम देखते हैं तो समाजवादी ढांचे की ओर हमारी प्रवृत्ति इसमें दिखाई नहीं पड़ती। हमारे एक साथी जो अभी अभी उस तरफ से इधर आकर बैठे हैं और सरकार के सपोर्ट में कल बहुत जोरों से बोल रहे थे। उनका यह कहना मुझे बहुत तकलीफदेह लगा कि उधर थे तब सच बोलते थे और इधर आने के बाद झूठ बोलने लगे हैं और अपनी बात कहते हुए कहा था कि यह तो नारा दिखावे का है। आज समाजवादी नारा है और कल जरूरत पड़े तो साम्यवादी नारा भी लगा सकते हैं और बाकी काम तो हम अपनी सहूलियत से करेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जोइन करने के बाद उन्होंने अपने दिन किसकी सौबत में गुजारे और किनके सहवास से उनकी यह भावना बनी। उनका कहना कि इसमें हमारी यहां की सरकार का कसूर नहीं। नेहरू का कसूर है। गलती है तो उनकी है। गलती है तो ए०आई०सी०सी० की है।" यानी इसके माने हैं कि ये तथा-कथित सपोर्टर हैं या हमारे साथी या हमारी सरकार का समर्थन करना चाहते हैं, मैं मुख्य मन्त्री जी से, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि उनके भुलावे में वे न आवें। कोई भी आदमी हमारी तारीफ करते हुए हमारे बुजुर्गों की इस तरह से तौहीन करता है कांग्रेस उसूलों की उपेक्षा करता है तो मैं समझता हूँ कि वह हमारा सच्चे माने में शुभचिन्तक या समर्थक नहीं है।

अगर इस बजट को, इधर आकर झूठ बोलना शुरू कर दिया है, इस लाइट में देखा जावे तो विचार करने की जरूरत नहीं। पर बजट के प्रस्तुतकर्ता हमारे पुराने साथी बराबर दिल में धारणा लिये आ रहे हैं कि समाजवादी ढांचा ज़रूर अमल में आना चाहिये। पर हम जब बजट आंकड़े देखते हैं तो इसका महत्व सिद्ध नहीं होता।

समाजवादी ढांचे की तरफ प्रगति करने का अर्थ यह होगा कि छोटी छोटी तनख्वाह पाने वालों के बारे में हम सर्व प्रथम विचारें करें। उनके जीवन का एक स्तर निश्चित कर दिया जावे। यह तै हो जावे कि इससे कम तो उनको हरगिज नहीं मिलेगा। और मैं मानता हूं कि जब तक हमारे यहां पर २५ रुपये पाने वाले अध्यापक मौजूद हैं और वे अध्यापक जिनके कि जिम्मे इस राष्ट्र के निर्माण का सब से भारी और जिम्मेदार पूर्ण काम है, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारा यह समाजवादी ढांचे की ओर जाने वाला बजट है। कुछ वेतनों में अभी अभी वृद्धि की घोषणा हुई। उस घोषणा से उस समाजवादी ढांचे की तरफ जाने में हमारा उद्देश्य सफल होता नहीं दिखाई देता-

[श्री रामकरण जोशी]

क्योंकि उनकी तनख्वाह तो आपने बहुत बढ़ाई है जो बंगलों में रहते हैं, कारों में चलते हैं और जिनके बैंक बैलेन्सेज हैं। क्यों कि वे बाहर जाते हैं, ये वे ही लोग हैं जो बाहर दूसरे राज्यों वालों से एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं बम्बई, मद्रास, और बंगाल आदि प्रान्तों में आते जाते रहते हैं और वहां अपनी हैसियत के लोगों के सम्पर्क में आते रहते हैं, उनके सामने अपनी बढ़ी हुई शान को वे बढ़ कर रख सकते हैं। चपरासी चपरासी का मेल कम होता है, उनका मिलना-जुलना अधिक नहीं हो सकता। और न ही उनमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कि अखबारों के माध्यम से भी एक दूसरे के सम्पर्क में आ सकते हों। पत्रों के द्वारा उन लोगों की तरह अपने विचारों का आदान प्रदान भी नहीं कर सकते। तो सरकार हमारी यह चाहती है कि उन लोगों की जो कि साधन सम्पन्न इस समय भी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जानी चाहिये, जो ऊंचे पद पर स्थित हैं उनमें असन्तोष नहीं होना चाहिए। बाकी को नजरअन्दाज कर देना चाहिये। दरवाजे पर खड़े चपरासी फोर्थ क्लास के कर्मचारी, वें भूखों मरते रहें, उनकी तरफ अगर ध्यान न देंगे तो यह समाजवादी ढांचे की तरफ बढ़ने की सूचना नहीं है। आप तय करिये कि अगर उनकी तनख्वाह या हमारे यहां कम से कम तनख्वाह २५ रुपया है तो वह हम अब आगे से तीस देंगे। तीस से कम की आमदनी या तनख्वाह वाला कोई चपरासी राजस्थान में नहीं रहेगा, तो यह तो समाजवादी व्यवस्था की ओर जाने वाला कदम कहा जा सकता है। तो इस तरह से सरकार को बढ़ना चाहिये।

बाकी कुछ ऐसी बातें हैं जो लॉ और ऑर्डर के सवाल को लेकर खड़ी की गई। हमारे साथी कल व्यास जी के श्रद्धालु अनन्य भक्त व्यास जी में अपनी श्रद्धा प्रगट करते हुए उनके कार्यों के प्रति अपने विचार प्रकट कर रहे थे। उसको सुन कर मैं और सदन के मेरे दूसरे साथी भी आश्चर्य में रह गये कि वे एक ओर तो श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं और दूसरी ओर उन्हें बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं निवेदन कर दूं कि उनकी इस भलमनसाहत का फायदा ६ नवम्बर को उठा लिया गया पर अब आगे का इस प्रकार की झूठ बातों से लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। व्यास जी का जीवन आज राजस्थान में एक खुली किताब की तरह है। आज राजस्थान में जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ रचना या चेतना हम देख रहें हैं उनमें दो चार पांच महानुभावों का मुख्य भाग रहा है और उन दो चार पांच महानुभावों में व्यास जी का भी प्रमुख स्थान रहा है। बड़े मौज और हलके ढंग से श्रद्धा प्रकट करते हुए वह यह कहते हैं कि एक दिन पांच हजार की जागीरों को रखने के बारे में वे अपनी राय इसलिए दे चुके हैं कि सरकार बनाये रखने में, जागीरदार उनको मदद करें। यह कहना गलत है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं भी उन्हीं के साथ बैठा हुआ था जब यह बातें हुई। यह तो सही है कि जागीरें नहीं रहेंगी और न रहनी चाहिए, लेकिन जागीरों के लेने का तरीका क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वह इस तरीके से होना चाहिए कि आप अपने प्रान्त में शान्तिमय वातावरण बन ये हुए जागीरें ले सकें, और इस तरह का सैन्टीमेंटल एप्रोच हो। कोई द्वेषपूर्ण वातावरण पैदा करके प्रान्त में अशान्ति पैदा करें इस किस्म की भावना लेकर कोई व्यक्ति चले

[श्री रामकरण जोशी]

और सरकार पर अपना प्रभाव रखे, कहे कि एक पैसे की भी जागीरें नहीं रह सकती तो एक पैसे की भी जागीर राजस्थान में कानून के बनने के बाद क्यों पड़ी हुई हैं ? एक हजार से नीचे की जागीरें क्यों नहीं ली गई हैं ? जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने राजप्रमुख के अभिभाषण पर हुए वाद-विवाद का जवाब देते हुए कहा था उदयपुर डिवीजन में तो २०० रुपया तक की जगीरें ले ली गई हैं और बाकी राजस्थान में एक हजार तक की जगीरें नहीं ली गई हैं। तो क्यों नहीं समूची जागीरें ले ली जाती हैं ? जितनी जागीरें ली हैं उनके बाद क्या व्यवस्था की है कितना कम्पेन्सेशन दिया गया है उन लोगों को, बसाये जाने की, रिहेबिलिटेट करने की असली आवश्यकता है। भूस्वामी आन्दोलन को चलाने वाले लोग जिस तरीके की गुमराही के अन्दर मौजूद हैं कि वे लोग राजस्थान में जागीरें कायम रखना चाहते हैं तो हमारे साथी भी उनसे कम गुमराह नहीं करते हैं जो कि आज यहां साफ दिख रहा है। यह बात कहीं गई थी कि कुछ जागीरदार साथी अपोजिशन से इधर आकर बैठे हैं। मैं कहता हूँ कि वे जागीरदार साथी नहीं रहे हैं वे जैसे हम लोग हैं उस तरह के हैं। उन्होंने अपनी जगीरें सरेन्डर कर दी हैं। जागीरो के छोड देने पर कोई जागीरदार नहीं रहता। मैं कहता हूं कि इस प्रकार पुराना रोजमर्रा का मन के अन्दर द्वेष रखकर वे लोगों में द्वेष पैदा करना चाहते हैं। वे अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश वासियों के मन में दुर्भावना पैदा करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात न हो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उस वक्त कुछ लोगों की राय थी कि पांच हजार तक की जागीरें एक साथ ले ली जायं और ५ हजार से नीचे की जागीरों को दूसरे टाइम में ले लिया जाय। लेना सब को है हमारी डिक्लेयर्ड पालिसी तो यही है कि जागीरें राजस्थान में नहीं रहेंगी, लेकिन उनके लेने की व्यवस्था रहनी चाहिये कि इस तरीके से ली जायगी। मैं समझता हूं कि हम लोगों के यहां आने पर मालूम हुआ कि १ हजार के नीचे की जागीर बाकी हैं और जगहों की नहीं ली गई हैं। आखिर यह क्यों नहीं ली गई हैं ? क्यों कि वे व्यवस्था लेने की एक हजार के नीचे की नहीं कर पाये हैं। इतना बड़ा तूफान खड़ा हुआ है इस बात के अन्दर और इस तूफान को यह कह कर टालना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे सिर फिरे है कि जो जागीरें रखना चाहते हैं। तो मैं आपको जिनके कि सिर ठीक हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिनकी जगीरें आपने ले ली हैं, उनके लिये या तो फैसला कीजिये कि उनकी जागीरें लेंगे उनको मुआवजा नहीं देंगे। क्यों कि इतने दिनों तक इन लोगों ने किसानों का शोषण किया हैं और शोषण के आधार पर चलते चले आए हैं इसलिए आगे से फैसला करना चाहते हैं कि उनको जागीरों के मुआवजे में कुछ नहीं देंगे बल्कि उन्होंने शोषण किया हैं उसके बजाय हम भी उनका शोषण करेंगे। यह फैसला करके डिक्लेयर नहीं किया जाता है तो अपनी पालिसी का फैसला नहीं करते हैं, उनको कम्पेन्सेशन देना है, उनको रिहिबिलिटेट करना है तो उनको हर साल उनके मुआवजे की रकम मिलती रहना चाहिए। वह व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है लेकिन वह गैर जिम्मेदार प्रतीत होता है, और इस आन्दोलन के चलाने के बारे में सरकार की मशीनरी की ही ढिलाई जिम्मेदार है, उसकी ढिलाई के कारण ही यह आन्दोलन चल रहा है और सरकार का नुकसान होता है जनता के काम में रुकावट पैदा होती है और ला एन्ड ऑर्डर के लिए खम्मे २ पर पुलिसमैन खड़ा किया जा रहा है तो वह सरकारी रुपये का दुरुपयोग ही रहा है। इस

[श्री रामकरण जोशी]

तरह से शासन नहीं चल सकता है। मैं निवेदन करता हूं कि ला एन्ड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू में लाया जाय। ऐसी स्थिति पैदा न करिये कि जिस में ख्वामख्वाह अनलाफुलनेस (unlawful-ness) इस जनता के अन्दर प्रिवेल करे और आप लोगों के सेन्टीमेन्टल प्रवाह के अन्दर बात बढ़ती हुई चली जाय। मैं यह मानता हूं कि भूस्वामी आंदोलन को मान्यता ही न दी जाय। लेकिन यह मान्यता दी गई सरकार की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री ने गये सेशन में इस बात से इन्कार किया था। इस सेशन में भी इन्कार किया। लेकिन जब एक पत्र यहां पर पेश किया गया तो यह मालुम हुआ। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक चिट्ठी ठाकुर मदनसिंह जी आफ दांता को लिखी, जो स्वयं भूस्वामी तो नहीं है, लेकिन भूस्वामी आंदोलन को चलाने वाले कर्णधार हैं। उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि इस आंदोलन के सिलसिले में वे उस तरीके से, इस बुनियाद पर बातें करना चाहते हैं इसके प्रतिनिधियों से। देना चाहते हैं इस किस्म से। उसके बाद क्या भूस्वामी आंदोलन को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता है ? जरूर मिलता है। उसके लिए जब कोई साथी नहीं सलाह देता है तो यह कहा जाता है कि कल तक वे यहां बैठे हुए थे और आज यहां आ बैठे हैं तो एक दूसरी भावना से बात करते हैं। उनकी यह बात शंका में डालती है कि सही मामले में आपके शुभचिन्तक इस तरह से धोखा देते हैं। आपका गलत समर्थन करने वाले जो लोग हैं, किसानों के हिमायती बनते हैं, आपकी तरफ बैठकर यह डिक्लेयर करने वाले सच को छोड़कर भूंठ बोलने लगते हैं। उनका यह सोचने का तरीका नहीं रहना चाहिए। कुछ बातें ऐसी नजर आई हैं कि जिन बातों से यह मालुम होता है कि इस फूट परस्ती से सचमुच हम नाजीवाद की तरफ तो नहीं बढ़ते जा रहे हैं। हमारे एक साथी ने कहा था कि इसका बहुत बड़ा विरोध किया गया था। मैं अब कहना चाहता हूं, फिर कहना चाहता हूँ कि यह भावना नाजीवाद की भावना है। उन बेन्चज के कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि ६ नवम्बर से पहले जो शासन में बैठे हुए लोग थे वे रामराज्य नहीं ले आये। उसके बाद में कुछ अशांति पैदा हुई, न वे लाये थे, इतना जल्दी संभव भी नहीं है, आप भी नहीं ला सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर थी कि डिमार्केशन लाइन क्या हो और उसके बाद तय कर दिया कि जो आदमी प्रेजेंट नेता को वोट देंगे उस आदमी की कन्स्टीटुएन्सी में अच्छे अच्छे काम देदेंगे, वहां सड़कें बनायेंगे, सारे काम काज होंगे और जिन जिन ने व्यास जी को वोट दिया है उनकी कन्स्टीटुएन्सी में चालू काम रोक दिये जायेंगे। यह चीज नहीं होनी चाहिए थी। यह नाजीवाद की भावना नहीं है तो क्या है ? डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र प्रणाली के अन्दर यह नहीं होता है कि इस बात की बन्दिश हो कि इस पक्ष के लोग बोलें, इन बेंचों पर बैठकर अपने इन साथियों से कुछ बात बताना चाहते हैं तो वे इन बेंचों पर बैठकर नहीं कह सकते हैं। मैं कहता हूं कि इन बेंचों पर बैठकर ही क्या आपके घर में लोग कहने लगेंगे अगर इस तरह की पक्षपात पूर्ण बातें होंगी तो, एक बाप के पांच बेटे थे उनमें से एक के साथ उसने बहुत सराहनीय बर्ताव किया और दूसरे ४ के साथ दुर्व्यवहार किया तो वे भी उसके खिलाफ कहने लगेंगे। यह गलत तरीका है कि तमाम लोग खुशामद की बातें कह सकते हैं। तो मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी धमकी की बातें नहीं कही जानी चाहिए।

[श्री रामकरण जोशी]

अनुशासन की बात कहते हुए हमारे साथियों को सोचना चाहिए था कि जिस समय ६ नवम्बर से पहले उनके साथी बेताब थे, उस बात के लिए कि वे उन बेंचों पर नहीं रहे थे, और वे पार्टी के सेक्रेटरी थे, उस वक्त माननीय अध्यक्ष के खिलाफ उन्होने ने दस्तखत की कार्यवाही की थी। राजस्थान विधान सभा के इतिहास में और दुनिया की दूसरी विधान सभाओं के इतिहास में, इस तरीके की कोई दूसरी इन्डिसीप्लिन की कार्यवाही नहीं हो सकती, उनकी सूचना मैंने तत्काल ही हमारे डिप्टी लीडर जो कि आज सदन के मुख्य नेता हैं उनके पास की थी, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया और कहा था कि चलने देना चाहिए। तब आपने खूब रास्ता अख्त्यार किया था डिसिप्लिन बनाये रखने का। उस वक्त डिसिप्लिन की कोई बात नहीं हो सकती थी और आज डिसिप्लिन की बात के लिए कहा जाता है कि इस सदन में यहां इन बेंचों पर नहीं सदन से दूर नजर आयेंगे। यह भावना व्यक्त की जाती है कि आप सदन में नहीं होंगे। बहुत अच्छा साहब आपका नाजीवाद चला तो हम क्या कोई नहीं होंगे। आपका नाजीवाद कामयाब हुआ तो बिल्कुल ठीक है कि कई इस तरह के लोगों की खाल खींची जा सकती है। मैं मानता हूं कि आपकी जनरल नीति नहीं रही तो कम से कम अन्यायी कहलाये जाने वालों के साथी कहलाये जाने की अपेक्षा अलग हो जाना बहतर समझेंगे। एक दिन सुशीला नैयर नहीं (मृदुला साराभाई) यहां पर आई थीं तो उन्होंने अपनी बातों में यह कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मौजूद हैं इसीलिए लोग कुर्सी छोड़ने के बाद इस तरीके से आजाद बैठे हुए हैं नहीं तो विहाइन्ड दी बार्स होते। तो मुझे हंसी आई कि क्या हमारे साथी ऐसा भी कर सकते हैं? वह अपना ही अपना सोचकर शासन करते हैं तो क्या वे इस हद तक जा सकते हैं? तो फिर नाजीवाद की भावना में और क्या फर्क रह जाता है। मास्टर भोलानाथजी अपने दर्द को प्रकट कर देते हैं, शासन से अपनी तकलीफ प्रकट कर देते हैं तो शासक साथी कहते हैं कि यह ठीक नहीं हुआ है। इससे लोगों में दुर्भावना शासन के प्रति फैलती है, कांग्रेस के प्रति फैलती है तो उसकी उनको सजा दी जाती है कि वे आयन्दा एस्टीमेट्स कमेटी में खड़े नहीं हो सकते। अगर वे इस तरह का भाषण देते हैं जो कि डिसिप्लिन पर असर करता है तो महरबानी करके उन्हें नोटिस दे दीजिये लेकिन बदले की भावना से ऐसा निर्णय करें कि एस्टीमेट कमेटी में खड़े होने की इजाजत नहीं पा सकते क्योंकि उन्होंने इस तरीके का भाषण दिया तो उचित नहीं कहला सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्य सचेतक महोदय से कि इस प्रकार की विज्ञप्ति निकालनी कहां तक उचित है कि सदन में जो बोलेगा वह उनकी अनुमति से बोलेगा। किसी भी डेमोक्रेटिक संस्था के सचेतक के लिए वाजिब नहीं है। मैं एक दफा स्वतंत्रता से पहले ग्वालियर गया था वहां के एस. डी. ओ. जो सूबा कहलाते थे उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या भाषण देना चाहते हैं वह मुझे बताइयेगा उसके बाद भाषण दे सकते हैं। यह मन्दसौर का जिक्र है। मैने कहा कि मैं जो बोलूंगा वह उस वक्त लिखवा लीजिए और सुन लीजिये। तो उन्होंने कहा कि मैं बोलने नहीं दूंगा और गिरफ्तार कर लूंगा और उन्होंने मुझे गिरफ्तार भी कर लिये पर लोगों ने अनुचित बताया था सदन के अन्दर बोलने वाले बोलेंगे। इस विज्ञप्ति ने उस मनोवृत्ति का परिचय अवश्य दिया है जिस मनोवृत्ति की तरफ लोगों ने इशारा किया था। यदि वे

[श्री रामकरण जोशी]

स्पष्टवादिता से नाराज हैं तो वे अपने उस तरीके को बदल दें और तभी विश्वास किया जा सकता है, नहीं तो जो नाजीवाद पनप रहा है और चल रहा है, मैं इसलिए कहता हूं कि वह जनतंत्र प्रणाली इसके लिए खतरा है। और नजीर देना चाहता हूँ मैं इस बारे की। इस सरकार के जो आई. ए. एस. या आर. ए. एस. ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक एडीशनल कलेक्टर मि० डी. एस. मेहता हैं। वो एक बड़ी मजेदार बात है। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, सदन समय देना चाहेगा तो मैं बताऊंगा। १६ फरवरी १९५५ को उन्होंने जयदत्त नाम के रेवेन्यू इन्सपेक्टर को दो चार्ज शीट दी हैं और पहली चार्ज शीट दी है उसकी यह ट्रू कापी है, फोटोस्टेट कापी है। उन्होंने जो चार्ज शीट पहले दी वे गैर कानूनी थी, गलत थी, ठीक नहीं। चार्ज शीट जल्दी में गलत तरीके से दे दी गई (अश्रव्य)। यह कार्यवाही शासक दल के मुख्य व्यक्ति को संतोष देने के लिए की गई लेकिन इसमें देखा गया कि यह ठीक नहीं है, यह चार्ज शीट वापिस लेकर उसी तारीख में दूसरी सौंप दी। फाइल का कागज बदल दिया। उस आदमी ने पहली फोटोस्टेट कापी ले ली, जो कि यह मौजूद है। उसके बाद उस आदमी को दूसरी उसी तारीख में दी जाती है, पुरानी निकाल दी जाती है और १६ फरवरी १९५५ की उन्हीं नम्बरों की दूसरी रख दी जाती है। ये आर. ए. एस. और आई. ए. एस. ऑफिसर्स करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसके जिम्मेदार मुख्य मंत्री हैं और उनके इशारे से की गई है। लेकिन शासन के वर्तमान रूप को देखकर उनकी हिम्मत हो जाती है जो कि हमारे लिए शर्मनाक बात है। अच्छी बात नहीं है।

मैं आपके बजट पर बोलते हुए बताना चाहता था कि खाद का कारखाना राजस्थान में कायम नहीं हो रहा है और इतनी बड़ी इन्डस्ट्री हो तो राजस्थान का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है और राजस्थान की तरक्की में योग दिया जा सकता है। हनुमानगढ़ के बारे में कई दफा जिक्र किया गया। हनुमानगढ़ के खिलाफ मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मुझे दिल्ली में मालूम हुआ कि हनुमानगढ़ में खाद का कारखाना लगाना एक्सपर्ट लोगों ने इसलिये उपयुक्त नहीं समझा कि यह पाकिस्तान से केवल ५५ मील की दूरी पर है और उस जगह पर यह करोड़ों रुपयों को लगाकर खतरा मोल नहीं लेना चाहते।

(घंटी)

खाद का कारखाना ऐसी जगह होना चाहिए कि जहां पर मीटर गेज और ब्राडगेज दोनों चलती हों जिससे कि खाद की सप्लाई हो सके। इसके लिए सवाई मधोपुर, कोटा, भरतपुर ये स्थान हो सकते हैं जहां कि मीटरगेज और ब्राडगेज दोनों ही आजाती हैं और मैं समझता हूं कि खाद को सब जगह आसानी से पहुँचाया जा सकता है। लेकिन नहीं। जब मनोवृत्ति फासिज्म और नाज़िज्म की ओर जाती है तब विशेष व्यक्तियों को, विशेष स्थानों को, और विशेष तौर तरीके काम में लाये जाते हैं और विशेष लोगों को फायदा पहुँचे। हनुमानगढ़ के समान सवाई मधोपुर, कोटा, भरतपुर हो सकते हैं लेकिन इस लेक ओफ इन्टलीजेन्स की वजह से उस इन्डस्ट्री को खो दिया।

[श्री रामकरण जोशी]

धौलपुर के अन्दर आपने सुना होगा कि लेट हिज हाइनेस के कोई वारिस मेल नहीं है और जब तक उनके सामान पर वारिसात का झगड़ा तय हो गवर्नमेन्ट का इन्तजाम रखना था उनकी मिलकियत पर तो उसका चार्ज लिया तत्कालीन कमिश्नर जयपुर ने जो कि आज एडीश्नल चीफ सेक्रेटरी हैं। सरकार के उनकी मिलकियत और सामान का चार्ज लेने के पश्चात लगातार ताले और सीलें टूटीं हैं और चोरियां हुई हैं। पता नहीं लगा कि कितना सामान चोरी चला गया। मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में लार्ड हेस्टिंग्स को इम्पीच (Impeach) किया गया था। अवध की बेगमों के जवाहिरात छीनने की कार्यवाही पर केस चला था। यह उस जमाने की बात है जिस सरकार को दकियानूसी और विदेशी समझ कर बात करते थे लेकिन सन् ५५ में कांग्रेस सरकार में जवाहरात की चोरी होती है, जवाहरात सरकार के कब्जे से चोरी हो जाते हैं, जिम्मेदारी किस की थी इसकी कोई कार्यवाही नहीं होती, धौलपुर की विधवा महारानी लुट जाती है।

अगर हम लोगों को आगे बढ़ना हैं तो सोच समझ कर काम करें, सोशलिस्टिक पेटर्न की ओर लेजाना चाहते हैं तो अनुपयुक्त बातों को छोड़ना पड़ेगा। मैं निहायत अदब से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने मन से विद्वेष भाव को दूर करके जो सदन के सदस्यों ने सलाह दी है, सुझाव दिये हैं उनका अमल करने की कोशिश करेंगे। गरीब और कम वेतन पाने वाले आदमियों की वेतन दर ऊंची बढ़ावेंगे। राजस्थान की इन्डस्ट्रीज को आगे बढ़ावेंगे और तब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सोशलिस्टिक पेटर्न की ओर बढ़ सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री दामोदर व्यास।

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिनके बारे में मुझे कुछ कहना जरूरी होगया है, थोड़ा समय मुझे भी बोलने के लिये दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैंने पहले ही टाइम नियत कर दिया था। ४० आदमी बोल चुके हैं, पहले २५ से अधिक नहीं बोले थे। इस पर जो वाद-विवाद है वह कुछ सीमा तक वांछनीय नहीं है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था।

श्री जयनारायण व्यास—अध्यक्ष महोदय, आपने यह फरमाया था कि कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जो वांछनीय नहीं हैं और इन बातों में कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो मुझसे व्यक्तिगत सम्बन्ध रखती हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप दो मिनिट देंगे तो मैं उनको साफ करना चाहूंगा और नहीं देंगे तो गवर्नमेन्ट की ओर से कही गई हैं मैं ऐसा मान कर संतोष कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष—कहिये साहब।

श्री जयनारायण व्यास—यह कहा गया है जैसा कि, यहां आने के बाद मैंने सुना कि जागीरदारान साहबान जो कांग्रेस में आये हैं वे मेरी कुर्सी को बचाने के लिये आये थे और इसलिये उन्हें लिया गया था। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा कोई शरारत से भरा हुआ झूंठ नहीं हो सकता है। जागीरदारों को कभी मैंने नहीं बुलाया। जागीरदारों

('शेम शेम' की आवाज)

से बातचीत श्री कमलनयन बजाज ने नवलगढ़ हाउस में की, जिसमें मैं शरीक नहीं था। बातचीत, पत्र व्यवहार जो किया था उसकी नकल तक मुझे नहीं भेजी थी जब कि सुखाड़िया जी, माणिक्यलाल जी, आदित्येन्द्रजी को भेजी गई थी। कहा गया कि उनको गांठा, मेम्बर बनकर जाइये, पार्टी में आइये, ये ये जो चीजें कही गई हैं मैं समझता हूं गलत चीजें कही गई हैं, और उनको मैं इनकार करता हूँ।

दूसरी बात यह कही गई है कि इधर बैठ गये तो इधर की बातें करते हैं, उधर बैठ गये तो उधर की बातें करते हैं, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता था लेकिन मैं इतना ही विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि चाहे इधर बैठें या उधर बैठें, चाहे आसमान पर उड़ते रहें, जो बातें कहनी हैं, कहना हैं, अपनी बातें होंगी कहेंगे, अपनी बातें ऐसी हों कि जो नहीं कहना चाहते। जागीरदारों के विषय में भ्रम फैलाया गया है, वह मैं साफ कर देना चाहता हूँ।

श्री दिलीपसिंह—आपने कहा था क्या कि पांच हजार की जागीरों से नीचे की जागीरें नहीं लेना चाहिये?

श्री जयनारायण व्यास—सन् १९५१ के कानून में पांच हजार की जागीरों को नहीं लेना चाहते थे, ऐसी सलाह दी थी और कानूनी क्षेत्र में नहीं आयी थी। जागीरदारी खत्म करना था तो इसको दूसरी स्टेज में लेना चाहिये, ऐसी राय दी थी। ऐसे भाई थे जो इस पोइन्ट को दूसरी स्टेज पर नहीं लेना चाहते थे और साथ ही लेना चाहते थे। मेरी राय तो अलग स्टेज में लेने की थी। उन्होंने राय की परवाह नहीं की। पुराने कानून को बदला जिसमें पांच हजार से नीचे की जागीर नहीं थी। उसको ले लेने के श्रेय और खराबी के लिये अपने आपको जिम्मेदार नहीं मानता। पांच हजार की जागीर ले लीं, ले लेनी चाहिये और दूसरी स्टेज की राह नहीं रखी. कांग्रेस ने तय कर लिया, लेजिस्लेचर ने तय कर लिया, तो ले लिया है, मैं अपनी राय में मैंने कपटपन नहीं रखा है।

श्री अध्यक्ष—श्री दामोदरलाल अपना भाषण शुरू करें।

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय, अभी और भी काफी लोग बोलने बाकी हैं। हम पर यह बाधा नहीं लगावेंगे तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—आप कट-मोशन पर बोल सकते हैं और भी बोलने के मौके आयेंगे। अभी हाउस काफी लम्बा चलेगा।

श्री लालबहादुर—हम लोगों ने कइयों ने नाम दे रखे हैं, लेकिन हमें बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष—Order please !

वैसे बजट पर बोलने के लिये काफी समय दिया जा चुका है और जो निर्धारित समय था उससे हमने एक रोज और आगे बढ़ा दिया। यदि पिछले सारे बजट वाद-विवाद पर दृष्टिपात किया जाय तो मैं समझता हूँ कि पिछले बजट के अवसर पर जितने लोग बोला करते थे उससे दूने लोग बोल गये। यह संभव नहीं है कि सदन के सारे के सारे सदस्य बोलें और उनको यह भी समझ लेना चाहिये कि बोलने का सदस्यों को पूरा अधिकार है, यह समझते हों तो वह अधिकार भी नहीं है क्योंकि बोलने का अधिकार उसी माने में पैदा होता है जब कि समय का विभाजन करते हैं, पार्टीज के प्रतिनिधियों के रूप में। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि, संयुक्त दल के प्रतिनिधि, और स्वतंत्र सदस्यों के खास खास आदमी जब बोल लेते हैं तो उन पार्टीज के और सदस्यों को बोलने का अधिकार नहीं रहता। इसी तरह से हर सदस्य अपने अपने प्रतिनिधि क्षेत्र के विषय में बोलने को खड़ा हो जाय तब तो १६० सदस्य बोलते रहेंगे और १६० दिन तक बोलते रहेंगे। मैं परम्परा के नाते यह स्पष्ट करदूं कि बहुत रियायत दी गई है। दूने सदस्य बोल चुके हैं। इस पर भी यदि कुछ कहना है तो कट मोशन के समय अपने अपने क्षेत्रों के संबंध में बोल लें और समय दिया जायगा अवश्य। मेरी मंशा किसी सदस्य को बोलने से रोकने को नहीं है लेकिन यदि इसी तरह से काम चलता रहा तो सदन की कार्यवाही चलनी मुश्किल हो जायगी। इसलिये मैं आशा करूंगा कि माननीय सदस्य मुझसे सहयोग करें। सेशन काफी लंबा चलेगा। यदि वे समझते हों कि कोई बात रह गई है तो कट मोशन के समय कह सकते हैं। यदि वे यह चाहें कि कट मोशन पर ही जवाब दें तो यह समीचीन नहीं होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, पिछले चार रोज से बजट पर जो वाद-विवाद चल रहा है उसके बीच में मुझसे संबंधित विभागों की जो आलोचना की गई है उसका मैं जबाब देना चाहता हूं।

सबसे पहले विरोधी पक्ष के नेता ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के बारे में यह बताया कि जो जागीरें कोर्ट ऑफ वार्ड्स में हैं उनके बारे में जो पोलिसी सरकार ने डिक्लेअर की है उसके माफिक नहीं किया जा रहा है, बल्कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के बारे में दो उदाहरण आपने अपने इलाके के बारे के पेश किये और फरमाया कि बावजूद तमाम कोशिश के उनको छुट्टी नहीं दी। मैं समझता हूँ, विरोधि पक्ष के नेता को शायद सही स्थिति का पता नहीं था। सरकार की यह नीति है कि कोर्ट आफ वार्ड्स के महकमे को समाप्त किया जाय और कोर्ट आफ वार्ड्स से जागीरें मुक्त की जांय और कई जागीरें मुक्त की जा चुकी है। जिन दो जागीरों का जिक्र माननीय

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

विरोधी दल के नेता ने किया उनमें से एक का नाम है देरासर। जिस वक्त माननीय

Page No.23

[श्री दामोदरलाल व्यास]

विरोधी दल के नेता ने भाषण दिया उस समय उनके ध्यान में यह नहीं था कि उस जागीर को कोर्ट ऑफ वार्ड्स से मुक्त कर दिया गया था। १० जनवरी, १९५६ को राजस्व विभाग से आदेश जा चुका था। यह जागीरदार पागल है और यह आदेश दिया गया था कि इसका गार्जियन मुकर्रर किया जाय। जो जागीरदार नाबालिग है या पागल है या अन्य कारणों से खुद इन्तजाम नहीं कर सकता हो तो उसकी पर्सनल प्रोपर्टी के लिये किसी गार्जियन को मुकर्रर किया जाता है। जो सेन्ट्रल व डिविजनल जागीर एडवाइज़री कमेटी बनी हुई है उसकी राय के माफिक उक्त जागीरदार के किसी नजदीकी रिश्तेदार को मुकर्रर किया जाता है। उसी के तहत देवास जागीर के बारे में भी आदेश दिया गया है कि उनके नजदीकी रिश्तेदार श्री मूलसिंह को उनका गार्जियन माना जाय।

उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया था नोखा जागीर के बारे में। नोखा जागीर नहीं छोड़ी गई है और उसको नहीं छोड़ने का दोष नोखा के जागीरदार का है। जागीर रिज़म्पशन एक्ट की दफा ३७ की तहत एक बोंड भरना जरूरी था कि जितना कर्जा सरकार का उनके ऊपर है, उसको कंपेनसेशन की रकम में से देंगे। वह बोंड उन्होंने आज तक नहीं भरा हालांकि दिसम्बर में आखिर में ऐसा आदेश कमिश्नर बीकानेर ने दिया था कि बोंड भरा दिया जाय। इसी तरह से मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हम कोर्ट ऑफ वार्ड्स के महकमें में जागीरों को ज्यादा अर्से तक नहीं रखना चाहते जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ना चाहते हैं। यदि देरी होती है तो संबंधित जागीरदारों की तरफ से ही होती है, न कि सरकार की तरफ से।

परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने रूपनगर तहसील में बेजा तरीके से लगान वसूल करने के बारे में कहा और उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व विभाग के उप मंत्री श्री संपतरामजी से शिकायत की और उन्होंने जो एक्शन लिया उसका कलेक्टर ने पालन नहीं किया। समय कम था इसलिए मैं पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सका लेकिन उनको मैंने प्रश्न के जवाब में कहा था कि मैं इसकी इन्क्वायरी करूंगा। यदि किसी ने किसानों से ज्यादा लगान वसूल किया है और कलेक्टर ने आदेश का पालन नहीं किया है और जान बूझ कर बकाया लगान वसूल किया है तो मैं उसकी इन्क्वायरी कराऊंगा और साथ ही सदस्य महोदय से भी चाहूँगा कि वे मेरी इस काम में इमदाद करें। यों कि मुझे शक है कि वे सदन में बात कह देते हैं और जब इन्क्वायरी कराते हैं तो सहयोग नहीं देते। गत अधिवेशन में मुख्य मंत्रीजी के एक स्टेटमेन्ट को आपने चेलेन्ज किया था कि किशनगढ़ सब डिवीजन के तालाब टूटने से तल गांव के मकानों को नुकसान नहीं हुआ है। मुख्य मंत्रीजी ने कलेक्टर, जयपुर को १००० रुपया का चेक देकर वहां भेजा कि फौरन उन लोगों को रिलीफ दिया जाय जिन लोगों का नुकसान हुआ है। कलेक्टर जयपुर वहां गये और उन्होंने वापिस आकर रिपोर्ट की कि रिलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि किसी का नुकसान नहीं हुआ है। कलेक्टर की इस रिपोर्ट को चैलेन्ज किया गया और कहा कि कलेक्टर की रिपोर्ट गलत है। दूसरे रोज मैंने उनको पत्र लिखा कि यदि कलेक्टर की रिपोर्ट गलत है तो मैं इसकी जांच करने के लिए कमिश्नर को भेजना चाहता हूं, आपको किस तारीख को समय मिलेगा। उस पत्र का

[श्री दामोदरलाल व्यास]

जवाब आपकी तरफ से मुझे आज तक नहीं मिला। उस पर फिर रिमाइन्डर भेजा कि आप पत्र का जवाब दीजिये लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—On a point of explanation Sir.........

(घंटी)

सरकार की तरफ से दूसरे प्रश्न के जवाब में यह बता दिया गया था कि पहले वाला जवाब जो दिया गया वह गलत था।

श्री दामोदरलाल व्यास—सरकार की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं दिया गया, मगर इस बात से माननीय सदस्य इन्कार नहीं करते कि उनको दो पत्र दिये गये लेकिन वे इन्क्वायरी कराने के लिये तैयार नहीं हुए। चूंकि उन्होंने रूपनगर के बारे में आलोचना की है इसलिये यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर किसी ने गड़बड़ की है तो उसके लिये इन्क्वायरी करावेंगे और जिसने गड़बड़ की है उसको अवश्य सजा दी जावेगी। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पिछली बार की तरह इन्क्वायरी कराने में अलग न रहें और अपना पूरा पूरा सहयोग इन्क्वायरी कराने में दें। मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि यहां सदन में आकर कहा जाता है और स्टेटमेंट को चेलेंज किया जाता है वे लोग उसको परस्यू करें और जब इन्क्वायरी हो तो उसमें मदद करें। मेरा मतलब इसके अलावा उन पर और कोई बात का चार्ज लगाने का नहीं था।

तीसरी बात गंगानगर से आनेवाले सदस्यों ने कही कि पोलिटिकल सफरर्र को भाखरा और चम्बल में बहुत सी जमीन दी जा रही है। इस सम्बंध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि अभी तक हम पोलिटिकल सफरर्स के लिये नियम बना रहे है। कोई जमीन किसी को नहीं दी गई है।

श्री गुरुदयाल सिंह संधु—मैंने भाखरा का नाम नहीं लिया।

(घंटी)

श्री दामोदर लाल व्यास—जितने पोलिटिकल सफरर्स हैं उनमें किसी को भी मेरी जानकारी में जमीन नहीं दी गई है।

श्री चांदमल मेहता—आपकी जानकारी के बाहर किसी को दी गई हो तो बता दें ?

श्री गुरुदयाल सिंह संधु—यह बिल्कुल ठीक है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं कई दफा कह चुका हूं कि आप उनके नाम बतायें, उसकी जानकारी प्राप्त की जावेगी। मैं यह कह सकता हूं कि इसके लिये काफी दरख्वास्तें पेश हुई लेकिन—

[श्री दामोदरलाल व्यास]

अभी तक इसके लिये नियम बन रहे हैं। जो लोग उसके बने हुए नियमों में आवेंगे उनको जमीनें दे दी जावेंगी। इसके बावजूद भी अगर कोई चीज आपके ध्यान में हो तो आप बता दीजिये कि गलत तरीके से जमीन दे दी गई है। मैं इसके लिये इन्क्वायरी करने के लिये तैयार हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास— मैं नाम अभी बता सकता हूँ ?

श्री नाथुराम मिर्धा— यहां पर नाम बताने से कोई फायदा नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास— इसके अलावा नाथद्वारा के मंदिर को लेकर कई प्रकार की आलोचना हुई है। मैं समझता हूं कि इस विषय को लेकर जो आलोचना की गई है अगर उस विषय पर माननीय सदस्यों को सही सूचना होती तो इस प्रकार की आलोचना नहीं होती। कुछ अखबारों में गलत सूचना और समाचार प्रकाशित हुए उसके बेसिस पर सदस्यों ने अपने विचार बना लिये और उसके आधार पर ही यहां पर आलोचना की गई लेकिन नाथद्वारा के संबंध में कोई ऐसी बात नहीं थी जैसी की कही गई है, जो स्कीम सरकार द्वारा स्वीकार की गई उसमें कोई ऐसी बात नहीं जैसी कही गई है। इसमें कहा गया है कि श्रीनाथ जी के महन्त को एलाउन्स दिया गया। (२) करोडों रुपये की संपति थी वह सारी फिर सरकार ने महाराज को दे दी। (३) यह बात कही जा रही है कि तिलकायत जी महाराज ने जो ट्रस्ट कायम किया उसको खत्म कर दिया।

मैं इस सम्बन्ध में आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आरोप लगाये गये हैं वे सब गलत सूचना पर और सही स्थिति की जानकारी नहीं होने के कारण ही हैं। अगर सही सूचना होती तो किसी प्रकार की आलोचना नहीं होती। जैसा मैंने अर्ज किया कि नाथद्वारा का मन्दिर हमारे देश में एक बहुत बड़ा मन्दिर है और वैष्णव समाज के लोगों को इसके प्रति काफी श्रद्धा है। आपको सबको मालूम है कि मन्दिर में द इन्तजामी हुई। राजस्थान सरकार ने इस मन्दिर को अपने अधिकार में यानि कोर्ट ऑफ वार्डस में लेने की कोशिश की। १९५३ में यकायक जून के महीने में जहां तक मेरा ख्याल है महाराज ने पावर ऑफ एटोरनी के जरिये २१ आदमियों के हक में मुख्तयारनामा आप दे दिया और मन्दिर के इन्तजाम के लिए यह अधिकार दे दिया कि सारा इन्तजाम मेनेजिंग कमेटी करेगी और उस कमेटी के सदस्य जनरल पावर ऑफ एटोरनी केद्वारा मुकर्रर किए गए। इस तरह से जून में ऐसा हुआ। मगर यह इन्टेरीम एरेन्जमेंट था। कोई स्कीम, उस वक्त नहीं बनी। यह तय हुआ कि पार्टी अपनी तरफ से दावा करके डिग्री हासिल करें। क्योंकि आपस में कोई फैसला नहीं हो सका। इसलिए यह पावर ऑफ एटोरनी की तहत में ऐसा किया और सरकार द्वारा महाराज तिलकायतजी को कोन्सटीट्युशनल हैड रखा गया है। इसके बाद महाराज को शर्तें स्वीकार नहीं हुई। इसलिये उन्होंने अपने आप उस कमेटी को तोडना चाहा मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि पावर ऑफ एटोरनी का जहां तक सम्बन्ध है वह इस बात को महसूस करेंगे कि पावर ऑफ एटोरनी को कभी भी वह वापिस ले सकता है उसका उसको पूरा अधिकार है! वह चाहें तो उसको कैंसिल करे या इन्कार करें। वह कमेटी कभी भी कैंसल हो सकती है। सरकार ने उस कमेटी को कैंसल करदी यह बात जैसा उन्होंने कहा........

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं इसमें स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मैंने यह नहीं कहा कि सरकार ने वह कमेटी कैंसिल करदी। महाराज को जब मालूम हुआ कि गवर्नमेंट बदल गई है तो उन्होंने पावर ओफ एटोरनी को कैंसल कर दिया। एक समय था जब उन्होंने अपने आप महसूस किया था और इस प्रकार की कमेटी बनाई थी। गवर्नमेंट बदली मगर स्थिति तो बदली नहीं उन्होंने पावर ओफ एटोरनी से मुकर जाने के लिये अपने आपको स्ट्रोंग इनफ समझा और वह गवर्नमेंट की सहायता से आने लगी।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कह रहा था कि गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने नहीं कहा। It is not that. I never said that उनको कानूनी हक था।

(घंटी)

उनको ऐसा करने का कानूनी हक उस समय भी था। लेकिन स्थिति का दबाव ऐसा था। लेकिन उस सरकार के बदलने के बाद उनका वही हक था जिसको रिवोक कर दिया।

(घंटी)

मैंने नहीं कहा कि गवर्नमेंट ने किया।

श्री दामोदरलाल व्यास (जारी)—

माननीय उपाध्यक्ष, जैसा कि मैंने अर्ज किया सन् १९५३ में उस पावर आफ एटोरनीं और उस कमेटी के बीच अच्छे सम्बन्ध नहीं थे। फरवरी १९५४ में तिलकायत महाराज के जो कानूनी मशीर थे उनको लेकर जयपुर श्रद्धेय व्यास जी जब चीफ मिनिस्टर थे उनके पास आये। उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की वे पावर आफ एटोर्नी को कैंसिल कराना चाहते हैं। श्रद्धेय व्यासजी ने कहा कि पावर आफ एटोंनी खुद की बनायी हुई है उन को कैंसिल करने का अधिकार है। राजस्थान सरकार भी यह चाहती थी कि इस मन्दिर का इन्तजाम ऐसा रहे जिसमें किसी प्रकार की गड़बडी न रहे। श्रद्धेय व्यासजी ने राय दी कि कमेटी की मीटिंग बुलाई जाय और वह इन सारी बातों पर विचार करे। चुनाचे उस कमेटी की मीटिंग १७–५–५४ को बुलाई गई और उनसे कहा गया कि तुम्हारे जितने भी मतभेद हैं उसमें तिलकायत महाराज भी थे आपस में जितने भी मतभेद हैं उन पर विचार करो जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ पावर आफ एटोर्नी का इन्तजाम था वह परमानेन्ट नहीं था अन्तरिम काल से लिए किया गया था वह एक इन्तजाम एक खास टर्म के अन्तर्गत था। उस मीटिंग में ट्रस्ट का भी सुझाव दिया गया मीटिंग होती रही लेकिन किसी अन्तिम निर्णय पर वे उस समय नहीं पहुँच पाये। सरकार का दृष्टिकोण यह था कि कमेटी तिलकायत महाराज, और हिन्दुस्तान के जितने वैष्णव हैं वे सब मिल कर ऐसी एग्रीड स्कीम तैयार करलें जिसको गवर्नमेंट मानने को तैयार होती। मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां

[श्री दामोदरलाल व्यास]

तक श्रीनाथजी के मन्दिर का सवाल है इसका खुद का एक बहुत बड़ा बजट है राजस्थान सरकार की करीब दो लाख की जायदाद की जागीर इस मन्दिर को दी हुई है । इसके साथ साथ मैं यह निवेदन कर दूं जो कमेटी पहले जनरल पावर ऑफ एटोर्नी के तहत में बनी थी उसमें राजस्थान का एक मेम्बर भी नहीं था नाथद्वारे का एक भी मेम्बर नहीं था। राजस्थान सरकार कहीं पिक्चर में नहीं थी जब कि राजस्थान सरकार की दो लाख की जायदाद उनको दी हुई है। जब इस सम्बन्ध में मीटिंग नाथद्वारा में हुई उस समय हमारे राज्य के मुख्य मन्त्री देवस्थान विभाग के मन्त्री और तिलकायत महाराज के साथ काफी विचार किया ताकि किसी तरह से इस सम्पत्ति का स्थाई इन्तजाम कर लिया जाय । ताकि मन्दिर का इन्तजाम ठीक प्रकार से हो सके । उसके बाद दो तीन मिटिंगें हुई यहां हुई नाथद्वारे में हुई । उस मीटिंग में माननीय मुख्य मन्त्री भी उसमें मौजूद थे जहां वैष्णव भी काफी संख्या में इकट्ठे हुए थे उनसे कहा गया कि आप और तिलकायत महाराज आपस में बैठ कर एक राय होकर जो भी स्कीम रखेंगे उस स्कीम को सरकार स्वीकार कर लेगी सरकार की तरफ से जो कमेटी से कहा गया वो यह था ही उसमें खास समस्या जो नाथद्वारे की थी वह यह थी कि उस मन्दिर से करीब ३-४ हजार लोगों को रोजगार मिलता था जिन लोगों का सम्बन्ध उस मन्दिर से रहा है जिनको इसी मन्दिर से खाना वगैरह मिलता था कम से कम उनके वास्ते ऐसी व्यवस्था करदी जाय उनके रोजगार हासिल रहे जो कमेटी या ट्रस्ट बना दिया जाय उन लोगो को ब्लैंक चेक न मिल सके और जो नोकर थे उनको नोकरी से न निकाल दें बिना किसी कारण, न उनको नोकरी से अलग कर सकते हैं न उनको सजा भी दें, यह उनसे कहा गया । मन्दिर के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए ऐसे नियम बना दिये जांय ताकि उनका Appointment व पनशिमेंट, उनको सरविस से अलहदा करना आदि सब कार्य नियम के तहत होने लगें ।

दूसरी बात यह कही गई कि उस कमेटी में राजस्थान वासियों का रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये । वहां जो भी वैष्णव इकट्ठे हुये थे उन्होंने उनकी व तिलकायत महाराज की इस बात की ओर तवज्ह दिलाई । उनसे यह कहा गया कि जो भी पाइन्ट आफ डिफरेन्सेज हैं उनको आपस में एग्री हैं, उन पर करके आप जो भी एग्रीड स्कीम हमें भेजेंगे सरकार उसे स्वीकर कर लेगी उसमें तीन पोइन्टस को खास तोर से ध्यान रखा जाय । वैष्णवों में भी अहमदाबाद के वैष्णवों ने इसे अस्वीकार कर दिया और यह कहा कि हम आपस में एक एग्रीड स्कीम भेज देंगे । उसके कुछ दिनों के बाद तिलकायत महाराज और उनकी जो कानूनी मशीर थे वे एक एग्रीड स्कीम लेकर यहां आये यहां हमने आपसे में मिलकर जो एग्रीड स्कीम थी उसको स्वीकार किया । जिस स्कीम के लिए तीन बातें कही जाती हैं पहली बात यह कही जाती है कि उस स्कीम के अन्दर तिलकायत महाराज का अलाउन्स बहुत बढ़ा दिया जबकि पावर ऑफ एटोरनी ने यह तय किया था कि तिलकायत महाराज को केवल १५०० रुपया महावार दिया जाय मगर महाराज ने यह उस वक्त भी स्वीकार नहीं किया । श्रद्धेय व्यासजी के वक्त भी यह कहा अगर तीन हजार रुपये महावार तक भी तिलकायत महाराज राजी हो जांय तो हम देने को तैयार हैं परन्तु तिलकायत जी ने स्वीकार नहीं किया । उसके बाद यह

[श्री दामोदरलाल व्यास]

तय हुआ कि तिलकायत महाराज जो भी व्यासजी तय कर देंगे मानने के लिए तैयार हैं । व्यासजी ने जुलाई १६५४ में अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिख कर तिलकायत महाराज को दी और उसमें लिखा कि वे तिलकायत महाराज को चार हजार रुपया महावार तक देने के लिए तैयार हैं मगर उस चार हजार रुपये को भी महाराज ने स्वीकार नहीं किया । जो स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट ने मंजूर की उसमें तीन हजार माहवार समचुअरी अलाउन्स की तौर पर मन्जूर किया इसके अलावा जो कुछ मकान, कार और अन्य जो सुविधायें शुरू से इनको मिलती रही हैं वही रखी गई इसके अलावा और किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई । जब कि सरकार चार हजार रुपये देने के लिए पहले तैयार थी तो नई स्कीम के अनुसार हमने तीन हजार रुपये समचुअरी Allowance के तय किये तो यह कह देना कि अलाउन्स बढ़ा दिये गये मैं यह मानता हूँ कि यह गलत सूचना के अनुसार कहा गया है जो वास्तविकता से बहुत दूर है ।

दूसरी आलोचना जो सदन में की गई वे सवा करोड़ के करीब की सम्पत्ति जेवर व जवाहरात हैं उसका भी अधिकार तिलकायत महाराज को दिया गया यह जो कहा गया वास्तव में वह बात नहीं हैं, सरकार के सामने जो स्कीम रखी गई थी उसमें सरकार द्वारा एक क्लाज बढ़ाया गया । जितनी भी चलसम्पत्ति गहने वगैरह हैं उनको तीन भागों में बांटा गया था । एकतो वे गहने जो रोजमर्रा श्रीनाथजीमहाराजके पहनने के काम आते हैं, दूसरे वे गहने जो ओकेजनली सजावट के काम में आते हैं । तीसरे जो सरप्लस हैं । उन सब गहनों को जो सरप्लस हैंउन्हें तीन लोकसिस्टममें रखाजावे । जिसमें एक लाक की चाबी तिलकायत महाराज के अधिकार में रहे, और दूसरीमुखिया साहब के पासरहे और तीसरी सरकारी अधिकारी के पास । इस तरहसे यहकहना कहांतक ठीक है सब सम्पत्ति के अधिकार तिलकायत महाराज को दे दिये । वास्तव में तीन लोक सिस्टम ही इसी लिए रखा गया था कि जब तीनों एक राय होकर इकट्ठा हो जाय तभी इस सम्पत्ति में से बाहर निकल सकता है । और जो इस काम के लिए तीसरा व्यक्ति रखा गया है वह राज्य का सीनियर आफीसर होगा जिसे नियुक्त कमेटी की सिफारिश के ऊपर राजस्थान सरकार करेगी । वह अधिकारी होगा आज भी गवर्नमेंट के सारे मन्दिरों का इन्तजाम ऐसे ही व्यक्तियों के पास रहता है और भविष्य में भी रहेगा इसी प्रकार थ्री लोक सिस्टम कमेटी की जब पहले मीटिंग हुई थी उसकी प्रोसीडिंग में दर्ज है उस कमेटी ने इस बात को स्वीकार किया था और वही सिस्टम आज तक चलता आ रहा है । माननीय अध्यक्ष, मैं सदन की जानकारी के लिए यह अर्ज करूंगा कि दर असल इस स्कीम ने अन्दर कोई अधिकार तिलकायत महाराज को नहीं है जो कुछ भी शर्त उनके साथ तय की गई उसमें काफी प्रोकाशन लिया गया है । थ्री लोक सिस्टम जो इन्ट्रोड्यूस किया गया है उसको वह कमेटी भी स्वीकार करती थी ।

इसके अलावा तीसरी चीज यह, कही गई पावर ऑफ एटोर्नी ने रद्द किया है वह किसी समय श्रद्धेय पालीवालजी भी मानते हैं उनको रद्द करने का अधिकार तिलकराजजी को था । मैंने अर्ज किया किसी व्यक्ति का लिहाज किया गया हो यह बात सही नहीं है ।

[श्री दामोदर लाल व्यास]

दूसरी स्कीम जो राजस्थान सरकार ने स्वीकार की और जो स्कीम आज है उसमें कोई मटेरियली फर्क नहीं, थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर हो सकता है। पहले भी तिलकायत महाराज को कोनस्टीट्यूशनल हैड रखा गया था। उस कमेटी का प्रेसीडेंट भी उन्हीं को किया था जो कुछ भी विधान के अनुसार उनको पावर है उसमें कोई फर्क नहीं अधिकारों की नियुक्ति के बारेमें भी जो प्रोवीजन पहली स्कीम में था वह आज भी है। राजस्थान सरकार की एप्रूवल होकर वह मुकर्रर किया जायगा कमेटी की सिफारिश के ऊपर। मैं यह समझता हूं कि यह कहा जाना कि पूरा प्रबन्ध तिलकायतजी के हाथों में सौंप दिया गया यह ठीक नहीं है। वास्तव में बात यह है कि अपने इस देश में जितने भी वैष्णव लोग है उनमें सिन्ध, मद्रास के एक अहमदाबाद और बम्बई के एक हैदराबाद के ग्रूप अलग अलग हैं ये एक दूसरे से आपस में एग्री नहीं हुए और आज तक एग्री नहीं हो रहे हैं इसको माननीय केन्द्रीय गृह मन्त्री और श्री ढेबर भाई के सामने यह मामला भी पेश हुआ उन्होंने तिलकायत महाराज के साथ आपस में बैठ कर सलाह मशविरा भी किया और इस स्कीम को मान लिया। फिर भी दफा ६२ की तहत अदालत में दावा दायर कर दिया है और इस पर बड़ी बड़ी उजरदारियां पेश हो रही हैं वैष्णव लोग खुद ही इस एग्रीड स्कीम को मानने के लिए तैयार नहीं श्रीनाथ जी के मन्दिर पर अपने अपने अधिकार रखने के लिये आपसी ग्रूप का झगड़ा है इस लिये कोई न कोई ग्रूप एतराज करता ही रहता है।

वरना यह जहां तक उसके सब्सटेंन्स का ताल्लुक है, एन्तजाम का ताल्लुक है, इसकी प्रोपर्टी का ताल्लुक है, सम्चुरी अलाउन्स का ताल्लुक है कोई चीज उस राजस्थान सरकार की स्कीम में एसी नहीं थी कि अनड्यू एडवान्टेज जिससे महाराज को या किसी अधिकारी को मिलता हो। बल्कि मन्दिर की प्रोपर्टी की पूरी सुरक्षितता रखने के लिये प्रीकोशन लिये गये थे। मैं समझता हूँ कि मैंने काफी साफ यह मामला कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को जिन्होंने कि इसकी आलोचना की थी इससे सन्तोष होगा। उत्तराधिकार के मामले में भी कोई गडबडी नहीं हुई। जो स्कीम थी वह सब एग्रीड थी। यह बात कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामकिशोर व्यास—माननीय उपाध्यक्ष जी, आज तीन दिन से बजट पर साधारण वाद–विवाद चल रहा है। इसमें काफी सदस्यों ने भाग लिया और अपने अपने विचार इस सम्बन्ध में प्रकट किये। बहुत सी बातें कह दी गई उनमें से जो बातें मेरे विभाग से सम्बन्ध रखती हैं उनके बारे में प्रकाश डालना उचित समझता हूँ।

सबसे पहले मैं एक आनन्द के भोग की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमारे विरोधी पक्ष के नेता श्री कुंवर जसवन्तसिंह जी ने कहा था कि मुझे आज बड़ा आनन्द आ रहा है कि मैं सारे सदन के सदस्यों को आनन्द दिलाना चाहता हूँ और ऐसे रहस्य का उद्घाटन करना चाहता हूँ जिस पर सदन चुपचाप नहीं रह सकता। मैं भी आनन्द से ही शुरू करना चाहता हूँ कि सबको आनन्द,

[श्री रामकिशोर व्यास]

मिले सही बात के जानने से। मैं समझता हूं कि वे भी आनन्द लेते, पर वे सदन में उपस्थित नहीं हैं।

सरकार की विज्ञापन नीति के बारे में कई प्रकार की बातें कही गईं, सरकार पक्षपात से काम लेती है, यह भी कहा गया। यह कहा गया कि केवल उन्हीं पत्रों को देते हैं जो सरकार के पक्ष में हैं, जो उसके ग्रुप के हैं, उसके विचारों के अनुकूल चलते हैं और जो उनकी मुखालफत करते हैं तथा सरकार के विरोध में लिखते हैं और जो सम्बन्ध नहीं रखने वाले लोग हैं उनको विज्ञापन नहीं देते। यह भी कहा गया कि इसमें बड़ा फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन और न मालूम क्या क्या शब्द; जो शब्द हो सकते हैं वे प्रयोग किये गये। कहने का सारांश यह है कि विज्ञापन नीति सरकार की ठीक नहीं है, वह किसी पैटर्न ग्रुप के अखबारों को ही मदद देती है और जो विज्ञापन दिये जाते हैं वह किसी सिद्धान्त पर नहीं दिये जाते।.......

श्री हरिकृष्ण व्यास—परवरिश भी की जाती है।

श्री रामकिशोर व्यास—मैं कहना चाहूंगा कि यह बात सही नहीं है। गलत है, और वह शायद पूरी जानकारी नहीं होने से कही गई है। अगर उन महानुभावों को पूरी जानकारी होती, अगर उनके सामने फेक्ट्स, फिगर्स होते तो उनको एतराज जैसी बात इसमें नहीं दिखाई देती। उनका कहना है कि एक ग्रुप पेपर को जिसको बताया जाता है, मैं नाम लेकर भी कह दूं, वह हैं नवयुग, इसके लिए बराबर एतराज किया गया। एक समां बांध दी, तूफान खड़ा कर दिया गया कि इसके साथ बेजा रियायत की जा रही है, बहुत विज्ञापन दिये जा रहे हैं और किसी पेपर के मुकाबले में इसको बहुत ज्यादा दिया जाता है। किसी एक को बहुत कम दिया गया है और सबसे ज्यादा विज्ञापन इसे दिये गये हैं। मैं कहता हूं कि यह सही नहीं है। अगर आप वस्तुस्थिति को देखेंगे और फैक्ट्स फिगर्स को देखकर पता लगावेंगे तो आपको मालुम होगा कि बात ऐसी नहीं है।

अब मैं आपका ध्यान आंकड़ों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। नवयुग फरवरी, ५५ में जारी हुआ था। सन् ५५ में किसको क्या दिया गया है यह बताता हूं।

सन् ५५ में 'नवयुग' को २८,६५१) का विज्ञापन दिया गया।

'लोकवाणी' को ३७,५३२।।।) का विज्ञापन दिया गया।

'राष्ट्रदूत' को १०५७१) का विज्ञापन दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह ५५ कलैन्डर ईयर या फाइनेन्शियल इयर का है?

श्री रामकिशोर व्यास—कलैन्डर ईयर।

Page No.31

[श्री रामकिशोर व्यास]

जनवरी-फरवरी ५६ के जो फिगर्स हैं उनको भी रख दूं।

जनवरी-फरवरी में 'लोकवाणी' को ४४०३॥)

'नवयुग' को ४३७१॥)

तो इससे आप देखेंगे कि........

श्री चंदनमल वैद—'राष्ट्रदूत' को भी दिया, वह भी बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास—'राष्ट्रदूत' को नहीं दिया गया कोई विज्ञापन।

श्री नाथूराम मिर्धा—उसको बिलकुल बन्द है।

श्री रामकिशोर व्यास—तो यह फीगर्स मैंने आपके सामने रक्खे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नवयुग को जो कि फरवरी, ५५ में शुरू हुआ उसके कितने महीने में ये २८ हजार हुए, यह भी बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास—फरवरी में शुरु हुआ और दिसम्बर तक आप अन्दाजा लगा लीजिये। तो इससे आप अन्दाज पर पहुंचेगें कि यह जो क्रिटिसिज्म है किस हद् तक ठीक है। 'नवयुग' को भी दिया गया, लोकवाणी को भी दिया गया। आज लोकवाणी तो सरकार की पूरी की पूरी समर्थक नहीं है, वह भी सरकार को क्रिटिसाइज़ करती है, पर उसको भी दिया गया। लोकवाणी में एक आर्टिकल तो रोज ही गवर्नमेन्ट की आलोचना में रहता ही है। पर फिर भी हमने कोई पक्षपात नहीं किया। इससे आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि जो यह कहा जाता है कि किसी विशेष पत्र को विशेष तौर पर विज्ञापन दिये जा रहे हैं वह बात सही नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद—वह धारणा और दृढ़ हो गई है हमारी।

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो शायद आपकी ख्याल बन गया है। इसको हटाने की कोशिश करना मेरे लिये सम्भव नहीं क्यों कि जो फ़ैक्ट्स हैं उन पर भी अगर बात आपकी समझ में नहीं आती तो फिर मुझे सिर्फ इसके लिए अफसोस ही हो सकता है।

इसी तरह से एक बात और देखेंगे कि ५३-५४ के आंकडे देखेंगे आप तो ५३ में लोकवाणी को ७४०४) का विज्ञापन दिया गया और राष्ट्रदूत को १०,५३०॥) का विज्ञापन दिया गया। उस वक्त भी लोकवाणी को कम मिला और राष्ट्रदूत को अधिक। तो यह कम ज्यादा तो मिलता रहता है। इस पर अगर आप यह निष्कर्ष निकालें कि एक पत्र को ज्यादा फेवर किया जाता है और दूसरे को ठुकराया जाता है, ऐसा निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है।

[श्री रामकिशोर व्यास]

उस वक्त राष्ट्रदूत का ज्यादा पक्ष किया जाता था या वह पेटर्न ग्रूप का था इसलिये ज्यादा मिल गया या लोकवाणी को कम मिल गया तो यह कहना उपयुक्त नहीं है। नवयुग को ज्यादा दिया गया इसलिये कोई फेवर किया गया, यह आरोप सही नहीं है।

दूसरी बात जो कही गई कि नवयुग को जल्दी विज्ञापन देना शुरु कर दिया गया। मैं निवेदन करूं कि बात ऐसी नहीं है। जो परम्परा चली आ रही थी उसके अनुसार काम हुआ। मैं समझता हूँ वह बेजा नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—रूल क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास—बता रहा हूं। 'राष्ट्रदूत' अगस्त ५१ में आरम्भ हुआ और उसको सितम्बर और अक्टूबर में विज्ञापन देना शुरु हो गया। 'नवयुग' फरवरी में चालू हुआ और अप्रेल में उसको विज्ञापन देना शुरु हुआ। दोनों पत्रों को विज्ञापन दिये गये हैं। समय के लिहाज से नवयुग को देना आरम्भ हो गया, राष्ट्रदूत को नहीं दिया गया। उसको दिया जाना वाजिब था, क्योंकि हमारे यहां राजस्थान में जो दैनिक पत्र हैं उनकी संख्या बहुत कम है और उनको प्रोत्साहन यदि गवर्नमेन्ट की तरफ से हो सके तो जरूर देना चाहिए और जरूर देगें। तो मैं समझता हूं कि बेजा बात नहीं है। डिस्टिंक्शन करने की बात कही गई थी इसलिए मैंने निवेदन किया कि पहले जिस तरह से दिया जाता था उसी तरह से समय के आधार पर दिया गया है।

तीसरी बात रेट्स के एडवरटाइजमेन्ट के बारे में कहा गया कि कॉमर्शियल रेट्स जो हैं उससे गवर्नमेंट के एडवरटाइजमेन्ट की रेट्स ज्यादा हैं और इतनी ज्यादा उनको नहीं देना चाहिए। यह किसी हद तक दुरुस्त है कि गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट के रेट्स कमर्शियल रेटस से ज्यादा हैं, लेकिन जहां तक भेदभाव का ताल्लुक है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां तीन डेलीज हैं, लोकवाणी, राष्ट्रदूत और नवयुग इन तीनों को एक ही रेट से दिया जाता है। इनमें ऐसा अन्तर नही है कि राष्ट्रदूत को किसी रेट से दिया जाता है और नवयुग को किसी रेट से दिया जाता है, एडवर्टाइज़मेंट की रेट्स तीनों की एक हैं। इसमें कोई डिस्टिन्कशन नहीं किया जा सकता कि इनको इस रेट से दिया जाता है, वह जनरल रेट से ज्यादा है। कम ज्यादा की जो बात है उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि यह चीज विचारणीय है और उस पर विचार करेंगे। असल में दोनों प्वॉइन्टस हैं। एक तो विज्ञापन किस आधार पर दिये जांय और रेटस किस आधार पर, उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा बाद में।

चौथी बात जो कही गई थी वह सर्क्यूलेशन के बारे में, ऑडिट ब्यूरो सर्क्यूलेशन लि० का सार्टीफिकेट लेना चाहिए और उससे पता चले कि कितना सर्क्यूलेशन पेपर्स का है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जहां तक मेरी मालूमात हैं इन दो डेलिज़ और जितने वीकलीज़

[श्री रामकिशोर व्यास]

हैं उनमें कोई भी इसका सदस्य बना नहीं है अभी तक, जब वे बनेंगे तो इस प्रिन्सिपल को एडॉप्ट कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि उसको एडॉप्ट करने से कई पत्रों को नुकसान पहुंचने कि सम्भावना हो सकती है। मैं नहीं कहता कि उसको एडॉप्ट करें या नहीं, लेकिन वह विचार करने की बात जरूर है कि ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्यूलेशन लि० के जो सदस्य हैं उससे सर्टीफाइड सर्क्यूलेशन हो उसी आधार पर विज्ञापन दिया जाय। यह बात विचाराधीन है। उस पर विचार करेंगे।

राष्ट्रदूत के बारे में जो बातें हैं उसके कारणों के बारे में मैं इस वक्त कोई बात कहना मुनासिब नहीं समझता। इतना ही कह देना उचित समझता हूं कि अगर किसी अखबार को विज्ञापन देना बन्द करते हैं तो उससे हमको कुछ खुशी नहीं होती है, लेकिन मजबूरी की वजह से बन्द करना पड़ता है। यह स्थायी रूप से नहीं करते हैं। आगे जाकर विचार कर सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—मजबूरियां क्या आई थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—उसके डिटेल में जाना मुनासिब नहीं है। पहली गवर्नमेन्ट के सामने भी ऐसा हुआ है। पहले 'लोकवाणी' को बन्द किया गया था। बम्बई गवर्नमेन्ट को भी 'टाइम्स ऑफ इन्डिया' जो कि बहुत पुराना अखबार है उसको बन्द करना पड़ा उसके अन्दर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्यों कि विषय सामने नहीं है।

विज्ञापन के आधार हैं कि किस आधार पर उनको बांटा जाय, मैं समझता हूं, मैं निवेदन कर रहा था। मेरा खुद का ऐसा फीलिंग है कि किन आधारों पर उनका डिस्ट्रिब्युशन हो। उन पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। कोई सिद्धान्त या सिस्टम ऐसा निकल सकता है कि जिसके आधार पर एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए। हम यहां पर भी इस उसूल के अनुसार कर रहे थे लेकिन प्रेस कमीशन की जो रिपोर्ट सब्मिट हुई है उसका कुछ पोरशन एक्सेप्ट किया गया गवर्नमेंट आफ इंडिया द्वारा। उसमें विज्ञापन देने की बात है कि वह किस आधार पर हो, रेट्स किस आधार पर कायम किये जांय, वह कहीं नहीं आया है। वह क्या नीति अपनाते हैं, कौनसा प्रिन्सीपल्स एक्सेप्ट करते हैं, इसमें से कितना जुज मन्जूर करते हैं उसके अनुसार हम भी करेंगे। ज्योंही उन्होंने इस बात को तय किया कि यहां भी उस संबंध में उचित कार्यवाही की जायगी। जब तक वह नहीं होता है तब तक मैं यही इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि जहां तक संभव हो सकता है निष्पक्षता के साथ दिये जायेंगें। इस पक्ष का है या उस पक्ष का है इस आधार पर वितरण नहीं किये जायेंगे। जैसे कि मुझे आंकडे बताये गये हैं तो वह हैं भी नहीं। विज्ञापन देने का आधार यह नहीं हुआ है कि कोई पेपर ऐसा है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ लिखता है, गवर्नमेंट के व्यू से एग्री नहीं होता है उसको न दिये जांय। मैं इस सिद्धान्त को नहीं मानता कि मुखालिफ लिखने वालों को वह न दिये जायं। कांग्रेस के अलावा बहुत से ऐसे पेपर्स हैं जो कांग्रेस के खिलाफ लिखते हैं उनको भी विज्ञापन दिये

[श्री रामकिशोर व्यास]

जाते हैं। कांग्रेस के विरोध लिखने वाले, कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस गवर्नमेंट को गालियां देने वाले, गवर्नमेंट की बुराइयां करने वाले हैं उनको भी एडवरटाइजमेंट देते हैं, उनको मिलते हैं। यह आधार गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट की स्पष्ट नीति यह है कि वे एक सिद्धांत के आधार पर उनको देती है। यह उसके विषय में बिल्कुल निश्चित रहती है। पर्टीक्यूलर दल का चुनाव है या पर्टीक्यूलर दल को सपोर्ट करे तब तक एडवरटाइजमेंट मिले वर्ना नहीं मिले यह कोई बात नहीं है। इस संबंध में मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि विज्ञापन के बारे में और उनकी रेट्स के बारे में ज्योंही सेन्टरका निर्णय होगा प्रेस कमीशन की रिपोर्ट पर तो ,फिर विचार करेंगे और उसको जिस तरह से एप्लाई कर सकते हैं वह विचार करेंगे।

एक बात और बीच में कही गई थी इसी सिलसिले में कि कुछ पेपर्स ऐसे थे कि जिनको एडवरटाइजमेंट नहीं दिया गया लेकिन बिल्स का पेमेन्ट कर दिया गया। तीन पेपर्स, १५ अगस्त, 'नवजीवन' और 'अरावली' इन वीक्लीज़ के लिए कहा गया था कि ऑर्डर नहीं था फिर भी उनको दिया गया। इस संबंध में आपसे कहूं कि ऑर्डर लिखित नहीं था लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ऑर्डर जो हो वह लिखित ही हो। वह जबानी भी दिया जा सकता है और जबानी दिये हुए ऑर्डर के बेसिस पर वह किया गया है।

दूसरी बात जो मैं आपसे निवेदन करूंगा वह यह कि करप्शन के संबंध में हाउस में काफी बातें हुई हैं। उस पर भी मैं थोड़ा सा कहना मुनासिब समझूंगा। अपने सदन के कई सदस्यों ने करप्शन के बारे में कहा। उन्होंने बताया कि सरकार का कोई विभाग भी ऐसा नहीं है, कोई अफसर भी ऐसा नहीं है जहां कि करप्शन न हो और जो कि करप्ट न हो। एड़ी से चोटी तक करप्शन है, जितने भी ट्रान्सफर्स होते हैं, जितने भी प्रमोशन्स होते हैं, जितने भी एप्वाइन्टमेंट होते हैं वे इसी तरह से होते हैं।

श्री चांदमल मेहता—आप भूल गये हैं। यह कहा गया था कि ऊंचे अधिकारियों से प्रभावित हुए बगैर नहीं रहते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—उन्होंने इतना जनरल स्टेटमेंट दिया कि एक आदमी भी बाकी नहीं छोड़ा, एक डिपार्टमेंट को भी बाकी नहीं छोड़ा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो दृष्टिकोण रखा है वह सही नहीं है। कम से कम कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जिनके लिए तो सन्देह करने की गुंजायश ही नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी जुडीशियरी है, हाई कोर्ट है, आपका लेजिस्लेचर है, पी. एस. सी. है इनके बारे में कोई व्यक्ति यह ख्याल कर सकता है कि यहां करप्शन होगा। आप कहते हैं कि राजस्थान का कोई डिपार्टमेंट या कोई अफसर ऐसा नहीं जो कि करप्ट न हो। एड़ी से चोटी तक करप्शन है। उस संबंध में यह आपने जनरल स्टेटमेंट दिया है वह सही नहीं है, इन्साफ नहीं है। ऐसे कुछ महकमें आपके शासन में हैं जिनको आप जानते हैं। दो तीन महकमों

[श्री रामकिशोर व्यास]

के लिए तो आप मानेंगे ही, हाईकोर्ट, लेजिस्लेचर, पी. एस. सी. जिनमें कि करप्शन नहीं है। उनको तो कम से कम बख्श देना (क्षमा कर देना) चाहिए था।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आपका जो दृष्टिकोण है करप्शन के बारे में उसमें जरा परिवर्तन रहा और जिस नुक्ते नजर से आप उसको सोच रहे हैं उसमें थोड़ा बदलने की जरूरत है। आपका यह दृष्टिकोण है कि जितने आदमी हैं वे करप्ट हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह दृष्टिकोण न रखिये। हर एक मनुष्य ईमानदार है, जब तक कि उसके खिलाफ जुर्म न साबित हो जाय। हर एक आदमी को समझे कि वह अच्छा है जब तक कि उसके खिलाफ कोई बुराई साबित न की जाय। जब तक यह प्रिन्सिपल लेकर चलेंगे कि अगर आदमी बुरा है तो वह बुरा जब कि उसके खिलाफ बुराई साबित हो गई और जब तक वह अच्छा है जब तक कि उसके खिलाफ कोई बुराई साबित नहीं हुई है। हर एक आदमी सही रास्ते पर काम करता है जब तक उसके खिलाफ साबित न हो जाय कि यह रिश्वत लेता है अथवा वह खराब है। मैं समझता हूँ कि इस विषय में साइकोलोजी को समझ लेना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर यह साइकोलोजी रहे कि सब बेईमान हैं, जो इमानदार हैं उनको भी बेईमान कहें और जो बेईमान हैं वे तो हैं ही, तो अच्छा नहीं है। इसका एक तरह से साइकोलोजिकल असर पड़ता है। संसार में सब तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, बेईमान भी होते हैं। जो बेईमान होते हैं वे बेईमान हैं, जो रिश्वत लेवे है उन्हें राशी बतावें, लेकिन सब को एक साथ मत कर दीजिये। कुछ डिस्टिन्क्शन तो रखिये। सब को जनरली बता देना ठीक नहीं है और यह हेल्पफुल भी नहीं होगा। आखिर गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं, गवर्नमेंट में लाखों आदमी नौकर हैं वे सब सोसाइटी से ही जाते हैं अगर यह कहे कि गवर्नमेंट में सब आदमी करप्ट हैं तो जिस समाज से गये है वह भी बड़ा भारी करप्शन का सेन्टर है। मैं ऐसा मानता हूं कि समाज में कुछ बेईमान भी हैं, रिश्वत देने वाले और लेने वाले भी हैं लेकिन उनमें अधिकांश हों या सारे के सारे हां ऐसा नहीं है, कुछ रहते हैं और रहेंगे। सब के सब गवर्नमेंट सर्विस में हैं वे करप्ट हैं तो यह हमारे समाज पर बड़ा हमला है। आखिर वे सब समाज से ही तो जाते हैं। आदमी समाज में रहता है। गवर्नमेंट की सर्विस करता है गवर्नमेंट की सर्विस में आता है और आते ही बेईमान हो जाता हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। यह हो सकता है कि पहले ईमानदार रहा हो और वह गवर्नमेंट की सर्विस में जाकर बेईमान हो गया हो, लेकिन आम तौर पर गवर्नमेंट के सर्वेन्ट्स को बेईमान बताना, यह ठीक नहीं होगा। कुछ केसेज में ऐसा हो सकता है।

एक बात यह कही गई कि करप्शन बढ़ रहा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि करप्शन को रोकने के लिए काफी कोशिश की जा रही है और कम करने के तरीके अपनाये गये हैं·······

श्री मानसिंह महार—ट्रान्सपोर्ट महकमे को देखिये, जब मालूम होगा।

श्री रामकिशोर व्यास (अपना भाषण जारी रखते हुए)—जैसा मैंने आपसे आज भी कहा और पहले भी कहा कि करप्शन है इसमें दो रायें नहीं हैं। लेकिन पहले भी कहता हूं कि सब

[श्री रामकिशोर व्यास]

करप्ट हैं, ऐसा नहीं है । कुछ करप्ट हैं और रहेंगे, लेकिन आयन्दा न हों और जो हैं उनकी दुरुस्ती हो जाय, इसके लिए सरकार प्रयत्न शील है ।

श्री मानसिंह महार—सरकार किस तरह प्रयत्नशील है, जरा यह दिखावें ।

श्री रामकिशोर व्यास—दर असल में सारा सवाल यह है कि इस करप्शन को रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं । उस डिरेक्शन में कदम उठ रहे हैं या नहीं उठे हैं; कदम उठे हैं वे कम है तो इन पर गौर करना चाहिए । यह सब मैं आपके सामने रखना चाहूंगा ।

अप्रेल सन् १९५५ के अखीर हफ्ते में एन्टी-करप्शन बोर्ड कायम हुआ । उस वक्त ६ केसेज गजेटेड आफिसर्स के और बाईस केसेज़ नॉन गजटेड आफिसर्स के पेन्डिंग चार्ज लेते वक्त थे । गये दस महीनों के पीरियड में १०४ गजेटेड आफिसर्स के और २१३ नोन गजेटेड ओफिसर्स के इन्स्टीट्यूट हुए । दोनों को मुलाहिजा फरमावें कि १०४ गजेटेड ऑफिसर्स के और २१३ नोनगेजेटेड ऑफिसर्स के केसेज इन्स्टीट्यूट हुए । उनमें से ६६ गजेटेड ऑफिसर्स के और १६० नॉनगजेटेड ऑफिसर्स के डिस्पोज ओफ हो गये । ६६ गजेटेड ऑफिसर्स के केसेज हैं उनमें से २६ जो हैं वे चेयरमेन बोर्ड ने तय किये और ३४ हैं वे बोर्ड ने तय किये और ६ में एन्टीकरप्शन ऑफिसर ने इन्क्वायरी करके गवर्नमेंट को सबमिट किये । जिन लोगों के केसेज को बताया उनमें से ऐसी बात नहीं हैं कि मामूली से आदमी हों, जल्दी में पकड़ लिये गये हों । उनमें से काफी इन्फ्लुयेन्शियल आदमी हैं अधिकतर । रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आदमी हैं, एस. डी. ओज हैं, पुलिस के हैं, फोरेस्ट के आदमी हैं, ज्युडिशियल के आदमी हैं, पी. डब्ल्यु. डी. के आदमी हैं, सप्लाई के आदमी हैं, एजुकेशन के आदमी हैं, इरीगेशन के आदमी हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट के आदमी हैं, माइन्स एन्ड जियोलोजी के आदमी हैं । हर एक कुछ न कुछ डिपार्टमेंट के लोग हैं । इनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है ।

श्री मानसिंह महार—कार्यवाही क्या हुई है, जरा एक आध की दिखादें ?

श्री रामकिशोर व्यास—३० केसेज जो बोर्ड के सामने आये उनमें से १७ रिजेक्ट कर दिये गये । ६ केसेज जिनके खिलाफ प्राइमाफेसी केस बने नहीं है वे डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के लिए डिपार्टमेंट्स के पास भेजे । ८ केसेज डिस्पोजल के लिए डिपार्टमेंट्स के पास भेजे ।

नॉन गजटेड का बताऊं ।

श्री मानसिंह महार—गजटेड में कितनों को बर्खास्त किया गया अब तक ?

श्री रामकिशोर व्यास—बरख्वास्त किसी को नहीं किया गया ।

नॉन गजेटेड के लिए मैं अर्ज करूं कि १६० केसेज हैं जो कि डिस्पोज़ ऑफ किये गये ।

[श्री रामकिशोर व्यास]

उनमें से ४५ रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के हैं, २६ पुलिस के हैं, १० एक्साइज़ के हैं, ८ ट्रांसपोर्ट के हैं, ६ एजुकेशन के हैं और बाकी मिस्लेनियस और डिपार्टमेंट्स के हैं। ७५ केसेज पेन्डिग हैं उनमें से २४ रेवेन्यू के हैं, १३ पुलिस के हैं और पांच एजुकेशन के हैं, ६ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हैं और जो इन्क्वारीज़ सेक्रेटरी, एन्टीकरप्शन बोर्ड कर रहे हैं, पुलिस के, आर. पी. एस. के, ऑफिसर्स जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं उनके हैं। ५५ में ४२ रेड हेन्डेड केसेज़ पकड़े गये रिश्वत के। पहले के मुकाबले में यह संख्या कम है। डिफरेन्ट प्लेसेज़ पर पकड़े गये और उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

ये फिगर्स बताये हैं। इनसे आप अन्दाज लगायें कि पहले के मुकाबले में प्रगति हुई है या नहीं। कुछ एक्शन लिया है। पब्लिसिटी देनी चाहिए थी, वह नहीं दी। पब्लिसिटी का महकमा होते हुए भी जरा मेरी आदत ही ऐसी है कि पब्लिसिटी नहीं दे सका। आयन्दा कर देंगे। आप कहेंगे कम हुए हैं, काम चल रहा है।

श्री मानसिंह महार—जिन ऑफिसर्स के खिलाफ प्राइमाफेसी केस मान लिया जाय तो उनके नाम लिस्ट के रूप में दे देने चाहिए थे कि ये इतने खतरनाक हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—कुछ ऐसे भी हैं जो अन्डर सस्पेन्शन हैं।

श्री मानसिंह महार—उनका मालूम तो हो जाय, पब्लिसिटी हो जाय।

श्री रामकिशोर व्यास—पूरी तैयारी न हो जाय, किसके बारे में क्या कहना है। चार-पांच गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेन्शन में रखा हुआ है। इसमें हैं।

श्री मानसिंह महार—सब को मालूम होता रहे, यह जरूर करें।

श्री रामकिशोर व्यास—कुछ ऐसा सिलसिला करेंगे कि आपको मालूम हो सके और कुछ आप का सहयोग भी लेंगे। तो ४२ केसेज रेड हेन्डेड करप्शन के रिश्वत लेते पकड़े गये।

श्री दलीपसिंह—उसमें से गजटेड ऑफिसर्स कितने हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—किसमें ?

श्री दुलीपसिंह—रेड हेन्डेड पकड़े गये उनमें।

श्री रामकिशोर व्यास—उनमें गजटेड ऑफिसर कम हैं।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या पटवारी. चपरासी वगैरह ही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—हां, सब तरह के लोग है। लेकिन गजटेड ऑफिसर्स जो हैं रेड हेन्डेड पकड़े जाने के मामले में बड़े होशियार होते हैं और आजकल ऐसे ऐसे साधन हो रहे है जिससे वे पकड़ में नहीं आते। आजकल रिश्वत लेने के भी नये तरीके ईजाद हो रहे हैं। पहले डाइरेक्ट रिश्वत ली जाती थी लेकिन आज कल इन डाइरेक्टली थर्ड-पर्सन के थ्रू ली जाती हैं। इसलिये रेड हेन्डेड पकड़ना मुश्किल है। ज्यों ज्यों आदमी इस माने में ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है त्यों त्यों नये नये मेथडस ईजाद होते जाते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—गंगानगर में भी इनको पकड़ने का कोई बन्दोबस्त है क्या

श्री रामकिशोर व्यास—जहां इन्तजाम नहीं हैं वहां भी करेंगे।

श्री मानसिंह महार—रुपये-पैसे देने की बात कही थी, उसके बारे में क्या हो रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास—इस तरह का प्रोविजन दूसरी जगह मिलता नहीं है। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट वाले इस बात से एग्री नहीं करते। लेकिन अगर आप चाहें तो कंटिन्जेन्सी से कोई रास्ता निकाला जा सकता है।

श्री मानसिंह महार—एफ० डी० वाले कहीं खुद न पकड़े जांय इसलिये वे इससे कैसे एग्री कर सकते है।

श्री रामकिशोर व्यास—जो रेड हेन्डेड पकड़े गये हैं उससे भय तो लोगों में हुआ है, लेकिन सोच समझ कर एतिहात से लोग रिश्वत लेते हैं ; कहीं कुछ कबाडा न हो जाय, इस बात का ध्यान रखते हैं इसलिये पहले की बनिस्पत आजकल कुछ भय तो हुवा है। केसेज ज्यादा पकड़े गये इससे आपको संतोष हुआ होगा, ऐसा काम करने का जरूर प्रयत्न करेंगे। एक बात इस संबंध में मैं और कहना चाहता हूं कि यह जो मामला है इस मामले में गवर्नमेन्ट बहुत एंक्सस है कि जो करपशन गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स में है उसको कम किया जाय और इसमें आप का भी सहयोग लिया जाया। मैं खुश होता यदि जिन भाइयों ने कहा कि वे सुझाव देते, तो.........

श्री मानसिंह महार—समय कम था इसलिये सुझाव नहीं दे सके। कट मोशन के समय काफी सुझाव देंगे।

श्री रामकिशोर व्यास—आप सुझाव देंगे तो हम उन पर गौर करेंगे।

श्री चांदमल मेहता—सुझाव ही नहीं दिये बल्कि कॉन्क्रीट केसेज़ बता दिये लेकिन कुछ नहीं हुआ।

श्री रामकिशोर व्यास—मैं यह कह रहा था कि गवर्नमेन्ट करप्शन को हटाने में आपकी मदद लेना चाहती है। करीब करीब गवर्नमेन्ट का इरादा ऐसा है कि एक एक एन्टीकरप्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई जाय और राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में कायम की जाये और उसमें इस सभा के सदस्यों को भी लिया जाय..........

श्री मानसिंह महार—पर यह ख्याल रखा जाय कि ऑनेस्ट टू दि कोर हो।

श्री रामकिशोर व्यास—यह मुश्किल है। इसके फोरमेशन की बात अभी तय नहीं की गई है। इसके डिटेल्स में जाने की बात है। अभी डिटेल्स तय नहीं किये गये हैं लेकिन मेरी इच्छा है कि नॉन ऑफिशियल साथी भी जो इसमें दिलचस्पी रखते हों वे शरीक होने चाहिये इस सदन के सदस्य भी उसमें होने चाहिये। यह डिफिकल्टी जरूर क्रिएट होगी किसको लेना किसको नहीं लेना क्यों कि मैं सबको ईमानदार मानकर चलता हूँ। कुछ जनता के लोग भी जो इसमें दिलचस्पी लेते है इन कमेटियों में होने चाहिये। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेन्स वगैरह सोचेंगे। इसमें आपको पूरी तरह से एसोसियेट करने का इरादा है। कोई कॉन्क्रीट चीज होगी तो आपकी सहायता मिलेगी।

कुछ पुलिस के बारे में भी बातें कही गई थी। उस सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। एक तो जो हमारी आर० ए० सी० बोर्डर पर है उसकी हालत के बारे में विरोधी दल के नेता ने कहा कि हालत बहुत खराब है, उनको दिक्कत बहुत है। उनको वही पे या सेलरी मिलनी चाहिये जो मिलीटरी पर्सोन्लस को मिलती है क्योंकि करीब करीब वैसा ही काम वे करते हैं। यह कहना ठीक है कि पाकिस्तान के बोर्डर पर जो लोग हैं उनकी लिविंग कन्डीशन्स में दिक्कत है। जैसी सुविधा सिविल पुलिस को रहती है वैसी उनको नहीं है लेकिन मिलीटरी पर्सन्स को जो इमोल्युमेन्ट्स मिलते हैं वह हम इनको दे सकें ऐसी हमारी परिस्थिति नहीं है, लेकिन सिविल पुलिस के मुकाबले में उनको ज्यादा देते हैं। उनको सुविधायें भी ज्यादा देते हैं। उनको रेडियो, वायरलेस व अन्य साधनों द्वारा एन्टरटेन करने की कोशिश करते हैं लेकिन इसमें दो राय नहीं हैं कि उनका जीवन कठिन और खतरे से खाली नहीं है। लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी है कि उसका इलाज नहीं है।

एक पनिया डकैत मारा गया था उसके बारे में कहा गया कि उसको मारने में पुलिस का हाथ नहीं था। मैं कहूँगा कि यह ठीक नहीं है। पुलिस के आदमियों द्वारा ही वह मारा गया है, उसका क्रेडिट उनको मिलना चाहिये।

एक भाई ने कहा कि पुलिस का बजट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पुलिस के बजट में तीन साल से कमी होती जा रही है। गई साल भी मैंने १५ लाख रुपये कम किये थे। इस साल पास्ट लाइबलिटी थी। आर्म्स एन्ड एम्युनिसन्स खरीदे गये थे उनका पेमेन्ट करना पड़ा था। ९ लाख रुपयों का इसलिये बढ़ोती हुई है इसके अलावा कोई बढ़ोती नहीं हुई है। यह ड्यूटी हमारी नहीं है कि बिना जरूरत बढ़ाया जाय। जितनी जरूरत है उतना ही खर्चा करेंगे।

[श्री रामकिशोर व्यास]

डाकुओं के पुलिस को सरेन्डर करने के बारे में कहा गया । इस पर मैं ज्यादा कहने की जरूरत नहीं समझता । जो कुछ पहले कहा है वह काफी है ।

कुछ भाइयों ने कहा कि पुलिस में मौजूदा राजनैतिक परिवर्तन जो हुआ उसका कोई असर नहीं पड़ा । मैं ऐसा जरूर मानता हूँ कि यह बात सही नहीं है पुलिस का एटीट्यूड पहले से बहुत कुछ सुधरा है । जनता और सदन के सदस्य जो भी कोई मिलते हैं उनके साथ बोल चाल और व्यवहार में काफी फर्क है । पहले और आज के व्यवहार में बहुत फर्क है । भारत स्वतन्त्र हुआ उससे पहले के दृष्टिकोण में और आज के दृष्टिकोण में बहुत अन्तर है । आगे और भी प्रगति होगी ऐसी आशा है ।

एक भाई ने एक तरफ तो कहा कि इन्वेस्टिगेशन में थर्ड मेथड्स इवोव किये जाते हैं, पुराने किये जाते हैं और दूसरी तरफ कहा कि मोडर्न मेथड्स यूज किये जाते हैं । ये दोनों बातें विरोधाभास सी नजर आती हैं । एक तरफ कहा कि थर्ड मेथड्स और आधुनिक काम में नहीं लिये जाते हैं । जैसा उन्होंने कहा वैसी बात नहीं है । थर्ड मेथडस में कमी हुई है । कहीं कहीं काम में लिये जाते है उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं । आधुनिक मेथड्स भी काम में लाये जाते हैं । नये मेथड्स सिखाये जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग दी जाती है ।

कुछ लोगों ने पुलिस और मेजिस्ट्रेट्स के सम्बन्ध के बारे में कहा और यह कहा कि पुलिस मेजिस्ट्रेट्स का कहना नहीं मानती है, - यह सही नहीं है । पुलिस और मेजिस्ट्रेट का संबंध क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के मफिक गवर्न होता है । इसके बारे में हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई । यदि इस तरह की चीज है तो अमल जरूर करेंगे ।

कुछ लोगों की तरफ से यह कहा गया कि प्रोसिक्यूशन ब्रांच में बहुत से लोग जमानत लेने का काम पैसा लेकर करते हैं । मेरे नोटिस में ऐसी बात नहीं आई । यदि कोई ऐसी बात बतायेंगे तो मैं एक्शन लूंगा । एक ने शायद कहा है कि वे तैयार हैं रैड हेन्डेड पकड़वाने के लिये । यदि ऐसी बात है तो ऐसा प्रबन्ध किया जायगा । भू स्वामियों के बारे में मैं कह चुका हूँ और मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है ।

इसके अलावा एक बात मैं यह कह देना चाहता हूँ कि २ फरवरी को जोधपुर में भू स्वामियों पर अत्याचार और लाठी चार्ज की बात कही गई, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि २०० से ज्यादा भूस्वामियों ने कचहरी में इकट्ठे होकर कमिश्नर के दफतर में एन्टर होने का प्रयत्न किया, इसलिये उन पर उनको रोकने के लिये हलका लाठी चार्ज करना पड़ा ।

कुछ बातें जो यहां पर अभी बताई गई हैं उनकी जानकारी मैं नहीं कर सका हूँ बाद में जानकारी करके जब कट मोशन आवेंगे कहूँगा । कुछ कोटा के बारे में और कुछ आउट पोस्ट के

[श्री रामकिशोर व्यास]

बारे में कहा गया जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। उन पर जानकारी हासिल करके बाद में कहूँगा। इसके अलावा अब और जो कुछ भी कहना है वह कट मोशन पर निवेदन करूंगा और जो कुछ कहा है वह मैं समझता हूँ कि काफी है।

श्री अमृतलाल यादव—(पृथक राजस्व मन्त्री) माननीय अध्यक्ष, पिछले दो तीन दिनों से बजट पर जो बहस चल रही है उसमें कई माननीय सदस्यों ने कहा कि ८४ लाख रुपयों का गवनमेंट जो नया टैक्स लगाने जा रही है, पहले बताया नहीं गया जिसे बताना चाहिये था इस प्रकार की बातें हुई। लेकिन इस ८४ लाख में जिसका जिक्र यहां पर किया गया है उसमें लगभग ४० लाख का सम्बन्ध एक्साइज से है और वह एक्साइज से आता है। मैं यह कहूंगा कि यह कोई नया टैक्स नहीं है। इसके सम्बन्ध में फाइनेन्स मिनिस्टर ने बताया लेकिन इसके बारे में एक जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गवर्नमेंट यह किस तरह से प्रोविजन रखती है? गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जिसको चाहे एग्जेम्प्ट कर दे और जिस पर चाहे लगा देगी। किसको टैक्स करें और किसको टैक्स नहीं करें उसकी मर्जी है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ४० लाख रुपया इस प्रकार है।

(१) २ लाख स्टाम्प रेवेन्यू।

८ लाख एक्साईज।

३० लाख सेल्स टैक्स से है।

इस प्रकार ४० लाख रुपया बताया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह उसी कानून के तहत में है जो गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर ने पावर दिया है और उससे ज्यादा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई और दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी शुरू हुई है। हम अपने प्रान्त की आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते हैं और इस योजना को पूरा करने के लिये आर्थिक साधनों को बढ़ाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि यह ज्यादा जिम्मेदारी की बात होती कि टैक्सों के लिये माननीय सदस्य जिम्मेदारी के साथ आगे आकर इसके लिये वातावरण पैदा करते और पब्लिक में ऐसा वातावरण पैदा करते और कहते कि यह चीज वाजिब होती है। इससे हमारे देश की आर्थिक हालत सुधरेगी और आगे लोगों को लाभ होगा और इसके लिये हमें तैयार रहना चाहिये मगर ऐसा तो नहीं कहा गया और यह कहा जाता है कि सरकार टैक्सों को बेक डोर से लाना चाहती है या गोल-माल तरीके से लगाना चाहती है। मगर मैं यह कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। यह एक जिम्मेदारी की बात होती, अगर इसके लिये वातावरण पैदा किया जाता। मैं यहां पर इतना ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो रुपया वसूल किया जाएगा वह लेजिस्लेचर के पावर से ही जो दिया गया है

[श्री अमृतलाल यादव]

वसूल किया जायगा। यह बात सही है कि जब टैक्स बढ़ाने की बात होगी तो वह जरूर लेजिस्लेचर के सामने आवेगी। इतना निवेदन करने के बाद में मैं कुछ शब्द एक्साइज के बारे में कहे गये हैं उसमें शराब को बन्द करने के बारे में कहूँगा। हमारे सदन के विरोधी दल के नेता ने इस सम्बन्ध में कुछ कहा था और बड़े विस्तार से कहा था। मैं अकस्मात उस वक्त सदन में उपस्थित नहीं था लेकिन मैंने उनके भाषण का वह अंग मंगा कर पढ़ लिया है। चूंकि यह विभाग उनके पास रहा है, मैं आशा करता था कि उनसे जो सुझाव आवेंगे और वे जो बात कहेंगे कुछ महत्व की होगी लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि जो कुछ गवर्नमेंट ने घोषणा शराब बन्दी के बारे में की है वह कुछ नहीं है और वह केवल केन्द्रीय सरकार को खुश करने के लिए की गई है। माननीय अध्यक्ष, मैं स्वयं यह मानता हूँ कि जो कुछ हमने कदम उठाया है वह ना काफी है और पूरा नहीं है और हमें आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है और आर्थिक साधनों का प्रश्न है, मैं यह कहूंगा कि पहले जो कस्टम से ३॥ करोड़ रुपये की आमदनी थी वह समाप्त हो गई और इसके बाद जो पोलिसी स्वीकार करने का प्रश्न था उसके लिए यह पूरा शराब प्रोहिबिशन लागू करने में लगभग ३ या ४ करोड़ की आमदनी है उसको खोने का प्रश्न आता है। उसको समाप्त करने के साथ क्या नये साधन और नये जरिये ऐसे पैदा किये जावें जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति पर कोई खास अर्थ स्थिति का प्रश्न नहीं हो? इसलिये यह जो प्रश्न उठाया गया है वह देश की आर्थिक स्थिति को मद्दे नजर रखते हुए ही उठाया जा सकता है और उठाया गया है।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह गलत है।

श्री अमृतलाल यादव—आप कहते हैं गलत है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कदम उठाया गया है वह यह है कि सबसे पहले जब मजदूरों को तनख्वाह मिलती है उस डे को ड्राइ रखा है। दूसरा यह कि एक अप्रेल, १९५६ से जितने भी होटल हैं, बाग हैं, सिनेमा हैं उन सब में शराब बिक्री नहीं होगी। इसके अलावा जो पार्टी होती है उसमें लिकर सप्लाइ नहीं होगा। अगर ये कदम जो उठाये गये हैं वे आप गलत समझते हैं तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। मगर मैं आपसे यह कहूंगा कि आप उन मजदूरों की स्त्रियों से पूछे, आप भी जिस समाज से आते हैं, हरिजनों से पूछिये कि इस शराब से कितने घर बरबाद हो गये। एक मजदूर दो रुपये प्रति दिन कमा कर लाता है उसके बच्चे और स्त्री कपड़ों को तरसते रहते हैं। उनसे आप पूछिये कि यह कदम गलत है या सही, अगर आप फिर भी यह कहें कि यह कदम काफी नहीं है और शराब बन्द हो जानी चाहिये।

श्री कंवरलाल जेलिया—हां साहब, यह मेरी मंशा है।

श्री अमृतलाल यादव—मैं तो स्वयं उन लोगों में से रहा हूं और जिसकी जिन्दगी का मकसद यह रहा है कि शराबखोरी बन्द होनी चाहिये।

Page No.43

[श्री अमृतलाल यादव]

और मैं यह दृढ़ता के साथ मानना चाहता हूं कि और मानता हूँ कि इस देश में जबतक शराब खोरी बन्द नहीं होगी देश की उन्नति होना बड़ा मुश्किल है, यह चीज बहुत साफ है। साथ साथ मेरा यह भी मानना है कि आर्थिक साधनों को ध्यान में रखते हुए जहां तक आर्थिक स्थिति इजाजत देती है वहां तक यह कदम उठाया जाय और उठाया गया है और इसी तरह हम निरन्तर प्रगति की ओर बढ़ना चाहते हैं।

श्री कपरलाल जेलिया—हफ्ते में एक दिन तो बन्द रखिये।

श्री अमृतलाल यादव—मैंने निवेदन किया यह तो आपका सुझाव है इस पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ जितना भी आगे बढ़ा जा सकता है बढ़ने की कोशिश की जायगी।

इस सिलसिले में विरोधी दल के नेताजी ने जयपुर ठेके का जिक्र भी किया उसके अन्दर उन्होंने किसी अधिकारी के लिखे हुए पत्र को भी पढ़कर बताया और उन्होंने मुख्य मंत्री को इंगित करते हुए यह भी कहा कि जब बाड़ ही खेत को खाने लग जाय तो रक्षा का सवाल ही कहां आता है। माननीय अध्यक्ष, जैसा कि पहले मैंने निवेदन किया मैं उस समय मौजूद नहीं था, मैंने उनके भाषण को पढ़ा, उसकी जो नकल है वह मैं पढ़कर सुनाना पसन्द करूंगा।

उस अफसर ने एक्चुअल फाइल पर यह लिखा है कि ५० हजार से नीचे का ठेका दिया गया है उसके लिये संबंधित मिनिस्टर के आदेश से कम बोली वाले को ठेका दिया जाय... मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ आज जब कि विरोधी दल के नेता उपस्थित नहीं है मैं आशा करता हूँ जो बात मैं कहूंगा वह उन तक पहुँच जायगी। वे भी एक समय पृथक राजस्व मंत्री रह चुके हैं उनके सामने भी यह सवाल आया था। शराब के ठेकेदार लोग अपनी हैसियत से ज्यादा आमदनी से से ज्यादा वे अपने स्वार्थ के निमित्त बोलियां काफी हदतक बढ़ा देते हैं। उस वक्त तो वे बोलियां बड़ी मालूम होती है। लेकिन जब गवर्नमेंट द्वारा वह रकम वसूली की बात होती है तो उसकी काफी लम्बी की जाती है। मैं आपसे निवेदन करूं उन्होंने माननीय अध्यक्ष अपने भाषण के अन्दर इस बात का जिक्र किया है कि लगभग तीन चार साल से यह सवाल गवर्नमेंट के सामने है और उसके बारे में सोचा जाय। वे भी इस नीति के समर्थक रहे हैं कि जहां तक हो सके ठेकेदारों की बोलियों को जो अनुचित तरीके बढ़ा कर बोलते है चेक किया जाय और उनको वाजिब लेवल पर लिया इस पॉलिसी के डिसकशन का सवाल था इस पॉलिसी को लागू करने विशेष का सवाल था। यह सवाल पैदा नहीं होता कि इस सवाल पर सोचा या विचारा न गया। यह हम मानते हैं जहां तक ठेकेदार लोगों का सवाल है वे इस चीज को अनुचित तरीके से बोली तो लगा देते हैं लेकिन जब एरियर्स के चुकानेका सवाल आता है तो उसमें चेक करना लाजमी हो जाता है। मैं आपके सामने यह बता दूं कि केवल जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही दस लाख रुपये के एरियर्स बाकी हैं। जब गतवर्ष से यह प्रयोग किया गया तब से क्या स्थिति रही है वह मैं आंकड़े बताकर आपके सामने रखना पसन्द करूंगा।

Page No.44

[श्री अमृतलाल यादव]

डिस्ट्रिक्ट जयपुर की पूरी तफसील में न जाकर केवल जयपुर शहर के ही ठेके का जिक्र आपके सामने करूंगा।

सन् १९५४, ५५ में आक्शन मनी था २, ३८, ७६२ और जब ५५, ५६ में ऑक्शन किया गया उस आधार पर कि बढ़ी हुई जो रेट्स हैं वह नावाजिब हैं वह नहीं मानी जांय तो १, ६०, ६१० रुपया आया। यह आंकडे जो स्पष्ट दिख रहे हैं कि ५४, ५५ में २,३८,७६२ रुपये आये तो फिर ५५,५६ में १, ६०, ६१० रुपये में मन्जूर कर लिया गया तो फिर एक लाख का घाटा सरकार ने क्यों उठाया ऐसा सवाल हो सकता है। कहा यह जाता है मैं आपको बताऊं यह रुपया गवर्नमेन्ट के सिफारिश के अनुसार ऑक्शन का रुपया है उससे परिणाम पहले क्या होता था जैसा कि कुंवर साहब खुद जानते हैं। जो लोग शराब बेचते हैं वे लोग उसमें पानी मिला मिलाकर बेचते थे, उसमें तरह तरह की गड़बड़ियां करते थे उनका नतीजा यह हुआ कि शराब की बिक्री कम होने लगी। लेकिन जब रीजनेबिल रेट्स स्वीकार की गई तो उसमें शराब बन्दी भी हुई और बिक्री के अनुसार इन्क्रीज्ड कन्जम्पशन ड्यूटी मिलती है। उससे हमको इनक्रीज ५६-५७ में ९७ हजार १८८ रुपये की हुई। दोनों रकमों को मिलाकर देखेंगे तो यह दो लाख से कम नहीं है। दोनों मिलकर कुल दो लाख के आसपास होती है। इससे ज्यादा लोगों को लाभ मिलता है। एक तो यह हुआ कि लोगों को शुद्ध शराब पीने को मिलती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—गोलमाल कितना हुआ, यह तो बता दीजिये ?

श्री अमृतलाल यादव—जारी रखते हुए ; यह तो आप ज्यादा जानते होंगे मुझसे, मैं आपसे क्या निवेदन करूं ?

श्री मानसिंह महाराज—आपने शराब का शुद्धिकरण कब से शुरू कर दिया।

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं जो निवेदन कर रहा था इसमें यह सवाल नहीं आता। डिप्टी कमिश्नर हमारे यहां ऑक्शन करते हैं। उसमें अगर कोई बढ़ी हुई बोली है तो उसको मन्जूर नहीं करते हैं उसको रोक सकते हैं। इसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं कि जो बातें उनकी पॉवर में आती हैं उनका भी जिक्र किया। इसके बाद संबन्धित मंत्री द्वारा क्या किया गया, उसका जिक्र नहीं। यह उस मंत्री के साथ जो अन्याय किया है, वे बातें मुझे बतानी होंगी। मेरे पास जयपुर के कॉन्ट्राक्टर्स आये। उन्होंने यह कहा कि यह जो ठेका हुआ है एक ही खास आदमी के लिये हो गया है, बाकी हम जो ११ हैं हमको भी मिलना चाहिये नहीं तो हम बेरोजगार हो जायेंगे माननीय अध्यक्ष, इस पोलिसी को मानते हुए जिसमें हर तरह से गवर्नमेन्ट का नुकसान भी हो सकता है, शुद्ध चीज पीने को नहीं मिल सकती इसके बावजूद भी क्योंकि यह मानकर कि गलतफहमी पैदा की जा सकती है। इसके अलावा एक व्यक्ति के बजाय १०, ११ व्यक्ति करेंगे वे बेकार न हों इस बात को सोचा गया तो मैंने इस पर फैसला किया और कोशिश करके यह तय

[श्री अमृतलाल यादव]

किया कि ११ अलग अलग ऑक्शन्स होने चाहियें। उनके बावजूद भी मालूम नहीं कॉन्ट्रक्टर के ऐसे कौन से हितैषी थे जिन्होंने कॉन्ट्रक्टर को सलाह दी कि आप कोर्ट में जायें। वे कोर्ट में गये हमारे खिलाफ कनविक्शन लाये। उन कन्ट्राक्टर महोदय के हितैषी को सूचना देना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट ने चाराजोई की और इन्जक्शन वेकेट हुआ और ऑक्शन होगया। उसके बाद भी यह बताना और पॉलिसी के बारे में यह कहना कहां तक मुनासिब हो सकता है। इस प्रस्ताव का स्वागत कर सकते थे उनके द्वारा सुझाव दिये जाते, शराब बन्दी से जो आर्थिक हानि स्टेट को होने वाली है उसकी पूर्ति के साधन बताये जाने चाहिये। नये नये सोर्सेज टैक्स के बताते ताकि इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाता।

इसके अलावा मैं भी इतना मानता हूं कि यह सवाल कानून से ज्यादा समाज सुधार का है। माननीय सदस्यों से यह आशा रखी जा सकती है कि अगर गवर्नमेंट ने अगर छोटा कदम उठाया तो शराब बन्दी की ओर तो उनको चाहिए कि उसके विरुद्ध प्रचार करके समाज में ऐसा वातावरण पैदा करें ताकि लोग अपने आप शराब पीना बन्द कर दें। यह ज्यादा स्वस्थ चीज होगी। व्यक्ति किसी दबाव के बजाय अगर स्वयं अपने दिल से किसी काम को करता है वह ज्यादा स्थाई और ज्यादा लाभदायक होती है। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे इजाजत दीजिये यह कहने की कि जितने भी समाज सुधार के कार्य हैं वे कभी सख्ती से या कानून से उतनी आसानी से नहीं हो सकते जितने कि समाज का वातावरण बदलने से होते हैं। जैसे अस्पृश्यता निवारण के कार्य, शराब बन्दी, दहेज प्रथा आदि ये सब कार्य ऐसे हैं जो समाज का वातावरण बदलने से हो सकते हैं। इसलिये जहां आप गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं वहां हमें अपनी जिम्मेदारी को भी नजर अन्दाज नहीं करना चाहिए।

श्री मानसिंह महार—तब तो आप होटलों में भी प्रतिबन्ध मत लगाइये।

श्री अमृतलाल यादव—पुनर्स्थापन के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा, मौलवी साहब बड़े जोरों से उस दिन तकरीर फरमा रहे थे। किन्तु मैं उस वक्त था नहीं। वे कह रहे थे कि मैं डेढ़ सौ की लिस्ट पेश कर रहा हूँ। माननीय मुख्य मन्त्री ने भी उसका जवाब दे दिया है। मैं भी माननीय अध्यक्ष, उस बात को फिर से दोहराना चाहता हूँ। यह जो मुगालता पैदा करने की कोशिश की जाती है उसके बारे में स्थिति को साफ करना चाहता हूँ। साफ की भी जा चुकी है। ये माननीय सदस्य जिन लोगों की बातें करते हैं, असल बात यह है कि जो मेव लोग राजस्थान के अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के बाहर से आये थे, उनमें से जिन लोगों बाकायदा मर्दुमशुमारी में नाम था उनको बसाने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने ली थी और उसी के लिये हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने वादा भी किया था। मैं हाउस में फिर यह कह देना चाहता हूँ कि उनमें से अगर कोई भी मेव एक भी ऐसा रह गया हो जिसको अपनी ओरीजनल होल्डिंग न मिली हो तो उसके लिये गवर्नमेंट अपने को जिम्मेदार मानती है, उसको गवर्नमेंट जमीन देगी। जहां तक सम्भव होगा उसको अपनी ओरीजिनल जमीन दी जायगी नहीं तो आल्टरनेटिव जमीन देगी।

[श्री अमृतलाल यादव]

तो ऐसा अगर कोई सदस्य है तो मैं दोहराना चाहता हूँ कि उनका यह सोचना सही नहीं है और मुझे खेद है कि यहां केन्द्र के पुनर्स्थापन मंत्री और उपमंत्री आये थे उस वक्त मीटिंग की थी और माननीय मुख्य मंत्रीजी के चेम्बर में भी इसके पहले मीटिंग की थी और वहां हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसे लोग २५० है।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—मैंने नहीं कहा और उन्हीं की लिस्ट के लिये वे कहते हैं कि वे मर्दुमशुमारी में हैं। १५० आदमी की बात आई तो आपने भी ऐतराज किया। यह तो चाहें तो बेहतर लिस्ट आ सकती है।

श्री अमृतलाल यादव—मैं अपने माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि एक बात एक वक्त हुई और दूसरी बार हाउस में खड़े होकर उस बात से इन्कार कर दें तो यह उचित नहीं है। मैं और उन्हें कह दूं कि डाइरेक्टर ऑफ रिहेबीलिटेशन ने उनको पत्र भी लिखा था कि आपने जो ढाई सौ आदमियों की लिस्ट के लिये कहा था, वह दे दीजिये। हम उन्हें बसाना चाहते हैं। उस पत्र की रसीद हमारे पास मौजूद है। पर उनका जवाब आज तक नहीं आया।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—वह जवाब मौजूद है। उसमें ढाई सौ का जिक्र नहीं है।

(घन्टी)

श्री अध्यक्ष—यह क्या तरीका है बीच में बोलने का ? आपको समय दिया गया था बोलने का और आप बोल चुके। अब आप भी सब्र से सुनिये। आप इन्टरप्ट करते हैं बीच बीच में, यह नहीं होना चाहिए।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—साहब, इल्जाम........

(घन्टी)

श्री अमृतलाल यादव—ढाई सौ के लिये पत्र लिखा, उसमें न लिस्ट दी और न उत्तर दिया और माननीय अध्यक्ष, इतना ही नहीं इस सिलसिले में केन्द्र के मंत्री, आदरणीय हमारे नेता आजाद साहब से भी मिलने के लिये गये थे और उनके सामने भी मैंने कहा था कि आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई ढाई सौ आदमियों की लिस्ट है तो वह हमें दी जावे। हम उन्हें बसाने की जिम्मेदारी लेते हैं।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—आपकी.......

श्री अध्यक्ष—अब अगर आपको कहना है तो कट मोशन के वक्त बोलियेगा। बीच में इन्टरप्ट न करिये।

Page No.47

श्री अमृतलाल यादव—(जारी) अब ढाई सौ के बजाय डेढ़ सौ की लिस्ट के लिये कहते हैं। वह डेढ़ सौ की लिस्ट भी लेने के लिए हम तैयार हैं और सदन के फ्लोर पर मैं वादा करता हूं कि अगर वह लिस्ट सेंससशुदा लिस्ट में से होगी तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, हम उन्हें बसावेंगे। यह मैं कहना चाहता हूं। पर इस तरह से गुमराह करने की कोशिश कोई माननीय सदस्य करें, यह उन्हें शोभा नहीं देता। ऐसी बातें इस सदन में कहने सुनने के बजाय अगर वह लिस्ट हमें अब तक दे देते तो शायद अब तक उस पर उचित कार्यवाही भी हो गई होती और अगर अब भी वह लिस्ट उनके पास हो तो वे अब भी कृपा करके मुझे दे दें। उस पर जितनी जल्दी कार्यवाही होगी, की जावेगी; इस बात का मैं इस सदन में आश्वासन देता हूं।

पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है। उनको जो कहना है वह यह है कि जो लिस्ट। से बाहर के लोग हैं जो सेंससशुदा लिस्ट से बाहर के लोग हैं और जिस तादाद में आज भी आ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी, जो कि राजस्थान सरकार ने नहीं ली, उसको लेने के लिए सरकार पर बेजा तरीके से दबाव डाले जाने की कोशिश हो रही है और इसी बात को घुमा फिराकर वे कहना चाहते हैं कि हजारों लोग रह गये; यह हो गया, वह हो गया। हजारों और सैकड़ों कहने के लिए आसान है पर उनके बारे में वास्तविकता की बात कहना बात और है। तो इन शब्दों के साथ में यह निवेदन कर देना चाहूँगा कि इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि जिनका नाम मर्दुमशुमारी की लिस्ट के अनुसार लिस्ट पर हैं उन मेवों को बसाया जाय। जो आप चाहते हैं वह हम भी चाहते हैं। उनको बसाने का राजस्थान सरकार का और भारत सरकार का, दोनों सरकारों का फैसला है। इस तरह से मेवों को हम बसाना चाहते हैं। आप कल्पना करिये कि लाखों को बसाया गया, बीस हजार के लगभग परिवारों को बसाया गया। अब जहां इतने आदमियों को फिर से बसाया गया तो यह बहुत सम्भव है कि कोई पांच—पचीस या दस बारह परिवार बसने से किन्हीं कारणों से रह गये हों। तो अब उनको तो यह चाहिये कि उनको सरकार के नोटिस में लाया जाय अथवा वे माननीय सदस्य मुझे बतावें। तो यह तरीका तो समझ में आ सकता है और सुन्दर भी हो सकता है। पर इसके बजाय आलोचना करना और वह भी सही न हो, यह कहां तक ठीक है। आलोचना करिये, आपको अधिकार है इसका, पर मुनासिब बातें कहिये। गैर मुनासिब बातें मत करिये। गैर मुनासिब बातें करके सदन का वातावरण कटु करना अच्छा नहीं लगता।

और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको और सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जो हालत उस इलाके में पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं उसके चिन्ह अच्छे नहीं हैं। हम सन् १९४७ का दृश्य देख चुके हैं कि हमारी क्या हालत उस वक्त हुई थी और जिसकी वजह से हमारे इस देश के भी दो टुकड़े हुए। इन्सान को इन्सान नहीं समझा गया और उस हालत को याद करके आज भी हमें दुख हुए बिना नहीं रहता, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन वीभत्स काण्डों को याद करके भी। मैं इसलिए निवेदन करूंगा कि वैसी हालत फिर से पैदा करने की कोशिश न की जाय और वातावरण को कलुषित करने की चेष्टा बन्द की जाय। उनको राजस्थान में रहना है, इसी अलवर और भरतपुर में रहना है। अगर वे ऐसी कोशिश करेंगे जिससे वहां का वातावरण विषाक्त हो, वहां की परिस्थितियां खराब हों और विषम बनें तो ऐसा करने वाले माननीय सदस्य किसी भी की सेवा

[श्री अमृतलाल यादव]

नहीं करेंगे, सब की कुसेवा ही करेंगे, इससे न उनकी अपनी सेवा हो सकेगी, न उनकी सेवा ही होगी जिनकी आज वे यहां जा-बेजा वकालत करते हैं और न इस प्रान्त की सेवा ही होगी। अगर सेवा करने की उनकी वास्तव में भावना है तो किसी के जजबात को उभाड़कर और हिन्दू-मुसलिम के नाम पर वे बावेला न मचावें। आज हम फिर भी यकीन कर सकते हैं कि हरिजनों को कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता हो, पर मेरे माननीय दोस्त ने फरमाया कि मेवों को कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता। यह चीज नहीं कि कि मेवों को पानी नहीं भरने दिया जाता; पर वहां पानी का सवाल हल होने की बात है। अगर इसको ठीक ढंग से हल किया जाता तो ज्यादा खुशी की बात होती! तो इस तरह की बात कहकर यहां और वहां लोगों को गुमराह करने की कोशिश करना मुनासिब नहीं है।

मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की बातें कहकर वे मेवों की बसावट में बाधा न डालें, इस तरह की बातों से बाधा ही होती है, वे हमें सहयोग दें और अगर कोई वास्तविक बात होगी उनकी तकलीफों की तो उनको जरूर सुना जावेगा और पूरा करने की कोशिश की जावेगी। राजस्थान सरकार की नजर में जितना कोई हिन्दू है, उतना ही मुसलमान है और जितना कोई किसान है, उतना ही मेव है। तो इन बातों को समझ कर मैं फिर यही निवेदन करूंगा कि ऐसी विषाक्त परिस्थितियां पैदा नहीं की जावें, यह ज्यादा अच्छा है।

इसके बाद एक सदस्य ने कहा, सहकारी समितियों के बारे में। तो उनको कहे हुये अभी कोई सात दिन भी नहीं हुए और सात आठ दिनों में कितनी सहकारी समितियां उस जिले में संगठित की जा सकती हैं, यह खुद समझा जा सकता है। मैं इस बारे में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे पास इसके लिये काफी प्रोवीजन है और हम अधिक से अधिक सहकारी समितियां चलाना चाहते हैं उनके जिलों में भी। वे सहयोग दें इसमें। जितना सहयोग देंगे उतनी प्रगति होगी और किसानों को लाभ पहुँचेगा। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। इतना कहकर मैं आज्ञा लेना चाहूंगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर वाद-विवाद, मैं समझता हूं कि आवश्यकता से कहीं ज्यादा हो चुका और दुर्भाग्य से जिस प्रकार की बहस हुई, शायद बजट से बहुत दूर कुछ और ही मुद्दों पर ज्यादातर सदन का समय गया।

सदन में एक उत्तेजनापूर्ण वातावरण पैदा हुआ है, इस प्रकार की हालत है। मैं यह प्रयत्न करना चाहता हूं कि चाहे इस सदन में ऐसी बातें कही गई हों कि जो किसी सदन में नहीं कही जाती हों और उस बात को सुनना आसान न हो तब भी उन बातों का उत्तर बहुत ही शांति के साथ, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सदन के समक्ष रक्खूं।

Page No.49

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात आगे जाकर कहूं उसके पहले अभी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो जागीरदार भाई कांग्रेस में आये वे अमुक हकूमत को बनाये रखने के लिए आये। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो भाई कांग्रेस के अंदर आये वे जागीरदार की तरह से नहीं आये और एक कांग्रेसी के और उनके बीच में जो जागीरदारी के प्रश्न पर मतभेद था, एक समझौते के तरीके से कानून द्वारा जो हल हो गया तो वे कांग्रेस के अंदर आये। उनके आने का आधार मैं समझता हूं कि कांग्रेस के प्रति, उसके सिद्धांतों के प्रति उनकी सद्भावना थी, उस सद्भावना को लेकर वे आये थे और मैं इस प्रकार की बात नहीं मानता कि वे केवल इसके अंदर आकर एक पक्ष या दूसरे पक्ष का विरोध करें या पक्ष लें, इस प्रकार सोच कर नहीं आये। तो इसका उनके ऊपर असर हुआ है तो मेरी बात के बाद वह असर नहीं रहेगा क्यों कि इस प्रकार की बातों से दर असल सदन के वातावरण में उलझन पैदा हो जाती है।

इसके बाद में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य जो कि अभी यहां पहुंचे नहीं हैं लेकिन कोटा से आये हैं उन्होंने कल कहा कि वे माननीय व्यास जी को "पूज्य" कह कर सम्बोधित करते हैं, व्यास जी की तारीफ करते हैं तो मुझे एतराज क्यों होता है। मुझे एतराज इसलिए होता है माननीय अध्यक्ष, कि जिन्होंने जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं जब कि उनका अवसर था तब उन्होंने व्यासजी को अदालत के कठघरे में खड़ा किया था। खैर, वह जिम्मेदार नहीं थे। उसके बाद जब व्यासजी चुनकर इस सदन में आये और नेता का स्थान ग्रहण करने वाले थे तो उसके विरोध में सामने आकर बैठ गये। वे कहते हैं तो फिर हम उनके दिल की बात क्या समझ सकते हैं? वह दिल की बात रखने की बात नहीं है बल्कि राजनैतिक बात है। दिल की बात होती तो एतराज नहीं होता। राजनैतिक बात के कहने के तरीके का एतराज है। दिल की बात कहते तो उस समय की बात कहते जबकि व्यासजी नेता होकर आ रहे थे उन्होंने उनके एतराज की बात उस वक्त में उठाई थी। आज चूंकि दूसरी स्थिति है तो इस प्रकार की बात कहते हैं, इसलिये कहता हूँ। दूसरा कोई कहे उसके लिये कोई एतराज नहीं।

अब माननीय अध्यक्ष, बहुत सी बातें इस सदन में कही गई कुछ चीजों के बारे में तो हमारे माननीय साथी जो यहां पर बैठे हैं इस तरफ यह स्पष्ट कर चुके हैं। मैं उनमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात आम तौर से बहुत से सदस्यों ने कही है कि सोशयलिस्टिक पेटर्न की हम बात कहना चाहते हैं और पेटर्न के लिए जो सरकार ने नीति काम में ली है वह बिलकुल दूसरी तरह की नीति है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इससे तो केपिटेलिस्टिक आइडियोलोजी का ख्याल बनता है। मैं समझता हूं कि केपिटेलिज्म खुद में एक बहुत स्पष्ट टर्म है कि जहां उसका अर्थ यह होता है कि अपनी पूंजी के बल पर दूसरे का शोषण किया जाय। उसे दरअसल संक्षेप में कहा जाय तो हम केपिटलिस्ट समझ सकते हैं, लेकिन एक पक्ष को कुछ रुपया ज्यादा पहुंचता है तो वह केपिटेलिज्म है, यह समझना, मैं समझता

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हूं, भ्रमपूर्ण है। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि फीगर्स और ज्यादा हैं लेकिन आज रशिया में जिसे कि कॉम्युनिस्ट कन्ट्री कहा जाता है, वहां पर जो वेतन आम तौर से मिलता है मिनियम ५०२ रूबल मिलता है और एडमिनिस्ट्रेटिव मेनेजेरियल काम करते हैं उनको उसके मुकाबिले में २० हजार रूबल्स मिलते हैं महीने में। इन दोनों के बीच का जो डिफरेन्स है वह ४० टाइम्स है, उससे ज्यादा भी जिनका ऐकेडेमिक केरियर है और जो टेक्नीशियन्स ऊंचे पदों पर है उनको ज्यदा मिलता है। मैं समझता हूँ कि यह एक एक्जाम्पल उस कन्ट्री की दी है जो कि अपने इस सिद्धान्त का परीक्षण, करीब २ यह कहा जाय तो गलत नहीं होगा कि ३०, ४० साल से कर रहा है। उस देश की बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। असमानता छोटे और बड़े के बीच में कम हो। यह वांछनीय है। इसमें दो बात नहीं हैं। जो पे स्केल्स हमने यहां पर निर्धारित किये हैं। जो नीचे के चपरासी को मिलता है उससे अधिक मिल सके, यह अच्छी बात है। थोड़े से ज्यादा मिल सके, बहुत अच्छी बात है। उसमें कोई मतभेद की बात नहीं है। लेकिन सोश्यलिस्टिक पेटर्न की जब बात कही जाती है, अध्यक्ष महोदय, तो जो पे स्केल्स हमने रिवाइज किये हैं उस के अन्दर शायद बहुत से माननीय सदस्यों को पता नहीं है कि एक ग्रेड राजस्थान के अन्दर थी ८५० से १२०० और २०० रु. स्पेशल पे, उस ग्रेड में हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को राजस्थान के अन्दर दिये जाते थे। मतलब यह है कि मेग्जीमम किसी को १२००रु. मिलता है तो १४००रु. आज वह हुआ करता है। उसके मुकाबले में जो मेक्जमिम रिवीजन है वह १५००रु. का है। १४००रु. के बजाय १५००रु. का रिवीजन है। जो रिवीजन पे स्केल्स का सामने आया है उस रिवीजन के अन्दर उनको १५००रु. तक लेजाया गया। मिनिमम में चपरासी को पकड़ते हैं तो चपरासी का अगर २५ से ४० है और जिसके ऊपर एक और निवेदन कर दूं कि १००० से १५०० की ग्रेड में जो हैं उनको डियरनेस एलाउन्स उस ग्रेड में नहीं मिलता है, १००० से १५०० वालों को, उसके मुकाबले में एक चपरासी का २५ से ४० का ग्रेड रखा गया हैं उसके मेक्जीमम को लेलें या मिनिमम को लेलें तो २५ रुपये और १५ रु. डियरनेस एलाउन्स इस प्रकार ४० रु. मिलते हैं उसके मुकाबले में जिसको मेक्जीमम १५०० मिलेगा उसको १०००रु. से स्टार्ट करते हैं तो एक हजार और ४० का रेश्यो ३० और एक आयेगा........

श्री गोपीलाल यादव—२५ आता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफरेन्स दोनों के बीच में क्या है वह निवेदन कर रहा हूं। इधर मेक्जिमम को ले लें तो १५०० रु० है और चपरासी का ४० प्लस २० यानी ६० रु० हुए। तो ६० के अगेन्स्ट में १५०० रु० हुए तो वह करीब करीब २५ गुना हुआ। पर फाइनेन्स कमीशन ने, माननीय अध्यक्ष, बहुत से सदस्यों का मालूम होगा कि टेक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन कायम हुआ था तो उसने यह कहा था कि हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम देश के अन्दर अपनी तनख्वाहों में डिफरेन्स मेक्जीमम और मिनिमम के बीच में ३० टाइम्स तक ला सकें। जो कमीशन कायम हुआ और उसने कहा कि ३० टाइम तक लाने का

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

प्रयत्न किया जाना चाहिए तो आज जो हमने रिवीजन किया है तो कहीं भी ३० टाइम्स से कहीं ज्यादा नहीं किया है। तो आप जांच करने को तैयार हों कि मेक्जीमम और मिनिमम के बीच का डिफरेन्स, ऊपर और नीचे का डिफरेन्स, दोनों के बीच का डिफरेन्स उससे कम ही लगेगा। किन्तु इस डिफरेन्स को इस लाइट में देखिये कि आज जो १४०० रु० के मेक्जीमम पर है पहले उसके मुकाबले पर उनका मेक्जीमम ३० था, ३० और १५, ४५ रु० था तो ४५ के मुकाबले में १४०० पाता था और अब ६० नीचे और १५०० ऊपर हैं। तो पहले उसमें करीब ३२ गुने का डिफरेन्स था और अब इस डिविजन के बाद २५ गुना डिफ़रेन्स रहा है। मैं समझता हूँ कि मैंने लिमिट के लिहाज से दोनों लिमिट्स के डिफरेन्स का कम्पेरीजन करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि हमने सोशलिस्टिक पेटर्न के आधार पर चर्चायें इसमें की हैं और उन चर्चाओं का दरअसल आधार हो सकता है कि दोनों के बीच का डिफरेन्स धीरे धीरे किस प्रकार कम करते हुए चला जाय। वह बात एक समझ में आ सकती है। फिर, अध्यक्ष महोदय, आज इस डिफरेन्स के बेक-ग्राउंड में जो हमने किया है देश के अन्दर आप देखिये कि आई. सी. एस. ४००० रु० के ऊपर के सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में हैं। हमने अपने मेक्जीमम को कोई देश के मेक्जीमम से बढ़ा दिया हो, दूसरे देशों के मेक्जीमम से ऊपर ले गये हों। किसी चीज को तोड़ मरोड़ कर कहें तो दूसरी बात हो जाती है। इस कहने के अन्दर, मैं समझ सकता था कि उनको आगे करके इसके अन्दर केपेटिलिज्म और सोशलिज्म की बात कहना चाहते हैं वे सारी खत्म हो गई जब कि हकीकत बतलाई गई तो मालूम हुआ कि सारी बातें कहां हो गई हैं। उससे इन बातों को समझने में आसानी होगी। इससे सारी बहस को समझने का प्रयत्न किया जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि मैं इस बात को निश्चित तौर से मानता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि नीचे और बढ़ाना चाहिए, बढ़ायें लेकिन वह हमारे यहां की आर्थिक स्थिति के अनुकूल ही हमें इस संबंध में निर्णय करना होगा और जब उन चीजों के निर्णय के बाद कुछ सोचकर चले हैं। तो मैं संक्षेप में एक एक अन्दाज बताता हूँ कि जो रिवीजन हमने किया है उनके एवरेज पर इकानामिक और फाइनेन्शल प्रिन्सिपल्स के मुताबिक उसका असर यह होता है कि १० वर्ष का एवरेज पकड़ कर चलें तो इस सारे रिवीजन से १ करोड़ ११,१२ लाख के आसपास के एक्स्ट्रा फाइनेन्शल लायबिलिटी होती है। १ करोड़ ११ लाख की फाइनेन्शल लाइबिलिटी में से ८६ लाख रुपये नान गजेटेड पर इन्क्रीज्ड हैं और २५ लाख रुपये सिर्फ गजेटेड पर हैं। उस २५ लाख में से फिर आपसे निवेदन करूं कि मेडीकल डिपार्टमेन्ट और एजूकेशन डिपार्टमेंट दोनों पर ७-७ लाख इन्क्रीज किये हैं।

उसके बाद टेक्निकल सर्विसेज इंजीनियर्स....२.२२ हजार इन्क्रीज हुआ। इन तीनों का टोटल जोड़ ले तो १५ लाख निकल गया। कुछ टेक्निकल डिपार्टमेन्ट्स और हैं जिनका जिक्र नहीं कर रहा हूं उनमें १. २ लाख हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर जिसकी चर्चा कर रहा हूँ दस साल में पांच सात लाख रुपया है। इसको फिर दोहरा देना चाहता हूं कि आर. ए. एस. के अन्दर पहले दस साल के अन्दर टोटल इन्क्रीज्ड १ लाख रुपया है, आर. ए. एस.के ऊपर टोटल इन्क्रीज़ २ लाख १० हजार, आर. पी. एस. में १ लाख ८७ हजार के करीब आकर पड़े। इन फीगर्स से हमारे सामने

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

एक बात स्पष्ट होती है और वह आप आसानी से समझ सकते हैं कि कुल इन्क्रीज़ किया है उसका असर ज्यादा जाकर कहां पड़ा है और किनको ज्यादा लाभ पहुंचा है। मैं समझता हूँ कि यह चीज़ मुश्किल नहीं है। यह ठीक है कि इसमें दो राय की बात नहीं है, बहस की चीज़ नहीं है मैं यह कह कर चलूं कि जिनको मिले उससे ज्यादा मिले। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे स्थिति में सुधार होता जायगा, राजस्थान की नेचरल इनकम कहिये, स्टेट इनकम कहिये बढ़ती जावेगी त्यों त्यों स्वाभाविक रूप से इन चीजों में परिवर्तन होता चला जावेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने दुबारा बताया था इस बात को कि हमारे यहां पर हम जो कुछ पे करने जा रहे हैं उस पेमेन्ट का लाभ ऊपर वालों को बहुत ज्यादा पहुँचेगा, मैं उसके लिए भी निवेदन कर दूं कि दर असल ऊपर वाले अधिकतर सिवाय एक दो ओफिसर्स के सब एक हजार के आस-पास हैं उनको इमिडियेटली कोई गेन होने वाला नहीं है। दूसरी बात और अर्ज कर देना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि जैसा सदन के माननीय सदस्य जानते होंगे कि आज देश में जो एक ट्रेन्ड है उस पर कई बार चर्चायें होती हैं। आपने और हमने देखा कि हाईकोर्ट के जज के लिये चाहे राजस्थान बनने के वक्त कोई हजार रुपया पा रहा था या उससे ऊपर था तो आज एकदम रीविन हुआ, आज इंडिया पेटर्न बनाया, उस वक्त पाने वाला जज आज २५०० पा रहा है क्योंकि वे सटर्न स्कीमें फिटइन है। आई ए. एस के लिए विचार किया। कि ८०० तक मिनिमम पहुँचे, ८०० से १८०० तक का किया, आई० पी० एस० का भी ग्रेड उसी तरह से हुआ। माननीय अध्यक्ष, आज देश में विचार हो रहा है कि एजुकेशनल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, इन्जीनियरिंग सर्विसेज और ऐसी कौन २ सी चीजें हैं जिनको आल इन्डिया सर्विसेज के तौर पर पहुँचाया जाय। आज जिस चीज की हम यहां चर्चा करते हैं हो सकता है कि ऐसी बातें आवेंगी। सोशलिस्टिक पेटर्न की ओर बढ़ने की बातें हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आल इन्डिया सर्विसेज के ट्रेन्ड के बेसिस पर हमने तय किया है और आप और हम देखेंगे क्योंकि देश में जो एक ट्रेन्ड चल रहा है, ये आल इन्डिया बेसिस पर ही बनाये जा रहे हैं। सारे देश में ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि मिनिस्टरों को मिनिमम पे होना चाहिए। उन्होंने मिनिमम ही कहा मेक्सिमम नहीं। एक माननीय सदस्य भाषण देते हुए बता रहे थे कि राजस्थान में २५) पाने वाले टीचर्स हैं। यह सही है। अब आप अन्दाज लगाइये कि २५) पाने वाले टीचर्स को ४०) पर पहुँचावेंगे। ४०) मिनिमम रखा है, जो दूसरे २५) पाने वाले हैं उनको मिलेंगे। ४०) से कम पाने वालों को डियरनेस अलाउन्स भी कम मिलता है, तो वह ओटोमेटिकली इन्क्रीज होगा, वह जो मिलने वाला है वह अलग है। ४०) की चर्चा तो की लेकिन डीयरनेस अलाउन्स में एडवान्स इन्क्रीज मिला है उसका ख्याल करना भूल गये।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि हैडमास्टर्स, डिग्री कालेजेज के प्रोफेसर्स को ज्यादा बढ़ा दिया। सही बात है माननीय अध्यक्ष। परिस्थितियां ऐसी हुई हैं कि आर० ए० एस० और आर० पी० एस० में कम्पीटिटिव एग्जामिनेशन्स किये जाते हैं, उनके अन्दर जो सिलेक्शन में आये उसके हिसाब से ५० प्रतिशत से ज्यादा लेक्चरार्स निकल गये। बेटर ग्रेड होने से लेक्चरारर्स जो कि प्रोमेशन लेकर प्रोफेसर्स हो सकते थे वे उधर चले गये। अगर हमें एजुकेशन को इम्पोर्टेन्स देना

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

है, अगर हम चाहते हैं कि अच्छे व्यक्ति एजुकेशन के अन्दर, कॉलेजेज के अन्दर, पोस्ट ग्रेजुएट कालेजेज के अन्दर स्थायी रूप से पहुँचे और शिक्षा को अपने जीवन का एक अंग बनावें तो निश्चित रूप से उनको ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि उनका असर राष्ट्र के भविष्य के जीवन पर पड़ने वाला है। जितने परिवर्तन परिस्थितियों को देखते हुए हम कम कर सकते थे हमने किये।

मेडिकल सर्विसेज में सी० ए० एस० क्लास २-२५० से शुरु होता है। जब वह २५० से शुरु होता है तो हम अन्दाज लगावें कि जो एम० बी० बी० एस० पढ़ता है, कितना खर्चा करता है उसकी ग्रेड में मिनिमम में इन्क्रीज कर दिया। इसी प्रकार इन्जीनियरिंग में किया। एक माननीय सदस्य ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स का इतना ही रखा इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की ग्रेड्स का अध्ययन करते समय यह विचार रखना पड़ेगा कि कुछ पोस्ट्स ऐसी होती हैं कि जो आगे प्रोमेशन से भरी जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, तहसीलदार हैं प्रोमेशन से आगे बढ़ेंगे। एक आदमी असिस्टेन्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के तौर पर भर्ती हुआ, वह रिवाइज्ड ग्रेड के अनुसार १०० के आस पास है तो पांच सात साल काम करने के पश्चात प्रोमोशन पा सकता है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हो सकता है। डाइरेक्ट रिक्रुटमेंट नहीं होने वाला है। रिक्रुटमेन्ट डाइरेक्ट होता है नायब तहसीलदारों का। सर्टन इयर्स में जाकर वह तहसीलदार के लिए रिक्रुट हो सकता है। अगर इन चीजों को पूरी तौर पर देखें तो सारी प्रोब्लेम को समझने में ज्यादा आसानी होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ इधर उधर की चीजें हो सकती हैं, जैसे किसी एक माननीय सदस्य ने बताया कि कॉपरेटिव में जो पहले थीं उससे कम हो गई। हमने फैसला किया है कि अगर उसमें कहीं एनोमलीज रह गई हैं, एनोमलीज हैं, बहुत सी सामने आती हैं, आवेंगी, जो बातें स्पष्ट तौर पर, प्रिंटिंग, टाइपिंग एनोमलीज के तौर पर रह गई हैं उनको ठीक करना है, एक जनरल पेटर्न हमने तय किया है। मैं समझता हूं कि इसको बहुत साफ तौर पर सोचें तो मालूम होगा कि आर० ए० एस० की ग्रेड जो २५० से ५०० थी उसको ७५० तक किया और उसके मुकाबले में आज हिन्दुस्तान की स्टेटस में २५० से ७५० के नीचे हैं। अगर हम २५० से ज्यादा बढ़ाना चाहें तो आज हम उससे ज्यादा जाने की स्थिति में नहीं हैं और आज की स्थिति में सम्भव भी नहीं मानते ५०० से आगे बढ़ने के लिए गुन्जाइश नहीं थी वे आगे जा सकें। आम तौर पर पेटर्न में, २५० से ७५०, ८०० से १२००, कुछ इधर उधर हैं, और एक सीनियर स्केल ऐसी होती है जिसमें नियुक्ति होती है। राजस्थान के फोर्मेशन के बाद आर० ए० एस० के चार ग्रूप्स बने।

(अश्रव्य)

जो ग्रूप चला ५०० से ७५० की ग्रेड चलती है। उसके बाद हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स की ८०० से १२०० और २०० स्पेशल पे चलती है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

इन सारी चीजों को लेकर जिस लक्ष्य पर आना होता है वह यह हो सकता है कि एक ग्रेड आर० ए० एस० का रनिंग रखा और कुछ सिलेक्टेड पोस्टें है। क्योंकि आखिर जो इम्पोरटेन्ट पोस्टस हैं उन पर आम तौर से आई० ए० एस० या दूसरे सीनियर आदमी होंगे वे ही अपोइन्ट किये जायेंगे। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि रिविजन का कारण क्या था, कई सदस्यों ने उसे पसन्द नहीं किया था। वह था कि आर० ए० एस० के ऑफिसर जो आई० ए० एस० में चले गये या आर० जे० एस० के कुछ लोग जो डिस्ट्रिक्ट जज बन गये उन सब लोगों का ग्रेड इन्क्रीज करते हैं तो उनके साथ दूसरी स्टेटस की पोजिशन देखकर आपको विचार करना पड़ेगा। नीचे केडर के लोअर डिविजन क्लर्क को लेकर चलें तो भी मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि लोअर डिविजन क्लर्कस की जो बेसिक पे हमारे यहां है वह किसी भी दूसरे स्टेट में नहीं है। यह भी सवाल उठाया गया कि डीयरनेस अलाउन्स दूसरी जगह ज्यादा हैं, यहां पर भी क्यों नहीं बढ़ाई गई। बेसिक पे से हट कर डीयरनेस अलाउन्स पर आये। जो डीयरनेस अलाउन्स पहले से चला आ रहा है उसको हमने कम नहीं किया है, टच भी नहीं किया है। उसमें इन्क्रीज भी नहीं किया गया है यह ठीक है लेकिन ऐसा नहीं करने का फाइनेन्शियल रीजन है। इसको सामने रखते हुए सरकारी चीजों पर विचार करना पड़ता है। आज जो लोग कहते हैं कि इन्क्रीज नहीं मिलने वाली है इस पर विचार करें तो नीचे और ऊपर की टोटल इन्क्रीज कितनी होती है तो सारी चीज सामने आ जायगी। चपरासियों का सवाल ले लीजिये। मेजोरिटी ५ साल से पुराने हैं और वे २५ या ३० पर रुके हुए हैं। उनके ग्रेड में ५ रुपये बढ़ाये हैं। एक आदमी जो ३० रु० पर बैठा था उसके एकदम ३२ हो जायेंगे। एक एडवान्स इन्क्रीमेन्ट देने की घोषणा की गई है। चपरासी को एक एडवान्स इन्क्रीमेन्ट मिल जायेगी और एक इन्क्रीमेन्ट जो उसको सालाना मिलनी चाहिये और जो ग्रेड समाप्त होने के कारण नहीं मिल रही थी वह ग्रेड बढ़ जाने के कारण मिल जायगी इस तरह से उसको २ इन्क्रीमेन्ट मिल जायगी। यह उनको सब्सटेन्शियल इन्क्रीज मिलेगी ऊपरवालों की इन्क्रीमेन्ट नहीं बढ़ाई है। इससे हमारे फाइनेन्सेज पर भी काफी असर पड़ेगा। फिर भी मैं संक्षेप में कहूँगा कि इस सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण आपके सामने रखा। मैं समझता हूं इस प्रश्न पर विचार अवश्य किया जाना चाहिये क्योंकि मैंसोशलिस्टिक पेटर्न के सिद्धान्त से भागना भी नहीं चाहता, मैं ऐसा मानता हूं। जैसा कि एक महोदय ने कहा कि आपने नीचे वालों को रिलीफ दिया पढ़ाई, लिखाई के बारे में तो क्या हुआ। मैं अध्यक्ष महोदय, से निवेदन करूंगा कि जो नीचे के लोग हैं एल० डी० सी०, टीचर्स, क्लास फोर्थ सरवेन्टस आदि हैं उनको रिलीफ देने का प्रश्न है। उनके संबंध में प्लानिंग कमीशन ने और पं० नेहरू ने कहा, इसके बारे में रेफरेन्स राइटिंग में मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि नीचे के लेवल पर एक दो रुपया बढ़ाने के बजाय उनको हम जनरल एमिनिटीज ज्यादा देते है तो वह सोशलिस्टिक पेटर्न के ढांचे के ज्यादा नजदीक बैठेगा बजाय इसके कि १ या २ रु० बढाये जायं। इन सब बेसिक बातों को देख कर आगे बढ़ना चाहिये। इसकी ओर हमने माइल्ड बिगनिंग की है। मैं यह नहीं कहता कि हमने सब पूरा कर दिया। बड़ी बड़ी सोशलिस्ट कंट्रीज ने भी पूरा नहीं किया है। उनके यहां भी यदि पूरा हो गया होता तो इन्कम टेक्स आदि की नौबत नहीं आती। उनके यहां भी इन्कम टेक्स लगता है और इन्कम टेक्स तभी लगता है जब कि इन्कम ज्यादा होती है। माननीय मित्र जो

Page No.55

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मेरे सामने बैठे हैं वे भली प्रकार जानते हैं इस बात को। अन्तर सब जगह है। राजस्थान में सोशलिस्क पेटर्न खत्म हो गया हो ऐसी बात नहीं है, सारी चीजें खत्म हो गई यह बात नहीं है। जिन माननीय सदस्यों ने इन बातों की चर्चा की है उनके लिये मैं यह क्यों कहूँ कि इस चर्चा के पीछे कोई और बात थी, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आपके दिल में छोटे लोगों के प्रति हमदर्दी थी इसलिये आपने उनके लिये इतना कहा। मैं वाकई निवेदन करना चाहता हूं कि उनके प्रति जो हमदर्दी सदन के उन माननीय सदस्यों में है हम उसके विपरीत नहीं हैं। लेकिन हमारा फाइनेन्शियल ब्रेक डाउन न हो इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ता है। इतना ही फर्क है कहने वालों में और फैसला करने वालों में ग्रेड रिवीजन के सम्बन्ध में बहुत अर्से से प्रश्न चला आ रहा था, इसलिये मैंने आपके सामने इसके बारे में निवेदन किया।

ग्रेड रिविजन के अलावा तो अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहस कुछ और ही तरीके पर थी। मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे बहुत ही माननीय मित्र ने यह कहा कि कोटा के कोटडा ठिकाने की जमीन के बारे में बड़ा गोलमाल हो गया है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की एक दिक्कत और है जिसे यदि माननीय सदस्य हमारे खिलाफ टीका करने को कहें उस वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा हो, इस कोटडा की जमीन के संबंध में डिस्ट्रिक्ट जजी में एक मुकद्दमा चल रहा है। गवर्नमेन्ट ने जमीन का पैसा उनको नहीं दिया जाय ऐसा निर्णय उन के पास पहुँचा है। उसके खिलाफ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जजी में अपील की है कि गवर्नमेन्ट का फैसला गलत है और मुझे यह कहना बाधित होना पड रहा है यह कहने को कि जो रूपये देने का फैसला था वह वाजिब था मैं खड़ा होकर कहूं कि किस पोजिशन मैं यहां पर हूं। इस में ज्यादा न जाकर एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह मामला इस मिनिस्ट्री का नहीं है, बहुत लम्बे अर्से का मामला है, इस राजस्थान का भी नहीं है, यह निवेदन करूं। सन् १९४५ में जब कोटा स्टेट थी तब एक बार जागीरदार ने नोटिस निकाला कि वे इस जमीन को सेल करना चाहते हैं तो कोटा स्टेट ने कहा कि इस जमीन को आप दूसरों को सेल नहीं कर सकते। इस ऑर्डर के बाद वहां की कोटा गवर्नमेन्ट की कौंसिल ने यह आदेश दिया, सन् ४७ में कि आप इस जमीन को बेच नहीं सकते तो जागीरदार ने कोटा स्टेट को लिखकर भेजा कि २। रू. गज के हिसाब से यदि गवर्नमेन्ट खरीदने को तैयार हो तो मैं गवर्नमेन्ट को दे सकता हूं वरना मुझे यह राइट होना चाहिये। उस पर कौंसिल ने यह निर्णय किया मैं कोटा स्टेट की बात कह रहा हूं, कि रेट हमें आपस में तय नहीं करनी चाहिये। लैंड एक्वीजेशन एक्ट की तहत कमिश्नर को कलेक्टर के पोवर्स एवार्ड देने के लिये लिख दिया गया उस पर सन् ४८ में कमिश्नर ने एक फैसला दिया और अध्यक्ष महोदय, वह फैसला २। रु. सवा दो रूपये का था। सन् ४८ के बाद शायद सन् ४९ में उसके मुताबिक पेमेन्ट करने की बात हुई। फिर मामला ड्रेग होता रहा। फिर सवाल उठा इन सवालों में नहीं पडना चाहिये मुझे क्योंकि वे कई लीगल नेचर के हैं जिनमें क्या बात है और क्या नहीं। लेकिन सन् ५२ में जब माननीय पालीवालजी चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त फिर ऑर्डर दिया गया कि रूपये चुकाये जाय।

श्री टीकाराम पालीवाल—This is not in my knowledge.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपकी नोलेज में न हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिसने ऑर्डर दिया उसके स्थान पर कोई दूसरा होता तो वही सोचने की बात आ सकती थी। मैं उस दृष्टिकोण से नहीं कहता, लेकिन क्या क्या स्टेजेज रही सन् ४५ से अब तक उसको बता रहा हूं। फिर यह सवाल घूम कर वापिस आया और इस तरह की बात सोची गई।

मैं समझता हूं कि जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, जो कि एक फैसला एक व्यक्ति का नहीं एक एवार्ड है उसको लेन्ड एक्वीजिशन एक्ट में पॉवर, है उस एवार्ड को इम्पलीमेंट करने का प्रश्न है उसके विपरीत अगर कोई चाहे तो अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में जा सकता था। तो मैंने निवेदन किया कि जिस चीज पर बहुत ज्यादा कहा जा सकता है, मैं समझता हूं कि यदि इस तथ्य को कोई भी यदि देखे तो उसको मालूम होगा कि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हर स्टेज पर इसको एग्जामिन किया और पता लगाया। माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जमीन के पास की जमीन अपने पब्लिक हैल्थ के लिये २। रु० के हिसाब से खरीदी है। इसलिये इसके लिये कोई इम्पलीकेशन की बात नहीं होनी चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने सदन में जो बहस हुई सुनी। एक माननीय सदस्य जो किसी समय, किसी स्टेज पर मंत्री मण्डल में रहे थे और कागज उनके सामने आये, उन कागजों की सिक्रेसी को इस तरह ओपिनली कहें या प्रकट करें तो यह किसी प्रकार से ठीक नहीं कहा जा सकता और वह किसी प्रकार से शुद्ध परम्परा के लिये ठीक होगा, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि तथ्यों पर अगर वह बात आधारित होती तो ठीक होता।

श्री कंवरलाल जेलिया—इस चेंज का ५२-५३ में विरोध हो चुका है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—५२-५३ के बाद भी होता। मैं निवेदन करूं कि जिस वक्त एतराज उठा। माननीय मित्र ने इसमें एतराज उठाया और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि उनको बात चीत करने के लिये बुलाया जावें। अगर यह सवाल इतना ही सीधा था तो जिन्होंने एतराज उठाया उन्होंने उनको बात चीत करने के लिये क्यों बुलाया ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसी बात है कि जिस परम्परा को हमारे नेता गलत समझ रहे हैं उस गलत परम्परा में मैं पड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसके संबंध में कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या रेट २ आना लेकर देने का फैसला गवर्नमेन्ट ने नहीं किया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी नहीं, फैसला नहीं किया। कोटा गवर्नमेन्ट ने कहा कि हमें २ रु० २ आ० में मिलनी चाहिये। मगर मना किया। मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिये कोटा कौन्सिल ने फैसला किया। आप समझ लें कि दो रुपये दो आने के बाद कोटा कौन्सिल ने फैसला किया। मैं यह कहूँगा कि कौन कितना कहता है लेकिन कौन्सिल रिजोल्युशन साफ है।

Page No.57

श्री रामकरण जोशी—जिस साथी के लिये यह कहा जा रहा है कि मिलने के लिये बुलाया उसके फैसले को मैने देखा और पढ़ा है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूँ कि मैं इससे ज्यादा विस्तार में इस सम्बन्ध में पड़ना नहीं चाहता।

श्री रामकरण जोशी—मैं यह कहूँगा कि तथ्य की बात कहनी चाहिये। दो आने गज का फोर्मर कोटा ने किया। चार आने की मांग थी जब कि दरख्वास्त (अश्रव्य) उसके साथी ने फैसला किया। अगर आपको पूरी बात मालूम नहीं हो तो उसकी जानकारी करके बोलिये और अगर मालूम नहीं हो तो मत बोलिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आपने जो बात कही उसके बारे में मैं अधिक विस्तार में नहीं जानना चाहता। अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहें तो मिल सकते हैं।

श्री रामकरण जोशी—मुझे आपसे मिलने का कोई शौक नहीं। मैं भी जानता हूं और आप भी वास्तविकता को जानते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप जो जान रहे हैं उससे ज्यादा जानकारी मेरे पास है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि दो आने वाली बात कोटा स्टेट ने लिखी वह पहले की है या बाद की है?

श्री रामकरण जोशी—मैं मिनिस्टर इन्चार्ज था, उसके फैसले की बात कह रहा हूँ और उन्होंने एप्रूव किया, यह मैं कहना चाहता हूँ।

श्री टीकाराम पालीवाल—माननीय अध्यक्ष, मैं इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—आप जवाब दे दें, फिर कहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसमें क्या इन्टरप्शन खड़ा होता है।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे जो इन्फोर्मेशन मिली है वह सही है या गल्त है, यह जानना चाहता हूँ। फाइल को देखने से मालूम पड़ता है कि एप्लीकेशन ४ आने की थी। उसके पीछे दो रुपये और बढ़ाये। ओरिजिनल में चार आने पर यार्ड था उसको काट कर ४ आना पर फुट किया गया। ऐसी इन्फोर्मेशन मिली है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मेरी इन्फोर्मेशन सही है या गल्त है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं इस इन्फोर्मेशन के लिये फाइल मंगा कर आपको खुद को बतला दूंगा। आप देख लें कि जो बताया जा रहा है वह सही है या गलत।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं देखना चाहूँगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय...........

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप मेरी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष—Order please unless the leader to whom I have given the possession is going to yield, I will not allow.

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक क्लेरीफिकेशन पूछ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—It is his choice. I have given the possession of the House to him.

(घंटी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— मैंने जो बातें कही हैं उससे सारा प्रश्न स्पष्ट हो जाना चाहिये और कम से कम इतना माननीय सदस्यों को विश्वास होना चाहिये कि जो बात मैं यहां कह रहा हूं वह सब देख कर कह रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात मैंने कही है, वह फाइल को देखने के बाद कही है। एप्लीकेशन क्या है उस पर सुनी-सुनाई बातों पर चर्चा की गई। अगर उनको वस्तु स्थिति का पता होता तो इस सदन में हम किसी चीज पर और खास कर इस पर बात नहीं करते। माननीय सदस्य ने यह खुद ने कहा कि उन्हें दूसरों ने बताया और उस पर आपने इतना बड़ा चार्ज लगा दिया।

श्री टीकाराम पालीवाल— चार्ज नहीं लगाया। मैं तो इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— आपने स्पष्टीकरण में इतना बेक ग्राउन्ड बनाया। मैं नहीं समझता कि आपको इसमें उलझन की क्या बात है? इसके तथ्यों में जाकर देखें, दूसरों की सुनी-सुनाई बात पर आपने अपना भाषण दिया, अगर सुनी-सुनाई बातों पर इस प्रकार नहीं कहते तो ज्यादा अच्छा था।

हमारे एक माननीय मित्र जो सामने बैठते हैं, उन्होंने चौधरी कुम्भाराम जी के बारे में कहा कि एक ट्रेक्टर वहां गया और काम करता रहा। इसकी कोई एन्ट्री लॉग बुक में नहीं है और वे यहां तक कह गये कि कोई लॉग बुक ही नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— मैंने यह नहीं कहा कि लॉग बुक नहीं है। मैंने कहा कि लॉग बुक है और अब उसको गायब करने की कोशिश की जा रही है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया— जब आपने यह बात कही तो मैंने डिपार्टमेंट से इसके लिये पता लगाया और लॉग बुक मंगाई। लॉग बुक मेरे पास है और लोग बुक में इसकी एन्ट्री भी मौजूद है। मैं यह कहूंगा कि आपको जैसा ख्याल है वैसी बात नहीं है। अगर आपको कोई बात मालूम नहीं हो तो हमारे कृषि विभाग के मंत्री है उनसे जानकारी करनी चाहिये। मैं इसके सारे जवाब में नहीं पढ़ कर, मैंने इसका संक्षेप में जिक्र आपके सामने कर दिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सूचना देना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अध्यक्ष महोदय मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि एक के बाद एक व्यक्ति खड़ा हो जाय और मैं उसका जवाब देता रहूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास— सदन के नेता के पास भी मैंने शिकायत की थी

श्री हरीराम निनामा— आप बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष—I think it is against tbe parliamentary etiquette. when a member has been given the possession of the floor of the House he should not be interrupted. If the hon'ble member has to say anything by way of explanation he can only say if the member yields to that but if he does not yield, there is no way out except that he can say after he finishes his speech by way of explanation.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, यहां पर और भी बहुत सी चर्चायें आई। एक चर्चा बीच में जो आई वह पांच हजार के नीचे की जागीरों के लेने की पोलिसी के बारे में थी। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय व्यास जी जब मुख्य मन्त्री थे, इस प्रश्न पर चाहे कुछ भी किसी की राय रही हो एक बात निश्चित है कि सारी जागीरें लेने का जो फैसला हुआ वह एक मत से हुआ। इसलिये किसी के ऊपर यह गलतफहमी हो तो उस गलतफहमी को दूर करना मैं उचित समझता हूं। चाहें हमारे कितने ही मतभेद हों लेकिन इस प्रश्न को सबने मिलकर तय किया था। व्यासजी ने उसमें किसी प्रकार के एतराज की बात नहीं कही। इस चीज को स्पष्ट करना मेरा कर्त्तव्य था इसलिये मैंने इसको स्पष्ट किया।

हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने जो आज मौजूद नहीं है, कल यह कहा था कि २० लाख का एक्सरे का सामन खरीदा गया। मैंने जब इस बात का पता लगाया तो यह मालूम हुआ कि कुल समान ही जो सारा खरीदा जा रहा है वह ८।। लाख का है उसमें सिर्फ एक्सरे सामान डेढ़ दो लाख का है। उसके अलावा भी उन्होंने एक बात कही कि उदयपुर में एक जनार्दनराय

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हैं जिनकी पड़ी जमीन थी उसको खरीदा उसमें उनको डेढ़ लाख रुपया कम्पेनसेशन का दिया जा रहा है। सारी जमीन जो भी ली जा रही है उस सारी का मेरे ख्याल से डेढ़ लाख रुपया नहीं होता है, वह सारी ही जमीन करीब डेढ़ सो, २०० बीगा है। सारी का ही कम्पेनसेशन डेढ़ लाख नहीं बनता। मुझे पता नहीं यह कि किन लोगों ने उनको सूचना दी और वे किस आधार पर फरमा रहे थे, वह मैं नहीं कह सकता।

अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें और हैं। उन सब में न जाता हुआ एक बात जो जमुना वर्टर्स के संबंध में एक माननीय मित्र ने कही कि जमुना का पानी हमें मिलना चाहिये। भरतपुर जिले के लिये मैं आपसे यह सूचना देना चाहता हूं कि यू० पी० गवर्नमेन्ट और भारत सरकार ने इस बात के लिये अपनी सहमति प्रगट कर दी है कि राजस्थान को जमुना का पानी मिलेगा। (हर्ष ध्वनि) इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें थी जो बजट से संबन्धित थीं; वे सब वित्त मंत्री कहेंगे बाकी के बारे में। मैं खास तौर से एक बात के बारे में कहना चाहता हूं। वह यह कि एक माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि टेक्सेशन का भार राजस्थान पर ज्यादा डाला गया जो बरदाश्त नहीं किया जायगा। दूसरी तरफ वे माननीय सदस्य कहते हैं, नीचे के दर्जे के कर्मचारियों के वेतन बढ़ादो नहीं तो बर्दाश्त नहीं किया जायगा, इधर भी बर्दाश्त नहीं किया जायगा और उधर भी बर्दाश्त नहीं किया जायगा : तो दोनों तरफ तो मत जाइये। आपका तो एक ही ध्येय रहता है किसी भी तरफ से हो असंतोष पैदा किया जाय चाहे वह टेक्सेशन लगाने के बारे में हो चाहे नीचे के ग्रेड को बढ़ाने के बारे में। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक टैक्स और एक्सेस रेवेन्यू का सवाल है जैसा कि हमारे बजट के अन्दर जिक्र किया गया, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर हमें राजस्थान को आगे ले जाना है और तेजी से बढ़ाना है और राजस्थान के विकास कार्यों को पूरा करना है तो जो जिम्मेदारी प्लानिंग कमीशन ने दी है वह हमें पूरी करनी है। आज राजस्थान के अन्दर ही हम यदि आमदनी के सोर्सेज नहीं बढ़ाते हैं तो लोगों के दिलों में आज जो कल्पना है हमें अरब डेढ़ अरब रुपया खर्च करना है तो वह किस तरह हो पायेगा, उस कल्पना से हम दूर रह जायेंगे। हमारी द्वितीय पंच वर्षीय योजना इम्पलीमेन्ट नहीं हो पायगी और इसका असर हम सब पर पड़ेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि जब टेक्सेशन की बातें आयें। एक्सेस रेवेन्यू का सवाल आये तो हमारे माननीय सदस्यों का इस बात के लिये समर्थन मिलना चाहिये। दूसरी पंच वर्षीय योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिये अधिक प्रयत्नशील होना चाहिये। हां ऐसे जो टेक्सेज हों जो आमतौर पर जनता बरदाश्त नहीं कर सकती वे बातें अगर आप हमारे ध्यान में लाये तो विचार किया जा सकता है।

ट्यूशन फीस के बढ़ाने के सम्बन्ध में बातें कही गई। इसका जिक्र बजट में भी किया गया है इसको इन्कार करने की बात नहीं है हम ट्यूशन फीस को बढ़ाने के बारे में विचार रखते हैं, यह कोई इन्कार करने वाली बात नहीं। राजस्थान के अन्दर जब कि हम चाहते हैं टेक्सेशन का स्ट्रकचर फेसीलिटीज का स्ट्रकचर बहुत कुछ धीरे धीरे करते हम अन्य प्रान्तों के मुकाबले लाने में प्रयत्नशील है तो हमें इन चीजों की ओर भी देखना होगा। राजस्थान के कालेजेज के अन्दर

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जो फीस ली जाती है वह हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त के कालेज की फीस से मुकाबला कीजिये यहां जो फीस ली जाती है वह सब से कम है........

श्री हरिकृष्ण व्यास—पर केपिटा वहां कम है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--

यह हमारे यहां पोजीशन है, मैं समझता हूं कि जब हम इन चीजों पर विचार करें तब हमें द्वितीय पंच वर्षीय योजना का ध्यान रखना चाहिये जो कुछ भी हम करें इसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिये। यह जरूर है कि कम इनकम पाने वाले इतनी फीस देने की स्थिति में न हो तो उनके लिए व्यवस्था की जा सकती हैं, जैसा हमने कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये सुविधा दी है। उनके लिये फ्रीशिप, हाफ फ्रीशिप आदि का प्रबन्ध हो यह तो हो सकता है। मैंने इस बारे में अच्छे अच्छे व्यक्तियों से बातचीत की, विद्यार्थियों से बातचीत की उनको इसमें किसी प्रकार का एतराज होने वाला नहीं। इसमें भी राजनीति से कम लेने वालों को एतराज जरूर है वे मामूली सी बात को बढ़ाकर कहना और उलझन पैदा करना जिनका ध्येय रहता है वे अगर इस प्रकार के उलझन बढ़ाने का प्रयत्न न करे तो ज्यादा अच्छा है। एक माननीय सदस्य मित्र ने यह भी कहा कि ऑक्ट्राय आदि यदि आपने लगाई तो जयपुर, जोधपुर आदि शहरों में हड़ताल हो जायगी यह होगा वह होगा इस प्रकार की सदन में बातें कहकर वे केवल मात्र प्रचार करना चाहते हैं। वे चाहते है किसी तरह सिलसिला बने और हम अपना कार्य शुरू करें। मैं समझता हूं यह वृत्ति उचित नहीं। आज हमारे लोकल टेक्सेशन को ले यहां लोकल टेक्सेशन की पोजीशन पर कैपीटा एक रुपया टैक्स नहीं। अगर दूसरी साइड इसकी लें तो जब हम फैसीलिटीज और एमीनिटीज चाहते हैं तो हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम उसको प्रोवाइड करें।

इसके अलावा एक बात विरोधी दल के नेता ने कही मि. हैम को सुपरिन्टेन्डेन्ट सरकिट हाउस की जगह से हटा दिया गया? और फिर पोस्ट क्रिएट कर दी दूसरे व्यक्ति के लिये। सन् ५३ के अन्दर वह पोस्ट रिट्रेन्च कर दी गई थी सन् ५४ के सितम्बर के अन्दर इस पोस्ट को क्रिएट किया गया। जब वह पोस्ट रिटेन्च की गई उस समय उसका ग्रेड ५०० से ७०० का था जब दुबारा यह पोस्ट बनी तब उसका ग्रेड २५० से ५०० किया गया। जो पोस्ट रिटेन्च की गई वह वाजिब थी क्योंकि उस जगह के लिये ज्यादा सेलरी पाने वाले अफसर की आवश्यकता नहीं थी। इसका भी जिक्र करना विरोधी दल के नेता ने उचित समझा और उन्होंने क्यों किया मैं इस सम्बन्ध क्या कहूँ?

अब मै एक बात और जरूर निवेदन करना चाहता हूँ एक हमारे माननीय सदस्य ने जो चौधरी कुम्भारामजी के अनन्य साथी रहे हैं, यहां पर जिस भाषा में और जिस प्रकार से पडिहारा की डकेती से लगाकर राजगढ के सेठ के लड़के के उड़ाये जाने वाली बात तक कही उसको सुनकर मैं खुद आश्चर्य कर रहा था। पडिहारा की जो डकैती हुई वह शास्त्री जी की सरकार के समय में हुई........

श्री चन्दनमल बैद—वेंकटाचार गवर्नमेंट के वक्त में हुई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया-(जारी रखते हुए) उसके बाद में जो एक व्यक्ति मारा गया राजगढ़ स्टेशन पर वह किसी और जमाने में हुई। जेल से एक डाकू के भागने का जिक्र किया गया वह भी एक जमाने में हुआ। आज जब पडिहारा डकैती का एक डकैत पकड़ा गया और सारा माल भी बरामद कर लिया गया और हरेक को सजा भी मिली है। किसी ने भी चौधरी कुम्भारामजी को उसमें एक्साप्लाइट नहीं किया। आज जब कि सारी बातों की छानबीन हो चुकी, उसमें किसी को घसीटना चाहते हैं, मुझे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं होता, क्या सोचकर वे सदस्य ये बातें कह रहे थे आज जब कि उस डकैती का एक एक माल बरामद हो चुका उसमें किसी ने भी चौधरी कुम्भारामजी के बारे में इस प्रकार की बात नहीं कही और आज यहां कहा जाय, यह केवल वातावरण को क्षुब्ध बनाने के सिवाय और क्या कहा जा सकता है ? वे माननीय सदस्य ये भी कह रहे थे कि मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं होता था लेकिन जब उनको मिनिस्ट्री से अलग किया गया तो मुझे विश्वास हो गया....

श्री चन्दनमल वेद—मैंने यह नहीं कहा कि जब उन्हें मिनिस्ट्री से अलग कर दिया तब मुझे विश्वास हुआ........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर आपने नहीं कहा तो खुशी है। मैंने जहां तक आपके भाषण को सुना, मैं यही समझा। फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक राजगढ़ के किस्से का ताल्लुक है, लड़के के उड़ाने के बारे में चौधरी कुम्भारामजी के हाथ होने की जो बात कही गई आज दिन तक इसके लिये इन्सीयुएन्शन का कोई सुबूत नहीं आया।

मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की चर्चाओं के करने से हम सदन में कोई उचित बात नहीं करते हैं और आज इस स्थिति तक पहुंच गये हैं। अपने साथियों को कल तक ऐसा नहीं समझते थे, उनके आज दिमाग बदलने की बात आती है और सब कुछ कहने को तैयार हो जाते हैं। तो यह उचित चीज नहीं और कुछ नहीं हो सकता तो हम भ्रष्टाचार की ही बातें करते हैं और कहते हैं कि इससे इन्टेलिजेन्ट लोगों के बीच में हमारी साख नहीं रही, यह नहीं रहा वह नहीं रहा। पर हम चुनाव जीतते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और उसका रिजल्ट हमारे पक्ष में आता है तो इसका कोई असर नहीं मालूम होता, इस इन्टेलिजेन्ट लोगों के बीच में भी। मैं उदाहरण के तौर पर यहां के बार एसोसियेशन की बात ही आपको बता दूं। कांग्रेस सरकार बनने के बाद इस बार के जितने मेम्बर इस साल बने हैं उतने और किसी साल में नहीं बने। जो वकील क्लास है, बार में बैठते हैं आज कांग्रेस के सदस्य ज्यादा बनते हैं। आज यह कहते हैं कि सत्ता के बल पर हो सकता है। पर सत्ता पर पहले दूसरे भी थे। सत्ता के बल पर चुनाव लड़कर कामयाब हुए हैं और आज सब कुछ सत्ता के बल पर हो रहा है यह भी कहा जा रहा है। और एक इन्सपेक्टर के ऊपर नोटिस सर्व किया गया इसलिये यह सरकार नाजीज्म के रूप में आ गई यह भी कहा गया। चार्ज शीट दिया जाता है गवर्नमेंट सरवेन्ट को और इसको कहा जाता है ग्रुप पोलिटिक्स है। यह पहले नहीं कहा गया उस समय कहा जाता हैं जब चार्ज शीट पर इन्क्वायरी हो रही है। अब ग्रुप पोलिटिक्स की बात कह कर अगर उस चार्ज शीट से उसे बचाने की कोशिश की जाय तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन सर्विसेज का क्या होने वाला है ? अगर गलत चार्ज शीट है तो वह जवाब दे सकता है। और दूसरे रास्ते हैं जिनको

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

वह काम में ला सकता है । पर इस तरह की ग्रुप पोलिटिक्स की बात कह कर हम आज यह मौका दे रहे हैं कि तुम्हारे पर एक फाइनेन्सियल एम्बेजलमेन्ट का केस है उससे बचने का कोई रास्ता नहीं देख कर वह किसी के पास एप्रोच हो और चूंकि सदन में सवाल उठेगा और सवाल उठाने की सबको स्वतंत्रता है, यहां कोई भी किसी तरह भी बोल सकता है तो ऐसे मामलों को लेकर भी बोला जाय । मतलब यह कि हम उसे चार्ज शीट न दें। पहले दिया था वह ग्रुप पोलिटिक्स की वजह से दिया था, कोई भी आवेगा कहेगा कि जो मुझे यह चार्ज शीट मिला है ग्रुप पोलिटिक्स की वजह से मिला है, मेरा कोई कसूर नहीं है । तो इस तरह से किसी भी बात को ग्रुप पोलिटिक्स की आड़ लेकर जाना बहुत आसान हो जावेगा । जिसके खिलाफ भी कार्यवाही करें वही मामला लेकर कहा जाय कि ग्रुप पोलिटिक्स है तो यह हमें कहां ले जायगी, हमारी सर्विसेज को कहां ले जायगी, मैं नहीं कह सकता । आखिरकार इसका मतलब क्या है ?

श्री रामकरण जोशी—यह बात नहीं है । टेम्परिंग की बात है । उसके चार्ज शीट में तब्दीली की गई, पहले कुछ और दिया गया, बाद में कुछ और, उसमें टेम्परिंग किया गया । इस वास्ते जिक्र किया गया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कुछ चेन्ज किया गया हो, पर सब्सटेन्स में कोई तब्दीली नहीं की गई । फर्क इतना है कि पहले जो चार्जशीट दिया गया उसमें बाद में कुछ शब्दों को ठीक करने की बात सामने आई जिसको ठीक किया गया । उसके मूल अंग में कोई फर्क नहीं किया गया ।

श्री रामकरण जोशी—कागज बदल दिये गये हैं, रिकार्ड बदल दिया गया है । तो फिर उसको आप ग्रुप पोलिटिक्स की बात कहते हैं । हम नहीं कहते । आप खुद यह बात कर रहे हैं ।

श्री सोहनलाल भटनागर—यह क्या तरीका है, माननीय अध्यक्ष ?

श्री अध्यक्ष—You are also not helping me.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (पूर्व क्रम से जारी)—इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, एक तरीका बन गया सदन में लोगों को उभारने के लिये । इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, माथुर साहब का मामला है, जो कि आपके यहां के चीफ व्हिप हैं । किताबों का मामला है । उन किताबों के मामले में एक बार आपके और मेरे बीच में सवाल उठाया गया । मैं इस बात को भी समझ सकता था कि इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है अगर यह कहा जाता तो, लेकिन हम सारी चीजों की जानकारी के बिना और विलम्ब क्यों हो रहा है इसका कारण जाने बिना यह बात कही गई कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने मुझे एक कागज बतलाया था । मैं कहना चाहता हूँ कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने आपको आकर कागज बतलाया और आज उसको डिनाई करने का मौका आया कि जब वे युनिवर्सिटी में हैं । पर हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि उन्होंने उन्हें स्वयं कागज बताया । मैं निवेदन करूं कि जो एक

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

बार वाइस-चान्सलर थे और आज जो युनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं जब वे आपने पद पर नहीं रहे उस समय पालीवालजी के पास जावें और कहें कि मेरे पास यह कागज आया और आज उसे डिनाई करें तो ऐसी स्थिति में उनको गलत समझूं और माननीय सदस्य को सही समझूं, क्या यह उचित होगा इसके सिवाय तो और मैं ज्यादा कह क्या सकता हूं ? मैंने तो आपको रेफर किया था कि आपने जो बातें कही उसके बारे में यह कहते हैं वे। मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थिति में इतना जिक्र करने की नौबत आई इस मामले में वह क्यों आई आपने कहा और लिखकर भी भेजा वह बात वहीं पर समाप्त हो सकती थी। इस बारे में और चर्चा करने की थी, तो हमकर सकते थे। पर इनको भी यहां लाकर चर्चा करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जांच क्यों नहीं करवाते आप ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जांच करवाये जाने का प्रश्न नहीं है। जांच की कार्यवाही की जाने के लिये मैंने आपसे भी खतो किताबत की कि कुछ तथ्यों की जानकारी कर रहा हूं। मई तक हम इस सदन को ले जाना चाहते हैं क्योंकि काफी काम हमारे सामने पड़ा है। बजट के समय तो समय नहीं मिलेगा। इसके बीच में जो कुछ होगा वह मैं स्पीकर महोदय को बताता रहूंगा। पर इतना धैर्य रखने की बात है। यह मत समझें कि हम किसी चीज को दबा देना चाहते हैं। पर आपने जिस लेवल पर छोड़ा और फिर कहा मुझ से गया, तो मैंने इस पर कहा कि उचित ट्रेडीशन जाने दीजिये, यह सवाल आ गया तो फैसला हो जाने दीजिये। ट्रेडीशन की बात विरोधी दल के नेता ने कही थी और अब वह ट्रेडीशन वाली बात मेरे अन्दर डाल दी गई। तो तथ्यों से हमें दूर नहीं जाना चाहिए। बहुत दूर की भी बात नहीं है जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी को जवाब देना है और मैं समय काफी ले चुका हूं, लेकिन एक एक बात एक एक मिनिट में कह दूं जो रह गई हैं कुछ।

कहा गया कि केन्द्रीय सरकार फर्टीलाइजर की फैक्ट्री इसलिये नहीं लगा रही है कि हम हनुमानगढ में ही लगाने की बात कर रहे हैं। मैं निवेदन कर दूं कि महीनों पहले लिखित रूप में हमने भारत सरकार को यह कह दिया था कि हमारे लिये हनुमानगढ का ही प्रश्न नहीं है कि यहीं लगाओ, हमारा ऐसा कोई आग्रह नहीं है। हनुमानगढ में आप लगाओ तो अच्छा, नहीं तो कोटा में लगाइये, और वहां भी आप उचित नहीं समझते हो तो सवाई माधोपुर में लगाइये, पर लगाइये तो सही। ये तीनों बाते लिखित में है और भारत सरकार के एक्सपर्ट आकर और देखकर भी चले जा चुके हैं। इसलिये यह कह देना कि हम केवल एक ही जगह के लिये आग्रह कर रहे हैं, इसलिये वह किस्सा नहीं बन रहा है, यह सही नहीं है।

एक बात और कही गई कि कम्प्रैसर के बारे में मैंने माननीय पालीवालजी से यह कहा कि यह माथुर साहब के भाई का मामला है, इसको तो पास कर दीजिये। मैं अधिक नहीं कहता। मैं सदन को यह निवेदन कर दूं कि मैं आपके (श्री पालीवाल के) पास आता और आपसे कहता कि

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

यह माथुर साहब का मामला है आप इसे पास कर दें तो आप कर देते। मैं सदन के माननीय सदस्यों को पूछता हूं कि मैं माथुर साहब के लिये कहता और वे मन्जूर कर लेते ? इसलिये इसका अन्दाज लगाकर चल सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो नोट लिखकर भेजा और भेजने के बाद तय हुआ और आपने डी. जी. एस.डी. को भेजने के लिए तो तुरन्त भेज दिया। फिर किसको मन्जूर करें किसको नहीं, इसके लिए एक कमेटी भी थी जिसने ये सब मामले देखे थे।

अब शिक्षा प्रणाली के बारे में एक माननीय मित्र ने कहा। उन्होंने कहा कि जो कुछ करते हैं शहरों के लिये करते हैं, गांव वालों के लिये नहीं करते। जैसे स्कूलों की बात कही। यह सही है कि पिछले वर्ष हमने रुपयों के लिये कहा पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वर्ष का बजट देखने से आपको मालूम होगा कि इसमें अच्छा प्रोवीजन रक्खा है। हम स्कूल चलाने के लिए अब रुपया नहीं मांगने वाले हैं। पिछले साल बजट में गुंजाइस नहीं थी, और मांग बहुत थी और रुपया देने वाले भी बहुत थे इसलिये वैसा फैसला किया गया जो उचित था। इस साल निश्चित केटेगरीज़ हैं और निश्चित क्राइटेरिया है कि इतने मील के बीच में हाई स्कूल हो, मकान बनाने वाले हों, मकान वाली बात तो इस साल रहेगी और विद्यार्थियों की तादाद भी उपयुक्त हो तो हम जनता की मांग पूरी कर सकते हैं। तो इन बातों को सामने रखकर हम इस वर्ष चलना चाहते हैं।

और अब अधिक न कह कर कुछ बातें जो फिर भी रह गई हैं, अपोरचुनिटी आवेगी तब वे कह दूंगा। इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। /

(श्री बृजसुन्दर शर्मा, वित्त मंत्री, के उत्तर देने के लिये खड़े होने पर)

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, ...

एक माननीय सदस्य—वित्त मंत्री जवाब नहीं देंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक बात का जिक्र किया गया है उसका मैं स्पष्टीकरण कर दूं, आपके (श्री वित्त मंत्री के) कहने से पहले कर दूं........

श्री अध्यक्ष—बादमें आप कट मोशन पर कर दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दो मिनिट की बात है। वह हकीकत यह है कि ट्रेक्टर उनके घर में गया, इसकी इनकारी पहले की थी। अब इन्कार नहीं किया जा सकता। वह हाउस में किया है। फाइनेन्स मिनिस्टर ने किया है और अध्यक्ष महोदय यह भी बता दूं........

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I am in the possession of the House, sir.

एक माननीय सदस्य—Shri H. K. vyas is in the possession of the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं बोल रहा हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आप तो बोल चुके हैं बजट पर।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बजट पर नहीं, बल्कि एक गलत बात सदन के सामने........

श्री अध्यक्ष—कई बार चर्चा हो चुकी हैं, फिर रख दीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक मिनिट का टाइम दीजिये। घबराहट किस बात की है ? एक मिनट का टाइम दीजिये।

श्री घीसीसिंह—सदन के बाहर बतला दीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सदन के बाहर तो कहता ही हूं लेकिन सदन के अन्दर रखने से लोगों में एक मिनिट में घबराहट नहीं होनी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर—आपसे कोई नहीं घबराता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा— I am in the possession of the House and the time is very short with me. I should be given an opportunity.

श्री हरिकृष्ण व्यास—कट मोशन पर बाकी वसूल कर लूंगा, लेकिन एक मिनिट के लिए घबराहट हो रही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय अध्यक्ष...........

श्री अध्यक्ष—आज तो समाप्त नहीं होगा। एक बजे तक कर देगें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—१ बजे तक नहीं, साढ़े बारह बजे खत्म कर दूंगा।

मैं ब्रीफ में ही निवेदन करूंगा क्योंकि दूसरे जितने बहस में मुद्दे उठे हैं जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले हैं या दूसरे आम तौर की पोलिसीज के इश्यू हैं उनके ऊपर मन्त्री महोदय और माननीय मुख्य मन्त्री अपने जवाबात में अर्ज कर चुके हैं। मैं तो जो बहस बजट के मुद्दों पर उठी हैं और जो मुद्दे उनमें डील विद नहीं हुए है उनके बारे में जवाब देना चाहूंगा। खुशी इस बात की होती है कि उस बजट के दौरान में इस बहस में केवल बजट के मुद्दों पर चर्चा की जाती, लेकिन

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

बहुत सारी गैर जरूरी चर्चाएं भी आई, कीचड़ भी उछाला गया और दूसरी बातें भी इधर उधर की हुई, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मेरे दिमाग पर उन चीजों का कोई असर नहीं है स्पष्ट । रूप से कहना चाहता हूँ कि फाइनैन्स के बारे में, उन चीजों के बारे में खयाल जब जाता है तो एक ही दिमाग में जो चीज़ आती है कि क्या इन चीजों से हम अपने आप कल्याणकारी राज्य के लिए उपयुक्त स्थापना कर सकेंगे, और क्या हम आगे बढ़ सकेंगे ?

इस बजट को बनाते वक्त हमारे सामने पहली पंचवर्षीय योजना थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्लानिंग कमीशन से ड्राफ्ट तैयार किया उसकी भूमिका हमारे सामने आ चुकी थी, समाजवादी पेटर्न के बारे में भी जो रूपरेखा है उसका नक्शा हमारे सामने आ चुका था। लेकिन वह कोई स्टेट्यूटरी चीज नहीं है। इस ढांचे में रद्दो बदल होता रहता है, लेकिन जो प्लानिंग कमीशन ने अपनी चीज़ डिक्लेयर की सारे हिन्दुस्तान के लिए, जो रूपरेखा तैयार की है सारे हिन्दुस्तान के लिए, उसका हमारे प्लानिंग पर असर, प्रभाव पड़ा, और पड़ना भी अवश्यम्भावी था। यहां यह चर्चा की जाती है हमारे लायक दोस्तों के जरिये कि हम तो समाजवादी ढांचे की तरफ जाना नहीं चाहते या समाजवादी ढांचे की तरफ जाते हैं, चलते हैं, तो कुछ तेजी से नहीं चल रहे हैं और हमारे एक बहुत बड़े, क्या कहूँ, कांग्रेसी ने यहां तक जिक्र कर दिया कि यह जो बजट पेश किया गया है उसे एक कांग्रेसमैन होने के नाते भी 'आई कैन नाट सपोर्ट इट ऐन्ड आई विल गो' ऐसा उस बजट के बारे में कहा गया और कहा क्या गया है ? उसका आधार क्या है कहने का कि आपने पे स्केल्स की डिस्पेरिटी को वाइडन किया है। बहस में प्लानिंग का जिक्र नहीं आया कि वह सोशलिस्टिक पेटर्न की तरफ ले जाने वाला नहीं है, लेकिन चूंकि पे स्केल्स में डिस्पेरिटी है इसलिए बजट बिल्कुल खराब है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की धारणा बिल्कुल गलत है, और मैं ही यह नहीं कहता, माननीय अध्यक्ष, आपका ध्यान प्लानिंग कमीशन की तरफ से जो ड्राफ्ट इश्यू हुआ है और जो माननीय सदस्यों के पास पेश हो चुका है, उसके कुछ वाक्यों की तरफ दिलाना चाहता हूँ और उन वाक्यों के जरिये हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वास्तव में जो लक्ष्य हमारे समाने है उसकी तरफ कहां तक हम गये हैं और कहां तक हमारा इरादा है, और मैं यह कहना चाहूँगा कि यह सोशलिस्टिक पेटर्न का न तो ढंग है और न कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम खाली लोगों को बहकावे में लेना चाहते हैं, लेकिन यह वास्तव में हमारा लक्ष्य है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मगर हमारे लायक दोस्त यह समझते हैं, नाटक के पर्दे की तरह एक तरफ केपिटलिस्टिक पेटर्न और दूसरी तरफ सोशलिस्टिक पेटर्न। आगे एक तरफ केपिटलिस्टिक पेटर्न है और उस पर्दे को उठाया गया तो दूसरी तरफ होगया सोशलिस्टिक पेटर्न। लेकिन बाद में स्टेज होने वाला है। लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं यह खाली कहने मात्र से नहीं आने वाला है या इस सदन में ऊंचे २ भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। यह तो काम करने से आने वाला है। इस लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। शुभ लक्ष्य हमारे सामने है। एक निश्चित् उद्देश्य की तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वह आने वाला है। वह इस तरह से आपस में लड़ते झगड़ते रहे और किसी को काम नहीं करने दिया तो नहीं आने वाला है। दूसरे इस सोशलिस्टिक पेटर्न की जल्दी से जल्दी

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

गति बढ़ानी है। इसमें मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से हमारे दोस्त लोग मदद कर रहे हैं ? मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इस तरह मदद करने के निश्चय से खाली हम उसमें देरी कर रहे हैं। नारा लगाने वाले देरी करते हैं तो लक्ष्य किस तरह से आयेगा ? उनके दिमाग में क्या है,यह सब समझ सकते हैं। केवल कुछ वाक्यों की तरफ जो सेकन्ड फाइव इयर प्लान का है, उनकी तरफ ध्यान आकार्षित करना चाहता हूँ। इसमें पेज ६ और ७ के ऊपर आब्जेक्टिव्ज आफ दी प्लानिंग में दिया है। उसके पेरा ४ में है :

"4. The Second five year plan has been formulated with reference to the following principal objectives:

(a) a sizeable increase in national income so as to raise the level of living in the country;

(b) rapid industrialisation with particular emphasis on the development of basic and heavy industries;

(c) a large expansion of emloyment opportunities; and

(d) reduction of inequalities in income and wealth and a more even distribution of economic power.

These ocjectives are interrelated. A significant increase in national income and a marked improvment in a living standards cannot be secured without a substantial increase in production and investment

उसके बाद जहां पेज नं० ६ पर जहां सोशलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी का जिक्र किया गया है, उसमें यह कहा गया है:—

"There should be a progressive reduction of concentration of incomes, wealth and economic power."

तो हमारे सामने सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, हमारा यह लक्ष्य केवल जो पे स्केल्स हैं उनके बढ़ा देने से ही पूरा हो जायगा। क्या स्केल्स की डिस्पेरिटी जो ज्यादा है वह ग्रेड थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते या बढ़ाये जाते तो क्या उससे सोशलिस्टक पेटर्न आ सकता था। लेकिन केवल यह कह देने से कि पे स्केल्स ऐसे कर दिये तो सोशलिस्टक पेटर्न आँफ सोसाइटी नहीं आ सकती। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर हम इस बजट के इस बड़े सारे पोथे को पढ़ने का प्रयास करते, इसको प्रयास करके समझने की कोशिश करते, जो मेमोरेन्डम इसके साथ में है उसको पढ़ने की कोशिश करते, जो खर्चा हमने इसमें विकास के लिए रखा है उसको देखने की हम कोशिश करते

Page No.69

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

और उसके बाद में इस नतीजे पर पहुँचने की थोड़ी सी कोशिश करते कि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास कार्य किये हैं उसके बाद आज हम किस हालत पर पहुंचे हैं और इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो आधार इसका है उसके बाद, जो हमारी तरक्की होने वाली है उसके नक्शे के बाद उस सारे नक्शे को हमारे दिमाग में लाते तो हम इस नतीजे पर पहुँच सकते थे और आसानी से पहुँच सकते थे कि हम सोशलिस्टक पेटर्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम ऐसी समाज रचना की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिसका आधार सोशलिस्टक पेटर्न है। जो विकास के कार्य में खर्चा रखा है उससे हमारी नेचुरल इनकम बढ़ने वाली है, राजस्थान की आमदनी और प्रोस्पेरिटी बढ़ने वाली है और जब प्रोस्पेरिटी बढने वाली है उसका आमदनी और रिसोर्सेज़ पर प्रभाव होने वाला है। अगर रिसोर्सेज़ अच्छे हो जाते हैं तो आज जो दो रुपया तरक्की मिली है आगे आने वाले टाइम में भविष्य में और अच्छी मिल सकती है लेकिन यह कहना और जैसे कि कहावत मशहूर है कि घी खाना लेकिन पगड़ी बेच कर खाना। मैं इस पोजीशन में राजस्थान को नहीं लाना चाहता जो पगड़ी बेच कर घी खाने की नौबत आ जाय। तनख्वाहें बढ़ती चली जावेंगी, डेस्पेरिटी कम होती चली जावेंगी और जीवन स्तर हमारा है वह विकास योजनाओं से जो प्रगति होने वाली है उससे बढ़ेगा। विकास योजनाओं का यदि हम अपने सामने नक्शा रखें तो निश्चित उनसे आगे बढ़ने वाले हैं और आगे निश्चित रूप से बढ़े भी हैं। जो खर्चा इस ओर रखा गया है उनकी तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्शित करना चाहूँगा कि ४८, ४९ में पब्लिक युटिलिटी और वेलफेयर डिपार्टमेन्ट्स पर खर्चा ५,४७ लाख ६४ हजार का किया जब कि इस साल २६५९. ३३ लाख है आज हम सोशल सर्विसेज पर काफी खर्चा कर रहे हैं। जहां ४८, ४९ में सोशल वेलफेयर पर ३४५. १५ लाख का खर्चा था, आज हम १०३२. ७० लाख खर्च करते हैं। बजट स्पीच पेरा १२१ पर दिया हुआ है जो कि मैं आपको पढ देता हूँ, अगर हमारे दोस्तों ने उस पर ध्यान दिया होता तो उनको साफ जाहिर हो जाता :

A broad analysis of figures of the expenditure will reveal that expenditure on public utility and welfare departments has risen tremendously. The actuals for 1948-49 stood at Rs.547-64 lakhs and the Budget estimates for 1956-57 goes upto Rs 2659. 33 lakhs. Similarly, under social services the actuals for the year preceeding integration work-out to Rs 345. 15 lakhs and the provision proposed for 1956-57 comes to Rs 1032. 70 lakhs against Rs 636. 06 lakhs actuals for last year and Rs 7 99 78 lakhs adopted for the revised."

इससे माननीय अध्यक्ष, यह जाहिर है कि हम कितने आगे बढे हैं, हमने कितनी प्रगति की है। अगर हम आमदनी के आंकड़ों को ४८, ४९ की आमदनी के आंकड़ों और आज की आमदनी के आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि उनमें कितना फर्क पड़ा है। उसी तरह से हमारे स्तर में पहले में और आज में कितना फर्क हुआ है ?

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

कन्सन्ट्रेशन ऑफ इनकम कुछ आदमियों के हाथ में रहे उसको नहीं रहने देने के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि सीलिंग कमेटी मुकर्रर की है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है उसके बाद निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आगे बढ़े हैं, हमने सोशलिस्टक पेटर्न की ओर कदम बढ़ाया है। सारी बातों को डिस्करेज किया है। आज आप देखते हैं, सरकारी कर्मचारियों की क्या बात करते हैं कि शुरू से आखीर तक डेस्पेरीटीज़ मौजूद हैं ऊपर से उनको रोक दे रहे हैं, टेक्सेज़ लगा रहे हैं, इन्कम टैक्स है, बडे बडे व्यवसायों पर टैक्सेज लगने वाले थे लगे हैं उससे वह चीज रुकने वाली है और नीचे के लोगों का विकास होने वाला है। उनके अन्दर जो तरक्की की भावना पैदा हो रही है उससे निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाले हैं।

तो जैसा मैंने कहा कन्सन्ट्रेशन ऑफ इनकम को रखने के तरीके अपनाये गये हैं। और मैं यह कहूंगा कि हमारा उद्देश्य जो कि प्लान में है, हम चाहते हैं कि हमारे लिविंग स्टेन्डर्ड में कुछ तरक्की हो, उसके साथ साथ अपोर्चुनिटी तरक्की करने के लिये मिले। प्रोडक्शन के साधन सरकार के हाथ में हैं और ओवर ऑल प्रोडक्शन बढेगा और तब आम स्टेन्डर्ड में बढ़ोतरी होगी। समाज में विषमता कम होगी, जो एक्सलाइटेशन होता है वह कम होगा। हम सोशलिस्टिक पेटर्न की ओर जाना चाते हैं। एक दिन में तो आसकता नहीं, धीरे धीरे स्टेजेज मे हीं आवेगा। पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हुई और दूसरी शुरू होने वाली है। आप देखेंगे कि कितना अन्तर हो जाता है यह योजनाएं तो स्टेपिंग स्टोन्स है उस स्टेज की ओर जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष, सोशलिस्टिक पेटर्न का और कोई मुद्दा होता तो मैं अपने विचार जाहिर करता। केवल पे स्केल्स के मुद्दे से ही इस मुद्दे को उठाया गया है। पे स्केल्स के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह रेशनेलाइज किया। एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर रेशनेलाइज करते हैं तो रेशनेलाइज की डेफीनेशन को ही बदलना पड़ेगा। अगर आप कोई डेफीनेशन अपने दिमाग में रख लें तो उसको तो दुनियां मानने वाली नहीं है। दुनियां तो रेश्नालाइजेशन की डिफीनेशन जानता है कि क्या होगी ?

दूसरी बहस जो माननीय अध्यक्ष, उठायी गई वह यह थी कि हमने बेकडोर से आने की कोशिश की कि ८४ लाख के टैक्सेशन बताये थे उनके लिये यह नहीं बताया कि किस तरह लगेंगे और कहां से आवेंगे ? माननीय अध्यक्ष, यह मैं बिल्कुल साफ़ करना चाहता हूं। एडीशनल टैक्सेज़ तो इस हाऊस की सलाह के बगैर लग ही नहीं सकते। जो अधिकार इस सदन ने हमको दिये हैं उनके अन्दर हम चल कर आमदनी बढ़ाते हैं किसी तरह से।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या कम से कम निर्णय ले लिया कि इन आइटम्स पर लगावें।

I state you have not

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं हाउस के पजेशन में हूं। दूसरा कोई आपको या दुनियां को सुनाना चाहे, लेकिन मैं इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं।

श्री चन्दमल वैद—मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं यह कैसे कहा जा रहा है, चेअरमेन महोदय ?

श्री सभापति—Order please.

(घंटी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—बर्दाश्त करना नहीं करना इनके हाथ की बात है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमेन महोदय, इस तरह कहना कि बेक डोर से आये

श्री चन्दमल वैद—बेक डोर से आये?....

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अगर आप इस मुद्दे को देखते कि जहां यह जिक्र आया है कि यह आमदनी एडीशनल होने वाली है, किस किस मद से होने वाली है और उन्हें फिर उनको सदन में पेश करते। बजट नोटिफिकेशन आ चुका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कहां है....

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आपको कहना था सो कह लिया। I should not be interrupted.

श्री चन्दनमल वैद—मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री गलत न बोलें।

श्री सभापति—Please hear. Don't interrupt him.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बजट स्पीच के पेरा ६७ की ओर "Addiing to the normal receipts. Rs 176.70 lakhs on account of aid from the Government of India during 1956-57 in respect of development schemes included in the Second Five Year Plan and Rs. 84 lakhs (Rs 2 lakhs under Stamps, Rs 10 lakhs under Taxes under Motor Vehicles Acts, Rs 30 lakhs under Sales Tax, Rs 26 lakhs on account of increase in irrigation rates and Rs 16 lakhs under other heads) to be raised..."

श्री चंदनमल वैद—थोड़ा आगे और पढ़ दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (जारी)—"to be raisedas a result of additional taxation." मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कि यह बात बिल्कुल साफ है। जो एडिशनल टैक्सेज़ होने वाले हैं वे इस मद में होने वाले हैं।

. . . .

अब मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जैसा स्पष्ट है कि हमारे पास पंचवर्षीय योजना में जो अतिरिक्त भूमि सिंचाई में आई उसकी सिंचाई की दर कायम की गई। इरिगेशन एक्ट की तहत रेट मुकर्रर करने का अधिकार दिया गया है इस सदन की तरफ से। जो अतिरिक्त भूमि हमारे पास आई है वह ३२५००० एकड़ है, इस जमीन से सिंचाई रेट के हिसाब से जो आमदनी होने वाली है वह २६ लाख रुपये हैं।

श्री चंदनमल वैद—इसको एडिशनल टैक्सेशन कहते हैं क्या ?

श्री बृजसुंदर शर्मा—और क्या कहते है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—एडीशनल क्लेक्शन कहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह अपनी अपनी समझ की बात है। क्योंकि पब्लिक को गलतफहमी न हो इसलिये कहूंगा कि ऐडीशनल टेक्सेशन है। इसमें जो कुछ है वह इन्क्रीज्ड रेट से आमदनी होने वाली है जो नई, जमीन सिंचाई में आने वाली है, और उसके २६ लाख रुपये इन ८६ लाख रुपयों में शामिल हैं।

सेल्स टैक्स में सीलिंग मुकर्रर करके एग्ज़ेम्पशन ग्रांट करने का आपने अधिकार दिया है। यदि इस तरीके से कोई चीज लाते हैं जो उसमें दिया है तो ३० लाख रुपये उसके तहत में जो पॉवर दी है उससे एडीशनल इन्कम लेकर देते हैं तो हम बुरा काम नहीं कर रहे हैं।

इसी तरह स्टाम्प्स के तहत में एग्जेम्पशन्स या और किसी तरह से २ लाख रुपयों क ज्यादा आमदनी होगी।

अब मोटर वेहिकल्स के बारे में सवाल आता है। तारीख ७ को इस सदन में मोटर वेहिकल्स बिल पेश हो चुका है जो सदन के सामने विचारार्थ आने वाला है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां बड़े खास किस्म के अमेन्डमेंट की जरूरत पड़ती है, सुधार करने की जरूरत पड़ती है, नये टैक्सेज़ लगाने की जरूरत पड़ती है तब फाइनेन्स बिल पेश करते हैं, हमें किसी कानून को अमेन्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिना किसी हेरफेर के सरकार आमदनी करती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं हो सकता। इस सबसे यह स्पष्ट है कि ८४ लाख रुपयों की आमदनी अतिरिक्त करों से होगी।

राजा श्री मानसिंह—On a point of clarification, Sir, I do not want to challenge the authority of the Government in increasing the taxes, but I would like a clarification whether the Government is willing to reduce the taxes also. I am referring to water rate charges.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यदि इस प्रकार की कोई चीज रहे और गवर्नमेन्ट को अख्तियार होगा तो रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितना बढ़ाना है, यह तो सूचना देनी होगी या चुपके चुपके बढ़ा लेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जो बढ़ाया जाता है वह गजट में शाया होता है, चुपके चुपके नहीं बढ़ाया जाता।

श्री चन्दनमल बैद—क्या ८४ लाख का गजट में शाया हो चुका है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—लेकिन यह तो बताना होगा न कि रेट कितनी बढ़ाई जायगी और कौन से आइटम्स लिये जायेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—गजट में शाया हो चुका है, इरिगेशन रेट जो मुकर्रर हुई है वे शाया हो चुकी हैं।

श्री चन्दनमल बैद—कोमोडिटीज़ भी शाया हो चुकी हैं क्या गजट में ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अब मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि प्लानिंग कमीशन ने जो टारगेट मुकर्रर किया है कि कितनी एडीशनल इन्कम बढ़ानी है पांच वर्षों में वह है ८ करोड़ रुपये। ये ८ करोड़ रुपये हमको ५ साल में इकट्ठे करने हैं। ये जो ८४ लाख रुपये हमारे सामने हैं उनको इस हिसाब से पांच साल के लिये ले लीजिये और उसके अलावा जो बेटरमेन्ट लेवीज़ होंगी विकास पर; जैसे ज्यादा सिंचाई होती है, १००० रु० से ज्यादा पर तो उससे हमारा अनुमान है कि १ करोड़ ३० लाख रुपये बढ़ेंगे। मैं समझता हूं जैसा कि एक सदस्य ने कहा था कि अभी यह नहीं लगाते हैं तो एक साल बाद दुगनी लगानी पड़ेगी और उसके एक साल बाद तिगुनी लगानी पड़ेगी। इन सबको देखते हुए मैं समझता हूं, ८ करोड़ रुपयों के लक्ष्य की पूर्ति हम कर पायेंगे। इसका आश्वासन हमने प्लानिंग कमीशन को दिया है और ये ८ करोड़ रुपये एडीशनल इन्कम से बढ़ पायेंगे इसमें कोई शक नहीं है।

इसके बाद सवाल उठाया गया कि हम अपने यहां इतना कर्जा लेते जा रहे हैं और इतना कर्जा हम पर हो गया है कि हम कर्ज में डूबते हुए चले जा रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितना हम कर्जा लेते है वह प्रोडक्टिव एक्सपेन्डिचर के लिये है और उस पर जो खर्चा होता है उससे भविष्य में आमदनी होने की आशा है, जो खर्चा करते हैं भविष्य में वापिस वसूल हो जाने की आशा पर करते हैं। जो कर्जा हमें देना है उसके लिये प्रोविजन हर साल करते चले जा रहे हैं, इंस्ट्रेस्ट और कोस्ट के लिये भी करते चले जा रहे हैं सिवाय भाखरा के खर्चे के। उसके लिये हम सोच रहे हैं कि बेटरमेन्ट लेवी से जो इन्कम होगी उससे कर्जा देंगे, जिससे चुकता चला जायगा।

श्री चन्दनमल वैद—ओवर ड्राफ्ट के बारे में ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—रिहेबिलिटेशन के बारे में ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I do not want to be disturbed, Sir.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Are rehabilitation loans being repaid ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हमारे माननीय मित्र जब बोल रहे थे तब मैं बैठा बैठा चुप-चाप नोट कर रहा था। आप को कट मोशन के समय और बोलने का मौका मिलेगा और मैं उसका जवाब दूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भाखरा स्कीम के सिलसिले में जो कर्जा है उसको बेटरमेन्ट लेवी और सेल ऑफ लैंड से जो रकम प्राप्त होगी उससे चूकता करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—रिहेबिलिटशन का कर्जा चुकता हो गया क्या ?

श्री सभापति—आप सब्र रखिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं अभी आता हूं उस पर।

इसके बाद ओवर ड्राफ्ट की चर्चा की गई। ओवर ड्राफ्ट इन्क्रीज़ होता चला जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जैसा गत वर्ष कहा था १०॥ करोड़ रुपयों के ओवर ड्राफ्ट का इन्तजाम किया हुआ है और वह हम साल भर के दौरान में लेते रहते हैं। आपको जो रकम ज्यादा दिखती है वह इस वजह से दिखती है कि जिस वक्त अधिक रुपये लेने पड़ते हैं उस सब के लिये सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट लेनी पड़ती है लेकिन ओवर ड्राफ्ट की लिमिट साढ़े दस करोड़ से ज्यादा नहीं होती। किसी वक्त ५ करोड़ रुपया लेते हैं तो किसी वक्त ३ करोड़ और किसी वक्त २ करोड़ और उसको चुकाते रहते हैं। इस तरह करते हुए ओवर ड्राफ्ट २० करोड़ या २५ करोड़ भी होता है, तो उस सब की मंजूरी हाउस से लेनी पड़ती है। लेकिन साल भर में आकर हिसाब लगाते हैं तो किसी भी वक्त १०॥ करोड़ से ज्यादा नहीं होता। मान लीजिये कि हम जुलाई से लेते हैं तो तभी से उसका ब्याज शुरू होता है। और वह होता है साढ़े चार परसेन्ट से हम चाहते हैं कि ओवर ड्राफ्ट से काम चला लें और साल के आखिर में एडजस्ट करलें। इससे हमको ब्याज का फायदा होता है और हम बचत करना चाहते हैं।

रीहैबिलिटेशन लोन का जिक्र किया गया। गत वर्ष भी इसका जिक्र किया गया था, जहां कहीं मकान आदि नहीं होते गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया उनको मकान आदि बनाने के लिये रुपया देने को तैयार है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितना लोन आता है उतना हम देते रहते हैं और जितनी लोन की रकम वापिस मिलती रहती है वह हम गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया को चुकाते जाते हैं और जितनी आवेगी चुका देंगे। इसके बाद यह कहना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो कर्जा लिया जाता है वह चुकाया नहीं जाता, यह उचित नहीं है। वस्तु स्थिति ऐसी है कि जो रुपया हमको दिया जाता है वह लोन के रूप में दिया जाता है। किसी को मकान बनाने के लिए दिया

[-श्री बृजसुन्दर शर्मा]

गया, किसी को कोओपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा दिया गया; जैसे उदयपुर की कोओपरेटिव सोसाइटी थी उसको रुपया दिया गया। इसके लिये यह कहा जाता है कि वह सोसाइटी खत्म हो गई और रुपया बरबाद हुआ। इसके बारे में मैं यह कहूंगा कि सदन में कई बार चर्चाएं हुई हैं और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितना रुपया रसीव होगा वह हम गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को चुकाते जावेंगे। अब यह कहा जा रहा है कि जो सोसाइटी खत्म हो गई उसका क्या होगा? मैं यह कहूंगा कि उसकी बाकायदा जांच होगी और फिर देखा जावगा कि क्या बात है। जो कुछ होगा देखा जावेगा।

इसके बाद मैं यह कहूंगा कि यह कहा जाता है कि बजट के आंकड़ों को इतना बढा चढा कर बताया गया है और आमदनी और खर्च बताया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज सारे आंकड़ों को देखें और इसके पहले सालों के आंकड़ों को भी देखें और बजट एस्टीमेट और रिवाइज्ड एस्टीमेट को देखे तो आपको पता चलेगा कि कोई रकम बढा चढा कर नहीं बताई गई हैं।

इसके अलावा यह कहा गया कि लेन्ड रेवेन्यू में इतनी आमदनी नहीं होने वाली है। एक्साइज में बताया गया है यह ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो मशीनरी हमारे पास है वह है। आखिरी साल में मशीनरी के जरिये जितना रुपया खर्च कर सकते थे किया प्रथम पंच वर्षीय योजना में और द्वितीय पंच वर्षीय योजना में; इसी तरह से रुपया रखा गया है। मुझे आशा और विश्वास है कि जो रुपया रखा गया है उसको विकास योजना में खर्च कर पावेंगे। ५१-५२ में तो कोई काम नहीं हुआ। ५१-५२ के बाद जिस तरह से काम हुआ और किस तरह से अब काम चल रहा है वही प्रगति अगले साल रहेगी और उतना रुपया खर्च कर पावेंगे और इसी तरह से जो रुपया था हमने उसको बांटा है कि पहले साल में इतना रुपया खर्च करेंगे और दूसरे साल में इतना खर्च करेंगे और बाद में प्रगति को देखते हुए खर्च होना चाहिये, करेंगे।

अब यह कहा गया है कि हर वक्त मार्च में खर्च ज्यादा होता है। बाकी समय में डिपार्टमेंट वाले सोते रहते हैं और मार्च में अपनी अपनी मांगे ले कर आ जाते है और खर्च कर लेते हैं। इसी तरह प्रथम पंच वर्षीय योजना में हुआ और वह रुपया वेस्ट हुआ इसके बारे में माननीय चेयर मैन, मैं निवेदन करूंगा कि जो मांग रखी जाती है वह देर से रखी जाती है और यह ठीक है कि हमारे यहां पर डिपार्टमेंटों की टेन्डेन्सी यह रही है। हमको जल्दी से जल्दी खर्च करना चाहिये और उनकी डिमान्ड आती है लेकिन जब तक खास तौर से सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता फाइनेन्स रूल्स के मुताबिक वे खर्च करेंगे या नहीं इसको अच्छी तरह जाने बगैर मंजूरी नहीं दी जाती। और इस तरह प्रथम पंच वर्षीय योजना में जो खर्च हुआ, मैं यह निवेदन करूंगा कि कम खर्च हुआ और जिस प्रकार से प्रगति होनी चाहिये और खर्च होना चाहिये उसको देखते कम ही खर्च हुआ। मगर आपको किसी तरह की शंका नहीं होनी चाहिये कि जो खर्च हुआ वह वेस्ट हुआ।

श्री कंवरलाल जेलिया—प्रगति तो अवश्य धीमी रही।

श्री बृजसुन्दर शर्मा-प्रगति धीमीं रही, पहले दो वर्षों में धीमीं रही और बाद में तेज चली और प्रथम पंचवर्षीय योजना में २४ करोड़ में से २१ करोड़ रुपया खर्च हुआ। जो मेटीरियल हमारे हिस्से में आवेगा वह मेटीरियल अभी तक नहीं और उसके लिए जो खर्च होना चाहिए था नहीं हुआ। हमने रोड्स में ज्यादा खर्च किया और दूसरे कामों में काफी खर्च किया और इस तरह हमने २१ करोड़ तक का खर्च किया।

श्री कंवर लाल जेलिया: सडकें पूरी नहीं बनीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा-इस साल जो रुपया रखा गया है वह इसलिए ज्यादा रखा गया है कि जो काम चालू है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जावे और उनको पहले खत्म करने की कोशिश की जावे। उसके बाद नया काम हाथ में लिया जावेगा और जो भी इस साल में ज्यादा खर्चा होगा वह इस काम के लिए है जो आगे से चला आ रहा है। इसलिए यह कहा जाना कि हमारे पास कोई योजना नहीं है जिससे कि यह रकम खर्च की जा सकेगी ठीक नहीं। मुझे आशा है कि जो रुपया जिन कामों के लिए हमने रखा है उसे खर्चकर पावेंगे और वह जिस योजनामें खर्च होने वाला है निश्चित रूप से उसी योजना में खर्च होगा।

जो सड़कें पहली पंचवर्षीय योजना में दी गई, नहीं बनीं वे इसलिए नहीं बनीं कि पहले दो सालों में काम नहीं हुआ और बाद में रोड रोलर की कमी थी इसलिए ये रह गए। कुछ मामले ऐसे हैं जिससे ठेकेदारों से मुकदमे बाजी हुई इससे रह गई। मगर इसका मतलब यह नहीं कि काम हुआ ही नहीं। मैंने जो वजूहात बताये हैं इस वजह से वह काम पूरा नही हुआ।

श्री कंवल लाल जेलिया—यह जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री सभापति—Order plase !

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह कहा जाता है कि लेन्ड रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढाई गई है और वह वसूल नहीं होगी। मैं माननीय विरोधी दलके नेता से,जिन्होंने कहा है कि यह रेवेन्यू वसूल नहीं हो सकती और हमारे दोस्तों ने ऐसे लोगों की आदत डाल दी हैं कि वे रकम नहीं दें, आन्दोलन की वजह से नहीं होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे बजट को ठीक तरह से देखते तो उनको पता लग जाता। जो एडजस्टमेंट एस्टीमेंट किया है जागीर से २०० रखा। हम उम्मीद करते हैं कि एरियर में से ४० नहीं तो २०-२५ हजार रुपया वसूल करेंगे। इस तरह से हमारी पूरी की पूरी लेन्ड रेवेन्यू वसूल होगी।

एक्साइज के लिए कहा गया कि इसके प्रोहिबिशन के उसूलों को एडोप्ट करना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप आंकड़ों को देखते तो स्पष्ट रूप से पता लग जाता कि एक्साइज़ की आमदनी जो २८१ लाख तक गई हमने उसको इस साल कम दिखाया है। हमारे फीगर्स यह बताते हैं कि जो एक्साइज़ की आमदनी २७५ लाख थी बाद में २८१ हुई वह

श्री बृजसुन्दर शर्मा]

इस साल २६० तक है। इसी के मुताबिक इसकी आमदनी दिन प्रतिदिन कम होती जायगी। आज अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ जिस प्रकार से सरगर्मी से कार्यवाही हो रही है उसके कारण इस मद में आमदनी बढ़ेगी। उम्मीद मैं यह करता हूँ जो २६० लाख रखा गया है वह आमदनी हमारी वसूल होने वाली है।

इसके बाद कहा गया कि राजस्थान प्रगति नहीं कर रहा है, यहां काफी इन्डस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिये, एम्प्लोयमेंट में सुधार होना चाहिये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने इन्डस्ट्री के बढ़ाने के लिये काफी रुपया रखा है। इस साल के ही बजट को आप देखेंगे तो इसी के लिये केवल ५६ लाख रुपया रखा है। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में कुल ३८.४० लाख रुपये था; आज हम इस रुपये से स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ और सभी प्रकार की इन्डस्ट्रीज़ का विकास करना चाहते हैं और करेंगे। इससे हमारे डेवलपमेंट के साधन और बढ़ेंगे। इन सब बातों के अलावा मैं अन्त में आपका ध्यान अपनी स्पीच के कन्क्लूडिंग रिमार्क्स की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह रिमर्स जिनमें आंकड़ों के द्वारा बताया गया उसमें स्पष्ट है, पैरा नम्बर ११६ में यह दिखाने का प्रयास किया है कि हमने इन पांच सालों के अन्दर क्या क्या प्रगति की, आमदनी में कितनी प्रगति की है, हम डेवलपमेंट के कार्यों में खर्च कितना कर रहे हैं सरविसेज पर कितना खर्च कर रहे हैं यह सब बताया गया है। मैं खास तौर से माननीय सदस्यों का ध्यान मेरी बजट स्पीच के पैरा ११६ और १२१ की ओर दिलाऊंगा जिससे पता चलेगा कि राजस्थान निश्चित तौर से प्रगति कर रहा है। उसको पढ़ने के बाद प्रत्येक व्यक्ति जो सदन के किसी भी वातावरण से विचार न करें तो साफ तौर से साफ दिमाग से सोचेगा तो उसको पता चलेगा कि राजस्थान अपने पथ पर निरन्तर प्रगति कर रहा है। अगर किसी के दिमाग में कीड़ा ही बैठा हो तो उस की समझ में ये बातें आने वाली नहीं....

श्री जवानसिंह:—वे कीड़े तो सब चले गये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा:—कई लोगों ने यह भी कहा कि यह फाइनेन्सेज़ का मामला है, हमारी समझ में नहीं आता। जिनको फाइनेन्स का कभी अनुभव नहीं उनके लिये यह समझना मुश्किल है और उन लोगों के समझ में भी आने वाली बात नहीं। जिन लोगों ने इसमें काम किया किन्तु ठीक ढंग से काम नहीं किया उनके भी समझ के परे में बड़ी पोलिसी की बातें हैं। अगर किसी मुल्क के फाइनेन्सेज को देखना है तो उसे संकुचित दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिये उसमें एक विशाल दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा सारी समस्याओं को और सरकम्सटान्सेज को देखना होगा। अगर हमारा लक्ष्य यही है कि सिर्फ सदन में बैठना है और किसी भी काम में मस्तिष्क नहीं लगाना तो काम हो लिया। आज हमें हिन्दुस्तान की तरक्की करनी है, अपने प्रांत राजस्थान की प्रगति करनी है तो सदन में इस प्रकार का वातावरण पैदा करें जिससे हमारे भविष्य को हम उज्वल बना सके। आज हम अपने प्रांत को जहां एक कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं उसी के लिये हमने कदम उठाये हैं,

Page No.78

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

उसी पैमाने पर हमें बजट को देखना है। अगर इसी दृष्टिकोण से हम बजट को देखते हैं तो हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को गलत पाते हैं तो हम समझने को तैयार हैं। आप हमें बताइये हम उसको ठीक करेंगे। यह बजट हमारे भविष्य का नक्शा है, जो बहुत उज्वल प्रतीत होता है धीरे धीरे हम जिस रास्ते पर अग्रसर हो रहे हैं उससे हमारी जितनी भी डिसक्रिपेन्सीज हैं वह अपने आप खत्म होने वाली हैं। मैं अब ज्यादा समय न लेकर क्योंकि ऑपोजिशन बिल्कुल खाली है; मुझे पता नहीं वे लोग अनुपस्थित क्यों हैं। इसलिये मुझे ऐसा लगता है कि कान्टिनेन्सेज को समझने के लिये कोई चिन्तित नहीं। अतः मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति—We adjourn till 8. 30 A. M- tomorrow.

(सभा की कार्यवाही मध्यान्ह १ बजे, दिनांक १६ मार्च, सन् १९५६ के प्रातः ८॥ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-१५ मार्च, १९५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।